Friday, 22 February, 1974

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवा सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation 24-8-92
Fumigated
On 30-7-85
Parliament Library

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 4—शुक्रवार, 22 फरवरी 1974/3 फाल्गुन 1895 (शक)

No. 4—Friday, February 22, 1974/Phalguna 3, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
41	रोम में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में किये गये निर्णय	Decisions of the Meeting of International Monetary Fund held at Rome	1–3
42	अमरीकी कपडा व्यापार मिशन की भारत यात्रा	Visit by U. S. Textile Trade Mission in India . .	3–5
44	कपास निगम में वित्तीय कठिनाई .	Cotton Corporation in a Financial Difficulty . .	5–7
47	विद्युत प्रजनन और आवास कार्यक्रमों के लिए बैंकों द्वारा धन दिया जाना	Finance Ventures by Banks for Power Generation and Housing Programmes . . .	7–11
48	'निर्बाध व्यापार क्षेत्र' .	Free Trade Zones . .	11–12
51	हस्तशिल्प क्षेत्र में अधिक रोजगार अवसरों का बनाया जाना	Creation of More Employment Opportunities in the Handicraft Sector . . .	12–13
54	भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की वसूली	Procurement of new Jute by J.C.I.	14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
43	इटली और भारत के बीच व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations between Italy and India	15
45	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Essential Commodities	15
46	तेल के मूल्य में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निर्यात का द्रुत कार्यक्रम	Crash Plan for Export in view of Oil Price Hike . .	16
49	सूत के उत्पादन और वितरण पर लगा नियंत्रण हटाना .	Lifting of Yarn Control on distribution and production of Yarn	16–17

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the Houses by him.

1—39 LSS/73

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
50	दिल्ली में शुष्क पत्तन की स्थापना	Setting up of a Dry Port in Delhi	17
52	गत वर्ष के दौरान कपड़े का आयात/निर्यात	Import/Export of cloth during last year	17
53	बैंकों से धन न मिलने के कारण आयातित वस्तुओं का सीमा शुल्क विभाग से न छुड़ाया जाना	Non-clearance of Imported Goods form Customs due to non-availiability of Finance from Banks . . .	17–18
55	प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिया गया निर्णय	Decision taken on the Recommendations of Third Pay Commission in respect of Class I Government Officers .	18
56	देश में 'युथ होस्टल' . .	Youth Hostels in the Country .	18
57	बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ, वृन्दावन व अयोध्या का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास	Development of Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, Amarnath, Brindavan and Ayodhya as Tourist Centres . . .	18–19
58	तेल संकट को ध्यान में रखते हुए कच्चे लोहे का निर्यात	Export of Pig Iron in view of Oil Crisis	19
59	सरकार द्वारा घोषित मितव्ययिता उपायों की सफलता	Achievement of Economy Measures announced by Government	19
60	बंगला देश के व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डलों का दौरा	Visit by Trade Delegation from Bangladesh	19–20

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

401	ऊनी चीथड़ों के चोर बाजार मूल्यों में वृद्धि	Rise in Black Market Price of Woollen Rags . . .	20
402	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, दिल्ली की हौजकाजी स्थित शाखा द्वारा मर्करी केबल्स को दिया गया ऋण	Loan advanced by Hauz Qazi Branch of State Bank of India, Delhi to Mercury Cables	20
403	मध्य प्रदेश में कोयला खान कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by Coal Mine Companies in Madhya Pradesh .	20–21
404	मध्य प्रदेश में विद्युत चालित करघों के मालिकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loan advanced by Nationalised Banks to Owners of Powerlooms in Madhya Pradesh .	21
405	मध्य प्रदेश में चोटी की प्रथम तीस पार्टियों की ओर आय कर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Top Thirty Parties in Madhya Pradesh	21

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
406	पर्यटन उद्योग के विकास के लिए समिति की नियुक्ति	Appointment of Committee for Development of Tourist Industry.	21–22
407	जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का रद्द किया जाना	Rejection of Claims by L.I.C..	22
408	इण्डियन एयर लाइन्स में फालतू पाइलट	Surplus Pilots in Indian Airlines	22–23
409	जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक	Cost of Living Index . .	23
410	सरकारी क्षेत्र में विद्युतकरघों के लिए वित्तिय सहायता देने में व्याज राज सहायता देना	Interest Subsidy in Financing of Powerlooms in the Cooperative Section . . .	23
411	वर्ष 1971–73 के दौरान पोलैण्ड से आयात की गई वस्तुएं	Import of Goods from Poland during 1971-73 . . .	24
412	भारतीय वस्तुओं का आस्ट्रेलिया को निर्यात	Export of Indian Goods to Australia	24–25
413	भारतीय तथा विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों की यात्राएं	Visit by Indian and Foreign Trade Missions . . .	25
414	देश में पर्यटकों के लिए ठहरने सम्बन्धी सुविधाएं	Lodging facilities for Tourists in the country . . .	25–26
415	कारखानों को कच्चे काजुओं की नियमित सप्लाई बनाए रखने के लिए कार्यवाही	Steps to maintain steady flow of Cashew Nuts to factories.	27
416	कोचीन और कालीकट में नए हवाई अड्डों का निर्माण	Construction of new Aerodromes at Cochin and Calicut .	27
417	हीरों और मोतियों पर आयात शुल्क समाप्त करना	Abolition of Import Duty on Pearls and Diamonds . .	28
418	विद्युत प्रेषण सुविधाओं के विस्तार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा ऋण	Loan by International Development Association for expansion of Power Transmission Facilities	28
419	माप-तौल के सही पैमानों का उपयोग	Use of Correct Weights and Measures	28
420	केरल के लिए बाढ़ राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Flood Relief Programme in Kerala .	29
423	रेलवे वेगनों का निर्यात	Export of Railway Wagons .	29–30

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
424	जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट के अधिकारियों का हिन्द मोटर्स बोर्ड का सदस्य बनना	Joining of Hind Motors Board by L.I.C. and Unit Trust Officials	30
425	आर्थिक क्षेत्र में अमरीका के साथ सहयोग	Collaboration with U. S. in Economic Field . . .	30
426	"नान रेजिडेन्ट" भारतीयों द्वारा विदेशों से लायी जा सकने वाली विदेशी मुद्रा तथा मशीनों के मूल्य की अधिकतम सीमा	Ceilings on Foreign Exchange and Value of Machinery to be brought by Non-resident Indians from Abroad . .	30–31
428	जीवन बीमा निगम में तालाबन्दी	Lock out in L.I.C.	31–32
429	बदनाम होटलों के दलालों से पर्यटकों को बचाने के लिए कार्यवाही	Steps to save tourists from touts of Disreputable hotels .	32
430	तेल संकट को ध्यान में रखते हुए अलग निर्यात उत्पादन विभाग	Separate Export Production Department in view of Oil Crisis	32–33
432	त्रिपुरा के चाय निर्यातकों को निर्यात में कठिनाइयां	Facing of Export difficulties by Tea Exporters of Tripura .	33
433	त्रिपुरा में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Consumer Price Index in Tripura	33
434	विभिन्न मंत्रालयों में बचत लक्ष्य	Target of savings in various Ministries	34–35
435	बंगाल वाणिज्य मण्डल द्वारा लाभ अर्जन	Earnings of Profits by the Bengal Chamber of Commerce	35–36
436	इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड तथा अन्य देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations between Indian Oxygen Limited and other countries	36
437	देश के सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शाखाएं खोलना	Branches by Nationalised Banks in Border areas of country	36–37
438	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता में आग	Fire in Central Bank of India, Calcutta	37
439	इण्डियन एयर लाइन्स की विस्तार योजना	Expansion Plan of Indian Airlines	37
440	केन्द्रीर सरकार की ऋण नीति के बारे में केरल सरकार से अभ्यावेदन	Representation from Kerala Government against the Credit Policy of Government.	38
441	घाटे की अर्थव्यवस्था	Deficit Financing . .	38

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
442	वेतन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की स्थायी समिति के सदस्यों के साथ बातचीत	Negotiations with members of the standing Committe of of JCM in regard to implementation of Pay Commissions' Report	38–39
443	इण्डियन एयर लाइन्स में तालाबन्दी के दौरान हुई हानि	Amount of loss during lock out in Indian Airlines . .	39
444	हाथकरघों और विद्युत करघों को सूत की सप्लाई	Supply of yarn to handlooms and Powerloom . . .	39–40
445	एयर इण्डिया द्वारा किराए तथा भाड़े की दरों पर निर्णय	Decision on passenger fares and freight rates by Air India .	40–41
446	इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में कमी	Fall in export of Engineering Goods.	41
447	मूंगफली से निकाले गए उत्पाद के निर्यात की अधिकतम सीमा	Ceiling on the export of Ground nut Extraction . . .	41–42
448	पी० एल०–480 निधियों के उपयोग के लिए करार	Agreement for Utilisation of PL 480 Funds	42
449	आयातीत कच्चे काजूओं की कमी के बारे में निर्माताओं से शिकायतें	Complaint from Manufacturers regarding shortage of imported raw cashew nuts .	42–43
450	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलना	Opening of Branches by Scheduled Commercial Banks in Rural Areas . . .	43
451	बंगलोर हवाई अड्डे की जीर्णोद्धार योजना	Plants to renovate Bangalore Airport	43–44
452	बाजपे हवाई अड्डे में सुधार करने की योजनाएं	Plans to improve Bajpe Airport	44
453	भारत-ईरान व्यापार समझौते पर पुर्नविचार	Review of Indo-Iran Trade Agreement	44
454	भारत और श्रीलंका के बीच पारस्परिक व्यापार में वृद्धि	Promotion of a better balance in Trade between India and Sri Lanka	44–45
455	अफीम की खेती और उसका निर्यात व्यापार	Cultivation and Export of opium	45
456	भारत-पाक सीमा पर तस्करी रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to check smuggling on Indo-Pak Border. . .	45–46
457	वर्ष 1973 में विदेशी ऋणों का भुगतान	Repayment of Foreign Loans in 1973	46

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
458	भारतीय जीवन बीमा निगम में दिए जाने वाले भत्ते	Allowances in Life Insurance Corporation of India . .	46
459	भारतीय पर्यटन विकास निगम के दिल्ली स्थित होटलों में 1973 के दौरान लाभ और हानि	Profit and loss by Hotels run by ITDC in Delhi during 1973.	47
460	पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों के सामान की तलाशी	Checking of Baggage of Passengers at Palam Airport .	47
461	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण का पुर्नविलोकन	Review of the Working of Nationalised Banks . . .	48
462	इण्डियन एयर लाइन्स के प्रबन्धकों और कर्मचारियों में विवाद के बारे में की गई अनुवर्ती कार्यवाही	Follow up action taken in dispute between management and employees of Indian Airlines.	48
463	अशोधित तथा टुकड़ों के रूपमें मैंगनीज तथा लोह् अयस्यक का निर्यात	Export of Manganise and Iron Ore in Crude and Pallastised Form	48–49
464	इण्डियन एयर लाइन्स में फालतू कर्मचारी	Surplus Staff in Indian Airlines	49
465	पांचवीं योजना में हवाई अड्डों का निर्माण	Construction of Aerodromes during Fifth Plan . . .	49
466	भारत और नेपाल के बीच व्यापार वार्ता	Trade talks between India and Nepal	49–50
467	1973–74 के दौरान भारत के विदेश व्यापार में वृद्धि	Increase in India's Foreign Trade during 1973-74 . .	50
468	विमानों की बिक्री के बारे में रूस का प्रस्ताव	Offer from Soviert Union for Sale of Aircraft . . .	50
469	जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार में वेतन मानों में विषमता	Disparity in Pay Scales in LIC and Central Government .	51–53
470	इण्डियन एयर लाइन्स में तालाबन्दी के दौरान विमान चालकों के पदों का विज्ञापन	Advertisement for Post of Pilots during Lock out in Indian Airlines	53–54
471	नवम्बर, 1973 के बाद सूत के मूल्यों में कमी	Fall in Yarn Prices after November, 1973 . . .	54
472	विदेशी कम्पनियों को दी गई छूट .	Exemption allowed to Foreign Companies	54
473	बम्बई हवाई अड्डे पर विश्राम कक्ष का वातानुकूलित बनाया जाना	Air conditioning of Bombay Airport Lounge . . .	55

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
474	1974 के लिए भारत सोवियत व्यापार संधी के अन्तर्गत रूस से आयात किए जाने वाले माल	Goods to be Imported from USSR under Indo Soviet Trade Protocol for 1974 .	55
475	विदेशों से अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint from Foreign Countries . . .	56
476	चांदी के अवैध निर्यात पर रोक .	Checks for Illegal Export of Silver	56–57
477	चाय के निर्यात मूल्यों में वृद्धि के लिए श्री लंका के साथ समझौता	Agreement with Sri Lanka for increase in Tea Export Prices	57
478	निर्यात प्रयोजन के लिए पटसन के मूल्यों में वृद्धि .	Increase in Jute Prices for Export Purposes . . .	57
479	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन की सहायता सम्बन्धी सम्भाविताएं	Aid Prospects of International Development Association .	57
480	इस समय परिचालित मुद्रा नोटों का मूल्य	Amount of Currency notes in circulation	58
481	इण्डियन एयर लाइन्स के किरायों में वृद्धि	Increase in Fares by Indian Airlines	58
482	बिहार को वित्तीय सहायता .	Financial Assistance to Bihar	58–59
483	अखबारी कागज का संकट .	Newsprint Crisis . . .	59
484	दिल्ली में फटे-पुराने (सायलड) मुद्रा नोट	Soiled Currency Notes in Delhi	59–60
485	"स्टैण्डर्ड क्लाथ" का मूल्य और उत्पादन	Price and Production of Standard Cloth . . .	60
486	विश्व निर्यात में व्यापार भारत के हिस्से में कमी	Decline in India's share in World export trade . .	60
487	बिहार में प्रारम्भ की गई होटल परियोजनाएं	Hotel projects undertaken in Bihar	60–61
488	भारत और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार वार्ता	Trade talks between India and Yugoslavia	61
489	ऋण नीति और बढ़ते हुए मूल्यों पर इसका प्रभाव	Credit policy and its impact on rising prices . . .	61–62
490	चोर बाजारी में मोटे कपड़े की बिक्री	Sale of coarse cloth in black market	62
491	पूर्वी क्षेत्र में गैर सरकारी विमान सेवाओं का कार्यकरण	Operation of Private Air Services in Eastern Sector .	62

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
493	भारत बंगला देश पटसन व्यापार वार्ता	Indo Bangladesh Jute Trade Talks	63
494	इण्डियन एयर लाइन्स में तालाबन्दी का पर्यटन पर प्रभाव	Effect of lock out in Indian Air Lines on Tourism . .	63
495	इण्डियन एयर लाइन्स के कार्यकरण में सुधार के लिए समिति का गठन	Committee to streamline functioning of Indian Airlines .	63–64
496	निर्यात बढ़ाने की योजना .	Plan to boost export . .	64
497	तेल संकट को ध्यान में रखते हुए पटसन की वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाएं	Prospects for export of jute goods in view of oil crisis .	64
498	राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभप्रदता में गिरावट	Fall in profitability of Nationalised Banks . . .	65
499	रिजर्व बैंक द्वारा ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगाने के परिणामस्वरूप भारत में औद्योगिक विकास पर प्रभाव	Effect on Industrial Growth in India as a Result of Credit squeeze by Reserve Bank .	66
500	आयात सम्बन्धी नियमों का सरलीकरण	Simplification if Imports Rules	66–67
501	रूस के साथ रूई के बदले में कपड़ा देने का समझौता	Cotton Conversion deal with Russia.	67
502	यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा हथकरघा वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात	Duty free Import of Handloom by E.E.C.	67–68
503	जापान के साथ ऋण समझौता .	Agreement for Loan from Japan	68–69
504	भारत की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता	India's requirements for Foreign Exchange . .	69
505	प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सुझाओं/प्रोत्साहनों की योजना	Schemes of Suggestions/Incentives launched by Central Board of Direct Taxes . .	69–70
506	न्यूजीलैण्ड के प्रधान मंत्री द्वारा नई दिल्ली की यात्रा	Visit of New Zealand Prime Minister to New Delhi .	70
507	उड़ीसा में निर्मित हैलीपेड तथा हवाई पट्टियां	Helipads and Airstrips constructed in Orissa . .	70–71
508	पालम हवाई अड्डे के समीप लुफ्थान्सा बोइंग विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Lufthansa Boweing crash near Palam Airport . .	71
509	रद्द किए गए नोटों को बरामद करना	Recovery of cancelled notes .	71

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
510	भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ किए गए बीमे की धनराशि	Amount ensured with the Life Insurance Corporation of India	71–72
511	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973	Foreign Exchange regulation Act, 1973	72–73
512	राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण के बारे में यूनुस समिति का प्रतिवेदन	Report of Yunus Committee on the Working of STC . .	73
513	सूखा राहत कार्यों के लिए बिहार को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Bihar for drought relief work .	73
514	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	Dearness Allowance to Central Government employees. .	73–74
515	निर्यात क्षेत्र के लिए ऋण सुविधाओं का विस्तार	Relaxation of credit facility for the export Sector . .	74
516	इण्डियन एयर लाइन्स के यात्रियों को नास्ता और माध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था का पुनः चालू किया जाना	Proposal to re-introduce system of serving breakfast and lunch to Air passengers by Indian Airlines	74–75
517	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता के जमा कर्ताओं को अदायगी	Payment to the depositors of Central Bank of India, Calcutta	75
518	चाय बोर्ड द्वारा चाय उद्योग का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण	Techno economic survey of tea Industry by Tea Board	75
519	कलकत्ता के विकास के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता	Financial assistance from World Bank for Development of Calcutta	76
520	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख कागजी मुद्राओं का प्रयोग	Use of Key paper currencies in international trade . .	76–77
521	इण्डियन एयरलाइन्स के बेड़े के छोटे विमानों की बिक्री	Disposal of small aircraft in the fleet of Indian Airlines .	77–78
522	1973 के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि	Increase in Tourists during 1973	78
523	वर्ष 1973 में व्यापार घाटा .	Trade deficit during 1973	78–79
524	सरकारी क्षेत्र में युक्तिसंगत वेतन ढांचों की मांग	Demand for rationalised wage pattern in Public Sector .	79
525	इंडियन एयरलाइन्स में कर्मचारियों की छटनी का प्रस्ताव	Proposal to retrench staff in Indian Airlines . . .	79
526	इन्डोब्रिटिश हाट एयर बेलून टीम द्वारा प्राप्त सफलता	Success achieved by Indo British Hot Air Balloon Team .	79–80

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
527	जयपुर स्थित नाहरगड और जयगड के ऐतिहासिक किलों के विकास	Development of Historical Forts of Naharagarh and Jaigarh in Jaipur . . .	80
528	रिजर्व बैंक आफ इंडियण के गवर्नर के साथ ऋण नीति पर पुनर्विचार	Reviewing of Credit Policy with Governor of RBI .	80
529	पालिसीधारियों को वित्तीय लाभ	Financial benefits to policy holders	81
530	वेतनों में असमानता . .	Disparity in Wages .	81
531	पालम हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटनाएं	Air Accidents at Palam Airport	82
532	राज्य व्यापार निगम को बासमती चावल के निर्यात से लाभ	Profit on Export of Basmati Rice by STC . . .	82–83
533	तीसरे वेतन आयोग द्वारा अनिर्णीत छोड़े गये मामलों का निपटारा	Settlement of issues left unsettled by Third Pay Commission	83–84
534	भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी कम्पयियों को अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण/स्थानांतरण करने के बारे में जारी किये गये निदेश	Directions issued by Reserve Bank of India to Foreign Companies for acquiring or transfer of immoveable properties by them	84
535	विदेशी एयर लाइन्सों द्वारा भारतीय हवाई अड्डों से तेल उठाया जाना	Fuel uplift from Indian airports by Foreign Airlines .	84–85
536	सरकारी खर्चे में की गई मिव्ययता	Economy effected in Government expenditure . .	85
537	मूंगफली का निर्यात .	Export of groundnuts .	85–87
538	घाटे की अर्थ व्यवस्था	Deficit Financing .	87
539	होटल प्रबन्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम	Hotel Management Training Programme . . .	88
540	राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज के लिए किया गया ठेका तथा उसका आयात	Newsprint Contracted and Imported by STC . .	88–89
541	दक्षिण अमरीका के साथ व्यापार में वृद्धि की सम्भावना	Possibility of Increase in Trade with South America . .	89–90
542	विमान चालकों की मांगों .	Pilots Demands .	90
543	प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन, निर्माण और विपणन	Production, Manufacture and Marketing of Natural Rubber	90–91
544	धर्मशास्था मंदिर, साबरीमला और गुरुवयूर मन्दिर (केरल) का विकास	Development of Dharmashtha Temple at Sabarimala and Guruvayur Temple (Kerala)	91–92

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
545	कोचीन के नीकट एक नया हवाई अड्डा	New Aerodrome near Cochin	92
546	रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारियों को दी गई अग्रिम राशियों की वापसी	Return of Money Advanced to Traders by Reserve Bank .	92–93
547	दिल्ली/नई दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks in Delhi, New Delhi . .	93
548	अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण उसके आयात खर्च में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा को संरक्षित रखने के लिए कार्यवाही	Steps to conserve Foreign Exchange due to increase in Crude Oil Import Bill .	93
549	कैप्रोलैक्टम के आयात के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Import of caprolactum	93–94
550	पत्तनों पर नौवहन स्थल की कमी एवं वहां पर भीडभाड़ का हमारे निर्यात पर दुष्प्रभाव	Effect of Shortage of Shipping Space and Congestion at Ports on our Exports . .	94–95
551	वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों से उड़ीसा सरकार के दल के अधिकारियों द्वारा की गई बातचीत	Discussions held by Team of Officers of Orissa Government with Representatives of Commercial Banks . . .	95
552	केरल के महालेखाकार तथा अराजपत्रित अधिकारी संघ के बीच हुए समझौते को क्रियान्वित करना	Implementation of Agreements reached between Accountant General of Kerala and NGO's Association	95–96
553	23-12-1973 को पालम पर एयर इण्डिया जम्बो के टायरों का फटना	Burst of Tyres of Air India Jumbo Jet at Palam Airport on 23-12-1973 . . .	96
554	दुर्घटनाग्रस्त हुए लुफथान्सा बोइंग के यात्रियों का कथित तंग किया जाना	Alleged harassment to Passengers of Crashed Lufthansa Boweing . . .	97
555	अग्रिम राशि देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नए आवेदनों का स्वीकार किया जाना	Acceptance of Fresh Proposals for Advances by Nationalised Banks . . .	97–98
556	विदेशों में भारतीय अधिवासियों के साधन जुटाना	Mobilisation of Resources of Indian Settlers Abroad .	98
557	बिदेशी मुद्रा कोष . .	Foreign Exchange Resources.	98
558	रतलाम तथा मंदसोर जिलों में अफीम की खेती के लिए लाइसेंस	Licences for Cultivation of Opium in Ratlam and Mandsaur Districts . . .	99

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
559	मध्य प्रदेश में अफीम का कारखाना	Opium Factory in Madhya Pradesh	99
560	मोटर गाडियों के पुर्जों (आटोमोबाईल पार्टस्) के निर्यात से कमाई गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earning from Export of Automobile Parts	99–101
561	लम्बे रेषे वाली सूडानी रूई का आयात	Imports of Long Staple Sudanese Cotton	101
562	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा सहकारी बैंकों को ऋण देने पर नियंत्रण लगाया जाना	Curbs imposed by RBI on advances of Co-operative Banks	101
563	सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क तथा आयकर विभागों का पुनर्गठन	Reorientation of Customs, Excise and Income Tax Departments	102–103
564	कागज के निर्यात पर रोक	Ban on Export of Paper	103
565	महत्वपूर्ण कागजातों की 'माइक्रो फिल्म' बनाकर रखना	Keeping of Micro Film of Important Document	104
566	पांचवीं योजना के दौरान राजस्थान में पर्यटन केन्द्रों का विकास तथा होटलों का निर्माण	Development of Tourist Centres and construction of Hotels in Rajasthan during Fifth Plan	104
567	बांगला देश से अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint from Bangaladesh	104–105
568	भारत में पर्यटकों के आगमन पर पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव	Effect of Fuel Price Hike on Tourist Traffic to India	105
569	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गई (कैन्सेलटेन्सी एण्ड डेवलपमेन्ट सर्विसिज) परामर्शदात्री तथा विकास सेवाएं	Consultancy and Development Services rendered by Public Sector Banks	105–106
571	सूती कपड़ा निर्यात निगम की स्थापना	Setting up of a Cotton Textile Export Corporation	106
572	ऋण नियंत्रण के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन	Submission of Memorandum by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry regarding Adverse effect of Credit squeeze on Industry	107
573	विदेशों में रहने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय बैंकों में खाते रखन की अनुमति	Permission to Indians Residing Abroad for holding Accounts in Indian Banks in Foreign Exchange	107

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
574	बेरोजगार इंजीनियरों को अपना कारोबार आरम्भ करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गुजरात में दिए गए ऋण	Loan Advanced by Nationalised Banks in Gujarat to Unemployed Engineers to Start their Business . . .	108
575	पूर्व यूरोपीय देशों द्वारा भारत को उर्वरक सप्लाई करने के ठेके को पूरा न किया जाना	Dishonouring of contract by East Eruopean countries for supply of fertilisers to India	108
576	सिन्थेटिक नाइलोन फैक्टरी, उजैन द्वारा उत्पादन शुल्क का भुगतान न किया जाना	Non-payment of Excise Duty by Synthetic Nylon Factory, Ujjain	109
577	आयकर अधिकारियों द्वारा कानपुर की दुकानों पर छापे	Raids by Income Tax Authorities on Shops in Kanpur .	109
578	निर्यात के प्रयोजनों हेतु कच्चे माल के आयात की योजना	Plan to Import Raw Material for Export purposes . .	109
579	किड्डरपूर पत्तन के एक गोदाम में पटसन की गांठों के नष्ठ होने के बारे में जांच	Enquiry into the destruction of Bales of Jute in a Godown at Kidderpore Dock. . .	109–110
580	वर्ष 1971–73 में सूती कपडा उद्योगों को हुआ लाभ	Profits Earned by Cotton Textile Industry during 1971-73	110
581	विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं जुटाने हेतु केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for creating Facilities for Foreign Tourists	110–112
582	अशोधित तेल के मूल्य में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप अपेक्षित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange required as a Result of Increase in prices of Crude Oil . . .	112
583	स्टलिंग के मूल्य गिरने का भारतीय रुपये पर प्रभाव	Impact of fall in value of Sterling on Indian Rupee . .	112–113
584	वर्ष 1974 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint by STC during 1974 . . .	113
585	बम्बई की फिल्म प्रयोगशालाओं पर आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे	Raid by Income Tax Department on Film Laboratories in Bombay . . .	114
586	पांचवी पंचवर्षीय योजना में निर्यात वृद्धि	Export Growth in Fifth Five Year Plan	114
587	निर्यात के लिए प्रतिबन्धित सूची में शामिल वस्तुएं	Items under Banned List for Exports	114

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
588	गुजरात में चोरी छिपे लाए गए कपड़े और चांदी का बरामद होना	Seizure of Smuggled Cloth and Silver in Gujarat . .	115
589	वर्ष 1973–74 मे उसके पिछले वर्ष के मुकाबिले निर्यात में वृद्धि	Increase in export during 1973-74 as Compared to the previous year	115
590	दिल्ली में अवैध वायदा बाजार	Illegal Forward Trading in Delhi	115–116
592	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा लावारसी वस्तुओं का निपटारा	Disposal of unclaimed items by International Airports Authority	116
593	पश्चिमी देशों को रक्त उत्पादितों (ब्लड डिराइवेटिवज) का निर्यात	Export of Blood derivatives to Western Countries . .	116
594	भारत के कुल आयात में वृद्धि .	Increase in India's total Imports	116–117
595	इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों और विभिन्न कर्मचारीसंघों और एसोसिएशनों के बीच समझोते	Agreements between Management and various employees Unions and Association of Indian Airlines . . .	117
596	कृत्रिम धागे और रेशें के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्री का आश्वासन	Assurance by Commerce Minister on the Tariff Commission Report on artificial yarns and fibres . . .	117–118
597	महाराष्ट्र बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं में राष्ट्रपति का तथा प्रधानमंत्री के चित्र लगाने सम्बन्धी जारी किया गया परिपत्र	Circular issued by Maharashtra Bank and other nationalised banks regarding displaying of photographs of President and Prime Minister in their branches. . . .	118
598	यूरोप के सर्राफा बाजार में सोने के मूल्यों में वृद्धि का भारत में सोने की तस्करी पर प्रभाव	Impact of rise in prices of gold in Europe's Bullion markets on its smuggling into India .	118–119
599	बम्बई की अधिकांश कपड़ा मिलों में तीसरी पाली (शिफ्ट) में काम होना	Operation of a Third Shift in most of the Textile Mills in Bombay	119
600	अमृतसर रेयन सिल्क मिल्स लिमिटेड	Amritsar Rayon Silk Mills Limited	119
	सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table .	120–122
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	123–124
	अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक—	Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provision Bill—	
	संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया।	Report of the Joint Committee—Presented . .	124

विषय	SUBJECT	PAGES
सभा का कार्य—	Business of the House—	
श्री रघु रमैया	Shri Raghu Ramaiah . .	124–125
चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक—	Cinematograph (Second Amendment) Bill . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral . .	125–126
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair .	127
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve .	127–128
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra .	128
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	128–129
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukherjee .	129–130
श्री राम सहाय पांड्ये	Shri R. S. Pandey . .	130
श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	130–131
श्री अमृत नहाटा	Shri Amrit Nahata . . .	131
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh .	131–132
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe . .	132–133
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate .	133
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi . .	133–134
विधेयक पुरस्थापित—	Bills Introduced—	
(एक) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1973 (धारा 2, 3 आदि का संशोधन), श्री प्रसन्न भाई मेहता द्वारा	Workmen's Compensation (Amendment) Bill (Amendment of Sections 2, 3, etc.) by Shri P. M. Mehta .	134
(दो) मजूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1973 (धारा 1, 2 आदि का संशोधन), श्री प्रसन्न भाई मेहता द्वारा	Payment of Wages (Amendment) Bill (Amendment of Sections 1, 2 etc.) by Shri P. M. Mehta . . .	134
(तीन) कारखाना (संशोधन) विधेयक, 1973 (धारा 8, 9 आदि का संशोधन), श्री प्रसन्न भाई मेहता द्वारा	Factories (Amendment) Bill (Amendment of Sections 8, 9 etc.) by Shri P.M. Mehta	135
(चार) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1973 (धारा 1, 2 आदि का संशोधन), श्री प्रसन्न भाई मेहता द्वारा	Payment of Bonus (Amendment) Bill (Amendment of Sections 1, 2 etc.) by Shri P. M. Mehta . . .	135

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विषमताओं तथा धन के संकेन्द्रण का दूर किया जाना विधेयक, 1973—वापिस लिया गया—	Removal of Disparities and Concentration of Wealth Bill—Withdrawn—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	135–136
डॉ० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen .	136–137
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh . .	137–139
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa .	139
रेलवे आकस्मिक (श्रम उत्पादन) विधेयक, 1972—	Railways (Abolition of Casual Labour) Bill, 1972	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	140
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya.	140
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen . .	140–141
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	141–142
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik . .	142
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	Shri Raghunandan Lal Bhatia	143
श्री इन्द्र जीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra .	143
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . .	143–144
भारत-ईरान संयुक्त आयोग की चौथी बैठक के बारे में वक्तव्य—	Statement Re: Fourth Meeting of Indo-Iran Joint Commission—	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	144–145
पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मान्यता दी जाने के बारे में	Re : Recognition of Bangladesh by Pakistan . . .	145

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 22 फरवरी 1974/3 फाल्गुन, 1895 (शक)
Friday, February 22, 1974/Phalguna 3, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर चार मिनट पर समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Four Minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Decisions of the meeting of International Monetary Fund held at Rome

***41. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the decisions taken in the meeting of the International Monetary Fund held at Rome in January, 1974 and the impact those decisions had or will have on the economic situation in India ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6185/74**]

Shri M. C. Daga : Due to heavy rise in prices of oil serious problems have come up before the developing nations. What steps were taken in the meeting to survey and solve the problem and what views the Government of India placed before the meeting and how these views can be given practical shape.

श्री के० आर० गणेश : रोम में हाल ही में 20 देशों की बैठक में स्वभावतः तेल संकट का प्रश्न प्रमुख रहा। उस बैठक में एक सुझाव तो यह दिया गया कि तेल के मूल्य में भारी वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई अदायगी की विषम स्थिति पैदा होने के कारण उन देशों को ऋण की सुविधा दी जाये। यह भी सुझाव दिया गया कि यह सुविधा वाणिज्यिक शर्तों पर कम ब्याज पर उपलब्ध होगी। इस पर कोई समझौता नहीं हो सका। और यह निश्चय हुआ कि इस मामले पर और विस्तृत अध्ययन किया जाये। भारत की स्थिति यह है कि वह ऋण सुविधा के प्रस्तावों का तो स्वागत करता है परन्तु वाणिज्यिक शर्तों पर ब्याज की दरों के विरुद्ध है क्योंकि इससे बहुत ही कठिनाईयां पैदा हो जायेंगी। हम पहले ही कठिनाई में हैं, इसलिए हम रियायती शर्तों पर चाहते थे।

Shri M. C. Daga : Whether apart from a council of 20 Governors some interim council was constituted and whether it has started working to find out that inflection be revised in such a manner that the developing nations may not be affected by rise in oil prices?

2—39 L.S.S./73

श्री के० आर० गणेश : वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार अथवा पुनर्गठन पर भी विचार किया गया। एक सुझाव जो स्वीकार कर लिया गया था, यह था कि गवर्नमेंट के बोर्ड तथा कार्यकारी निदेशकों के मध्य एक मध्यवर्ती समिति हो। इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है; बीच की अवधि में एक परामर्श दातु समिति गठित होगी जो समक्ष आने वाली समस्याओं पर ध्यान देगी।

श्री रण बहादुर सिंह : ईरान के शाह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मध्य समझौते के संबंध में मैं जानना चाहता हूँ कि तेल संकट के संबंध में हमारी समस्याओं का समाधान कैसे किया जायेगा ?

श्री के० आर० गणेश : रोम की बातचीत के बाद जो स्थिति पैदा हुई वह यह है कि जहां तक हमारी समस्याओं का प्रश्न है, हमें तेल उत्पन्न करने वाले देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत अथवा द्विपक्षीय समझौते करने होंगे।

श्री बी० वी० नायक : मैं समझता हूँ कि यह वित्त मंत्रालय पर भी लागू होता है जैसा कि हम देखते है कि अर्जा के संकट में ईंधन की समस्या को नेफा के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या यह सम्भव नहीं होगा कि इन समस्याओं को अलग अलग रखा जायें और नेफा को प्राथमिकता दी जाये क्योंकि यदि हम उर्वरकों में विफल होते हैं तो हम अन्न के उत्पादन में विफल होते हैं जिसके परिणाम भीषण होगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के विषय से दूर चले गये हैं।

श्री बी० बी० नायक : यह वित्तीय मामला है। नेफा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोई दूसरा मंत्रालय इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें।

श्री भागवत झा आजाद : क्या हल के अवमूल्यन तथा दृढ़ पौण्ड और दृढ़ डालर और बाजार में येन और फ्रेंक की मंडियों में बदलना को ध्यान में रखते हुए क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मुद्रा पद्धति के दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन आधार पर पुनर्गठन के बारे बातचीत की गई थी? विश्व में बार बार पैदा होने वाले इस संकट का सामना कैसे किया जायेगा ?

श्री के० आर० गणेश : यह प्रश्न तथा एस० डी० आर० का प्रश्न भी वहां आया है। दो बातों के कारण, मुद्रा में उतार चढ़ाव तथा अमरीका द्वारा डालर के मूल्य का सोने के साथ संबंध समाप्त किये जाने के कारण यह सुझाव दिया गया था कि एस० डी० आर० के लिए बहुत सी मुद्राओं को रखा जाना चाहिए। यह निर्णय किया गया कि कार्यकारी निदेशक इस समस्या का विस्तार पूर्वक अध्ययन करें क्योंकि कई ऐसे प्रश्न है जैसे कौन सी मुद्राएं व्यवहार में आएंगी और ब्याज की दर क्या होंगी आदि। इन समस्याओं पर बातचीत होनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच है कि हाल की रोम की बैठक में एस० डी० आर० को नयी परिभाषा देने पर कोई फैसला नहीं हो पाया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति की तो बात ही क्या ? क्या यह भी सच है भारत जैसे गरीब विकासशील देशों को दीर्घकालीन आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से एस० डी० आर० के समान किसी व्यवस्था के अधीन कम ब्याज पर वित्तीय सहायता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि एस० डी० आर० पर बातचीत हुई थी। क्योंकि यह मामला मुद्राओं के प्रसारण और डालर के मूल्य के असंबद्ध किये जाने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के परिणामस्वरूप पैदा हुआ, इस बारे में

निर्णय हुआ कि एस० डी० आर० के लिए बहुत सी मुद्राएं प्रचलित रहें। इस मामले पर कोष कार्यकारी निदेशक आगे ध्यान देंगे क्योंकि इससे संबंधित कोई समस्याओं पर विचार किया जाना है।

जहां तक इन देशों पर वित्तीय सहायता के लिए निर्भर भारत जैसे देशों का प्रश्न है, स्थिति यह है कि उन्हें तेल संकट के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये यत्न किया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से एस० डी० आर० के माध्यम से दीर्घ कालीन धन उपलब्ध हो सकेगा।

श्री के० आर० गणेश : एस० डी० आर० का प्रश्न तो है। जुलाई 1974 तक 20 की समिति को अपनी विभिन्न रिपोर्टें देनी हैं। इन रिपोर्टों के तैयार होने पर इन पर चर्चा की जायेगी।

अमरीकी कपड़ा व्यापार मिशन की भारत यात्रा

*42. **श्री बीरेन दत्त**† :

श्री वीर भद्र सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त अमरीकी व्यापार मिशन 28 जनवरी, 1974 को भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उस मिशन के साथ हुई चर्चा का क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। अमरीका के वाणिज्य विभाग के निदेशक श्री कर्नल एफ० हापकिन्स के नेतृत्व में एक अन्वेषणात्मक अमरीकी वस्त्र मशीनरी प्रतिनिधिमंडल ने जिसमें अमरीकी वस्त्र मशीनरी उद्योग के वरिष्ठ कार्यपालक भी थे, 28 जनवरी तथा 10 फरवरी, 1974 के बीच भारत का दौरा किया।

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल का मुख्य प्रयोजन हमारी पांचवीं पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं के संदर्भ में भारत को अमरीकी वस्त्र मशीनरी की बिक्री के लिए बाजार संभाव्यता का पता लगाना था। आयोग को यह बताया गया था कि जबकि आधुनिकीकरण तथा साथ ही विस्तार प्रयोजनों के लिए भारत में मशीनरी के आयातों के सम्भावित स्तर के बारे में अभी निश्चित अनुमान लगाने बाकी हैं, वर्तमान अनुमान ये हैं कि कुछ आयातों की आवश्यकता होगी। यह भी बताया गया था कि ऐसे आयातों को वित्त व्यवस्था विशेष ऋणों द्वारा करनी होगी। प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया गया था कि सरकार एक और तो भारत में वस्त्र मशीनरी विनिर्माण उद्योग के साथ परामर्श करके तथा दूसरी और वस्त्र मिलों के साथ परामर्श करके वस्त्र मशीनरी के, जिनकी पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आवश्यकता हो सकती है, के आयातों के स्तर का अनुमान लगाने में लगी हुई है। अमरीका से आयात, यदि कोई हों तो, का प्रश्न एसी मशीनरी के लिए मांग, ऋणों की उपलब्धता तथा कीमतों, क्वालिटी व डिलीवरी के रूप में प्रतियोगिता के आधार पर तय किया जाएगा।

श्री बीरेन दत्त : विवरण में कहा गया है कि वस्त्र मशीनरी के आयात का कुछ अनुमान लगाया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया और तेज रफ्तार मशीनरी का आयात बढ़ती हुई ंग को पूरा करने और आयात करने के लिये कुटीर और लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के मर्ग में बाधा नहीं होगा?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वस्त्र मशीनरी के आयात का संबंध देश के लिए तथा निर्यात के लिये वस्त्र उत्पादन की बढ़ती हुई मांग से हैं। मांग में इतनी अधिक वृद्धि है कि यदि हम मशीनरी का देश में उत्पादन बढ़ा भी दें तो भी इसमें कमी रह जायेगी। इस कमी को किसी प्रकार पूरा किया जाना है। यदि इसे देश के अपने स्रोतों से पूरा किया जा सके तो अच्छा है और यदि ऐसा नहीं तो इसे अन्यत्र से मंगवाना चाहिए। इस प्रकार देश की आंतरिक क्षमता अथवा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र पर कुप्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री राम सहाय पाण्डे : क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वस्त्रों की मांग अच्छी है और हम विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहते हैं, इस मांग को पूरा करने के लिये पांचवीं योजना में क्या व्यवस्था की गई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वस्त्र मशीनरी बहुत पुराने ढंग की है और हमें नयी मशीनरी स्वचालित कर्घों, तकलों आदि की व्यवस्था करनी है?

अध्यक्ष महोदय : मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का संबंध अमरीकी वस्त्र व्यापार मिशन से है? क्या यह व्यापक प्रश्न नहीं है? मैं समझता हूँ कि वह अब प्रश्न पर ध्यान देंगे।

श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी : जहां तक मुझे पता है, हम वस्त्र मशीनरी निर्यात करने की स्थिति में हैं। अब वस्त्र मशीनरी के आयात का प्रश्न कैसे पैदा हो गया। मंत्री महोदय कैसे कहते हैं कि उन्हें अमरीका से वस्त्र मशीनरी का आयात करना है?

अध्यक्ष महोदय : आप भी कुछ विसंगत हो गये हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह ठीक है कि हम वस्त्र मशीनरी का निर्यात करते हैं। परन्तु हमारी आवश्यकताएं व्यापक है। यदि निर्यात की जाने वाली सारी मशीनें इधर रख ली जायें, तो भी हमारी मांगों के लिये पर्याप्त नहीं होंगी। दूसरे हमारी मांग अन्य प्रकार की मशीनों के लिये है। हम अपनी मशीनों के आधुनिकीकरण और अपनी पुरानी वस्त्र मशीनों को बदलना चाहते हैं। हमारी मांग निर्यात की जाने वाली मशीनों से भिन्न प्रकार की है।

डा० रानेन सेन : यह भली प्रकार विदित है कि हमारे वस्त्र मशीनरी निर्माता कारखाने अत्यन्त अद्यतन मशीनरी का निर्माण कर रहें है। उनकी निर्माण क्षमता वर्तमान उत्पादन से बहुत अधिक है। इस लिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह इन दो स्थितियों में सामंजस्य कैसे कर सकते हैं? हमारे वस्त्र मशीनरी निर्माता अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। परन्तु कम मांग के कारण वह अपनी क्षमता नहीं बढ़ा पाते जबकि सरकार विदेशों से, अमरीका से वस्त्र मशीन का आयात करने का विचार कर रहे हैं। वह इन दो स्थितियों में सामंजस्य कैसे बैठाते हैं। केवल इतनी बात कहने से कि हमारी मांग बहुत अधिक है, हमारी संतुष्टि नहीं होती। वास्तविक स्थिति क्या है? क्षमता कितनी है? इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस बारे में मंत्री महोदय का क्या उत्तर है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैने पहले कहा कि हमारी कपड़ा बनाने की मशीनें अच्छी है किन्तु वे हमारी आधुनिकतम मांगों से मेल नहीं खाती हैं। इस चुनौति को शानदार ढंग से कपड़ा उद्योग के कार्यकारी दल (टाक फोर्स) ने जिसमें तकनिशियन और सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं इस चुनौति को स्वीकार किया है। हमें अपने कपड़े की मशीनों का

निर्माण करने वाले उद्योग के प्रति सहानुभूति है। किन्तु प्रश्न यह है कि पांचवीं योजना में हमारे विस्तार संबंधी कार्यक्रम के लिये विस्तृत रूप से ध्यान रखा गया है। हमें 58 लाख तकलों और 85,510 करधों की आवश्यकता है। इतनी बड़ी आवश्यकता को देशीय उत्पादन से पूरा नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यदि हमारी समस्त उत्पादन पहले की तरह होता रहे तो वह भी हमें पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। दूसरा जिस तरह की मशीनों की हमें जरुरत है वह भी महत्वपूर्ण है। कुछ प्रकार की मशीनों का तो उत्पादन ही नहीं किया जाता। तीसरा मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि केवल अमरीकी मिशन के यहाँ आने से ही कोई वचन नहीं दिया गया है और इस बात का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कि हम केवल अमरीकी मिशन से इन्हें खरीदेंगे। यह बात मूल्य प्रतियोगिता माल की सप्लाई के समय माल की किस्म, उधार शर्तों आदि जैसे अन्य कारणों पर निर्भर करती है।

कपास निगम में वित्तीय कठिनाई

*44. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जहां तक भारतीय रुई निगम के कार्यचालन के परिणामों का संबंध है, यह निगम आरम्भ से ही बराबर लाभ कमा रहा है। किन्तु रुई की बाजार से खरीदारी करने के लिए निगम को वित्तपोषक संस्थाओं से भारी ऋण सुविधाओं की जरुरत पड़ती है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेश के आधार पर वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा हल ही में ऋणों पर रोक लगाये जाने से निगम को कुछ कठिनाई उठानी पड़ी है। सरकार इस निगम को कार्यकारी पूंजी के रूप में अग्रिम धन देकर उसके वित्तीय स्रोत बढ़ाये जाने की संभावना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

Shri Yamuna Prasad Mandal : It is a matter of great pleasure that the cotton corporation is doing good work and showing profits also. "The Economic Times" says that the condition of this Corporation is not good. But we believe that this Corporation is doing good work. The able persons like Shri Panjhazari are connected with it (*Interruptions*) The State of Gujarat has been growing a good quantity of cotton. I want to know whether it is purchased there in the same manner in which it is purchased in other states and if not the reasons therefor?

Mr. Speaker : How the Hon'ble member is making the matter of Gujarat relevant to the main question.

श्री यमुना प्रसाद मण्डल : यह तो मैंने एक उदाहरण दिया है। क्या माननीय मंत्री कुछ अन्य कपास पैदा करने वाले राज्यों हरियाणा और पंजाब के संबंध में भी कुछ खरीद के आंकड़े दे सकते हैं, क्यों कि पंजाब एक बहुत ही अच्छी किस्म की कपास पैदा करता है?

Mr. Speaker : The question could not become relevant by refixing to Punjab.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं माननीय सदस्य का बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने भारतीय रुई निगम की भूमिका और कार्य की सराहना की है। 1973-74 के दौरान भारतीय रुई निगम की खरीद योजना संबंधी प्रश्न के बारे में, उदाहरणार्थ गुजरात में कपास की 22 लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है और भारतीय रुई निगम का विचार इसमें से 12 लाख गांठे खरीदने का है। यदि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को एक साथ मिला दिया जाये, तो इसका 18 लाख गांठों का उत्पादन होने का अनुमान है और भारतीय कपास का निगम का विचार आठ लाख गांठे खरीदने का है।

Shri Yamuna Prasad Mandal : The Reserve Bank of India does not want to give enough money to such corporations and it has also issued instructions for credit squeeze. The Hon'ble Minister says that the Government are making every possible effort in this regard. Whether the Government would ask Reserve Bank of India, to give more money to the Corporation, so that the farmers may be benefited from it.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने इस बात का उल्लेख कर दिया है। किन्तु रिजर्व बैंक आफ इंडिया का अपना दृष्टिकोण तथा कठिनाईयां है। अतः ऋण नियंत्रण नीति को अपनाने तथा कार्यान्विति करने के संबंध में उसने अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित की हुई है। हमने इस मामले पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के साथ बातचीत की है। वे इस संबंध में सहानुभूति रखते हैं। किन्तु यदि यह बात न भी मानी जाये, तो भी हम पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम इस बारे में सफल हो जायेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Cotton Corporation of India was given full powers to purchase cotton from the market and traders and other institutions were deprived of this power as Cotton trade was nationalised. The Hon'ble Minister has admitted that the Cotton Corporation of India has been facing financial crisis. May I know whether due to this reason the Government or Cotton Corporation of India have allowed the traders to purchase thé Cotton ?

ो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमने गैर-सरकारी व्यापारी को कपास खरीदने से रोका नहीं है किन्तु जैसा कि हमारी नीति रही हैं, हम यह सुनिश्चय करने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्य रूप से कपास निगम ही खरीद, ताकि कपास के उत्पादकों को उचित मूल्य मिले।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : श्री मंडल द्वारा मंत्री महोदय की इस बात के लिये सराहना की गयी है कि कपास निगम कुछ लाभ अर्जित कर रहा है। किन्तु क्या मैं उनका ध्यान निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात में बड़े पैमाने पर किये गये कदाचारों की और दिला सकता हूँ और यदि इस संगठन को सुचारू रूप से चलाया गया होता, तो उनको और अधिक लाभ हुआ होता? पहली बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है? दूसरा ऋण नियंत्रण के बारे में, यह एक ऐसी वस्तु है जो किसानों को बहुत अधिक लाभांश दे रही है और मुंगफली के तेल अथवा किसी अन्य वस्तु की तरह इसकी चोर बाजारी नहीं की जा सकती। यदि ऋण नियंत्रण को लागू किया जाता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री रिजर्व बैंक से इस प्रकार की वस्तुओं पर ऋण संबंधी नियंत्रण न लगाने के लिये कहेंगे, जिससे किसानों को सहायता मिलेगी और इससे रुई निगम द्वारा एकाधिकारक खरीद भी आसान हो जायेगी?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि हमने इस संबंध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया से बातचीत की है और उसकी प्रतिक्रिया सहानुभूतिपूर्ण है।

कथित भ्रष्टाचार के अन्य प्रश्नों के बारे में, मैं केवल यह कह सकता हूँ कि यदि कोई विशेष आरोप हमारे ध्यान में लाये जायें, तो हम प्रसन्नतापूर्वक उन पर विचार करेंगे और उस संबंध में उचित कार्यवाही भी करेंगे।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : उनकी सूचना आपको दे दी गयी है।

Shri Pannalal Barupal : Whether it is a fact that earlier traders used to purchase good cotton at the rate of Rs. 270 to Rs. 300. But when this function of purchasing of cotton was taken over by the Cotton Corporation, the price of cotton was increased from Rs. 270/- to Rs. 300/- and then from Rs. 300/- to Rs. 330/-. When their financial condition deteriorated the prices came down from Rs. 330 to Rs. 300 and then from Rs. 300/- to Rs. 270/-. If it was so whether the arrangements are being made to purchase the Cotton from the farmers directly, so that the farmers may not suffer?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : गंगानगर जिले के कपास उत्पादकों की विशिष्ट कठिनाई के बारे में मुझे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, किन्तु चूँकि माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया इसलिये मैं निश्चित रूप से इसकी और ध्यान दूंगा।

Shri Ram Singh Bhai: Hon'ble Minister has said that if any omission on the part of the Corporation is brought to his notice he will take note of it. Has his attention been drawn to this matter that the Corporation did not purchase the cotton direct from the farmers but it did it through the middlemen and sold it at the rate of ¾cms fibre instead of ½ cms fibre and sufferred loss.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : भारतीय रुई निगम की नीति रुई को सीधे उत्पादकों से क्रय करने की है। कुछ मामलों में यह सम्भव हो सकता है कि वे बिचौलियों से खरीदे लेकिन नीति यही है कि जहां तक सम्भव हो, क्रय सीधे उत्पादकों से किया जाय।

श्री एस० आर० दामाणी : मंत्री महोदय ने निगम द्वारा क्रय की जाने वाली मात्रा अथवा इस हेतु लिये गये निर्णय का जिक्र किया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि विभिन्न राज्यों से क्रय किये जाने वाली मात्रा तथा निश्चित मूल्य क्या है और इसका पूरा ब्यौरा क्या है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह प्रश्न बहुत बड़ा है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। लेकिन मैं तो रुई बुनकरों की आर्थिक कठिनाईयों के बारे में ही उत्तर दे सकता हूँ। यदि ये इस बारे में मुझे लिखे तो मैं सहर्ष जानकारी एकत्र करके उन्हें दूंगा।

श्री एस० आर० दामाणी : इन्होंने मात्रा का जिक्र किया है। मैं केवल उस बारे में ही प्रश्न पूछना चाहूंगा। उनका क्रय मूल्य क्या होगा? यही कुछ मैंने पूछा था। क्या इस बारे में नीति संबंधी कोई निर्णय लिया गया है? मेरा प्रश्न मात्रा के बारे में सदन में मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में है।

अध्यक्ष महोदय : श्री यमुना प्रसाद मंडल ने प्रश्न पूछ कर इस प्रश्न क विषय को बढ़ाया है। उन्होंने गुजरात तथा अन्य स्थानों की बात की है। इसके बावजूद भी मैंने उनका ध्यान प्रसंग पर बोलने की और दिलाया। आपने उत्तर दिया। अब आप अपने ही उत्तर के शिकार हैं। अब आप इसका उत्तर दें।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : भारतीय रुई निगम अपनी वाणिज्यिक आ सूचना तथा वाणिज्यिक अनुमान के अनुसार समय समय पर अपनी नीति संबंधी निर्णय लेता है, सब राज्यों के लिये समान मूल्य नहीं है। महाराष्ट्र जैसे भी राज्य है। कुछ समय पहले तक एकाधिकार क्रय मूल्य था। अतः यह सब रुई निगम को उपलब्ध वाणिज्यिक आसूचना तथा सूचना पर निभर करता है।

विद्युत् प्रजनन और आवास कार्यक्रमों के लिए बैंकों द्वारा धन दिया जाना

***47. श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी :**

श्री के० मालन्ना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर ने राज्यों से कहा है कि बैंक संसाधनों पर भारी दबाव होने के कारण बैंक विद्युत प्रजनन और आवास जैसे कार्यक्रमों के लिये धन नहीं दे सकते ;

(ख) क्या राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को शीघ्रता से ऋण देने, ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र शाखाएं खोलने और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को उदारतापूर्वक धन दिये जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) क विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सम्भवत: माननीय सदस्यों का संकेत रिजर्व बैंक के गवर्नर और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के विचारों की ओर है, जो उन्होंने 2 जनवरी, 1974 को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीयकृत बैंकों के उत्तरी क्षेत्र की प्रादेशिक सलाहकार समिति की दूसरी बैठक में व्यक्त किये थे जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री ने की थी।

इस बैठक में, गवर्नर ने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके निगमित निकायों द्वारा जारी किये जाने वाले बाजार ऋणों में अधिक से अधिक पूंजी लगाने और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के विषय में बैंकों की जिम्मेदारियों की और संकेत किया। इस पृष्ठभूमि में, गवर्नर ने यह महसूस किया कि बिजली उत्पादन योजनाओं और आवास कार्यक्रमों के लिए बैंकों द्वारा अधिक ऋण देना सम्भव नहीं हो सकेगा क्योंकि इनमें से कई योजनाओं के लिए इन निकायों द्वारा जारी किये जाने वाले बाजार ऋणों में पूंजी लगाने के अप्रत्यक्ष तरीके के अलावा, बैंकों द्वारा और कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती।

इस बैठक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से ग्रामीण और बैंकरहित क्षेत्रों में बैंकों की और शाखाएं खोलने तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए और पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के लिए और ऋण देने पर जोर दिया था। ये उद्देश्य सभी को मान्य हैं और बैंक इन्हें पूरा करने का बराबर प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने "बिजली उत्पादन योजनाओं और आवास कार्यक्रमों के लिये" आदि आदि कहा है। उन्होंने विवरण में यही कहा है। इन दो संस्थाओं को दी गयी राशि का ब्यौरा क्या है?

श्री के० आर० गणेश : अभी मेरे पास तथ्य उपलब्ध नहीं है। प्रश्न उत्तरी सलाहकार समिति की जोनल समिति की दिल्ली में हुई बैठक के दौरान हुई कुछ चर्चा से सम्बन्धित है। यह प्रश्न राज्यों के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा आवास तथा बिजली उत्पादन बिजली के वितरण संबन्धी योजनाओं के लिये वाणिज्यिक बैंकों से ऋण की मांग से सम्बन्धित था।

ये एक विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या कोई अग्रिम राशि दी गयी है। इस समय मेरे पास आंकड उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं इन्हें इनको दे सकता हूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आपने कहा है इनके कि लिये बैंकों द्वारा ऋण देना सम्भव नहीं हो सकेगा। आपका इससे क्या तात्पर्य है?

श्री के० आर० गणेश : इसका अर्थ यह है कि विभिन्न क्षेत्रों को देने के लिये बैंकों के पास धन है। बिजली तथा आवास लम्बी अवधि की परियोजनाएं हैं। बैंक यथाशीघ्र पैसा देना चाहती है। बैंकों की सामान्य नीति यह रही है कि छोटी अवधि की परियोजनाओं के लिए धन दिया जाय। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा था कि आयोजन तथा राज्य सरकारों के अधीन अन्य क्षेत्रों में आवास तथा बिजली जैसी लम्बी अवधि की परियोजनाओं

के लिये राशि उपलब्ध है । वाणिज्यिक बैंकों के लिये ऐसा करना सम्भव न होगा, बैंको द्वारा परियोजनाओं के लिये वित्त दिये जाने हेतु कुछ अनुपात निश्चित कर दिया गया है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्यों के मंत्रियों ने रिजर्व बैंक से ग्राम्य क्षेत्रों में अधिक शाखायें खोलने का अनुरोध किया है, लेकिन ग्राम्य क्षेत्रों में बैंक खोलते हुए क्या वे चोरी आदि की आशंका दूर करते सम्बन्धी सावधानी वरत रहे हैं। अभी हाल में, आंध्र प्रदेश में, ग्राम्य बैंक से 6 लाख रुपये की राशि लूटी गयी। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या नीति है? ग्राम्य क्षेत्रों में बैंक खोलते समय क्या ग्राम्य शाखाओं के कर्मचारियों के संरक्षण सम्बन्धी सावधानी बरती जायेगी?

श्री के० आर० गणेश : यह प्रश्न ऐसा नहीं है जो समय में नहीं आता क्योंकि देश की अर्थ व्यवस्था का सुधार करने के लिये अधिक से अधिक बैंक खोलने की मांग है। उस नीति के अनुसार ग्राम्य क्षेत्रों में अधिक से अधिक बैंक खोले जाते हैं। ग्राम्य क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें भी खोली जाती हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद अधिकांश बैंक ग्राम्य क्षेत्रों में खोले गये। उन शाखाओं में होने वाली चोरी तथा सुरक्षा के बारे में इन्होंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है जिनके बारे में यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

Shri Ramavatar Shastri : The Government has stopped the sanction of housing loan to the Government employees and others. In view of this will it not be proper if house loans are sanctioned by the Banks so that the employees could construct the houses? What are the views of the Government over this issue?

श्री के० आर० गणेश : वाणिज्यिक बैंकों को अपने साधन को देखते हुए कुछ प्राथमिकताओं के आधार पर ही ऋणों का भुगतान करना पडेगा। कुछ क्षेत्र प्राथमिकता के हैं। कृषि, छोटे उद्योग, सडक परिवहन आदि आदि अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र है, कुछ बैंकों ने अपने खाते दारों को भी मकान बनाने के लिये अग्रिम धन दिया है ताकि वे फालतू राशि उनके लिये जुटा सकें, मैं इस बारे में किसी निश्चित नीति का जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि ये सब उपलब्ध साधनों तथा विभिन्न क्षेत्रों को नियतित राशि पर निर्भर करता है। अर्थ व्यवस्था के हित में यह जरूरी है कि इसे शीघ्र ही प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिया जाय।

श्री के० लकप्पा : राष्ट्रीयकरण का मूल लक्ष्य ही विफल हो गया है क्योंकि पिछडे क्षेत्रों को ऋण देने पर पाबन्दी लगायी गयी है, उदाहरण के लिये देश के ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि पर आधारित उद्योगों के लिये भी पाबंदी लगायी गयी है। यह पाबंदी हटायी नहीं गयी।

अध्यक्ष महोदय : आप भूमिका न बांधे, अपना प्रश्न पूछे।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न यह है कि कृषि पर आधारित इस प्रकार की पाबन्दियों से विकासाधिन क्षेत्रों की समस्याएं और बढ जायेंगी। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा आश्वासन देंगें कि इस प्रकार की पाबंदियां हटा दी जायेंगी, अन्यथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष पैदा हो जायेगा?

श्री के० आर० गणेश : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई पाबंदियां नहीं हैं।

श्री के० लकप्पा : पाबंदियां हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण नहीं दिये गये है और सभी बैंक ऋण देने से इंकार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इतने लम्बे प्रश्न का मंत्री महोदय ने इतना संक्षिप्त उत्तर दिया है। मेरे विचार में ये असमर्थ हैं। मैं यही कह सकता हूं।

श्री के० लकप्पा : मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई पाबंदियां हैं अथवा नहीं और क्या पाबंदियां हटायी जा रही हैं ?

श्री के० आर० गणेश : मैंने कहा है कि जहां तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इस प्रकार कोई भी पाबन्दियां नहीं है।

श्री एम० सुदर्शनम : ऋण पर लगी पाबंदियों से सम्भावित परिणाम नहीं निकले। ऋण पर लगी पाबंदियों से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। क्या सरकार इस स्थिति पर विचार करने के लिये तैयार है ?

श्री के० आर० गणेश : ऋण विनियमन मूल प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता। यदि आप चाहते हैं, तो मैं इसका उत्तर देने का प्रयन्न करता हूं। पहली बात यह है कि यह प्रश्न ऋण पर लगी पाबन्दी का नहीं बल्कि ऋण विनियमन तथा आयोजन का है जो वर्तमान स्थिति में बढती मुद्रास्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये जरूरी था, जहां तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, निर्यात, बिल मार्केट तथा सभी अन्य उत्पादन आवश्यकताओं क सम्बन्ध है, इनके लिये ऋण उपलब्ध किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has stated that sanction of loan has not been stopped. It is correct that the sanction has not been stopped but it is also correct that people are not getting the loan easily its speed is very slow. Is it due to the fact that there has been delay in the recovery of previous loans and presumably the Government thinks that there will be no recovery with the result that speed is slow ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस रुप में नही होना चाहिये कि 'क्यों कि बात ऐसी है, इसलिये ऐसा है, बल्कि सीधा होना चाहिये।

श्री के० आर० गणेश : मैं यदि माननीय सदस्य वर्तमान ऋण विनियमों के सम्बन्धमें कह रहे हों, तो मैं उन प्रश्न को नहीं समझा सका।

अध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न यह है कि चूंकि पहले ऋणों की वसूली नहीं हो सकी इसलिये ऐसा किया गया।

श्री के० आर० गणेश : ऋण पर पाबन्दी इस कारण नहीं है कि पहले ऋणों की वसूली नहीं हुई। तुलन पत्रों में इनके लिये तथा अन्य ऋणों के लिये व्यवस्था की गयी है। इन ऋणों की वसूली नहीं हो सकेगी। ऋण पर पाबन्दी इसलिये नहीं है कि कुछ ऐसे ऋण हैं जिनकी वसूली नही हो सकती।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार और रिजर्व बैंक के वरीयता सिद्धान्त एक से ही है या भिन्न हैं ? यदि वे भिन्न हैं तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक बिजली और सरकार तथा योजना आयोग के अनुसार जनता के लिए तुरन्त आवश्यक आवास के लिए तथा अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए ऋण क्यों नहीं मिल रहे हैं जैसे कपास निगम को जो किसानों से कपास खरीदनी है, अधिक क्रय के लिए ऋण उपलब्ध नहीं है, यद्यपि यह निगम लाभ पर चल रहा है। क्यों रिजर्व बैंक इन तीनों महत्वपूर्ण मदों के लिए ऋण नहीं दे रहा है जो सरकार के अनुसार वरीयता वाले क्षेत्र है ? इस संबंध में और बैंकों के संबंध में सरकार के सिद्धान्त क्या है ? क्या राष्ट्रीयकरण के बाद नीति में कोई ढील आई है ?

श्री के० आर० गणेश : मैं पहले बता ही चुका हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण के लिए वरीयता प्राप्त क्षेत्र सर्वविदित है – वे हैं कृषि, लघु उद्योग, सडक परिवहन और बेरोजगार व्यक्ति ।

जहां तक विद्युत उत्पादन और आवास निर्माण का संबंध है, इनके लिए अन्य क्षेत्रों में उपबंध किए जाने से, जैसे योजना आयोग द्वारा नियतन करना और इनका योजना में शामिल होना, वाणिज्यिक बेंकों में उपलब्ध धन पर प्रभाव पडता है और हाल में कतिपय आय व्यय अनुपात भी निश्चित किया गया है । उसी बैठक में रिजर्व बैंक की राय थी कि क्यों कि ये सभी दीर्घकालिक परियोजनाए हैं, अत: वे इनके लिए ऋण नही दे पाएंगे।

ग्राम विद्युतीकरण और पम्पो को बिजली देने आदि के बारे में रिजर्व बेंक ने बताया है कि वह उन्हें सहायता देता रहेगा।

निर्बाध व्यापार क्षेत्र

*48. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ इस प्रकार 'के निर्बाध व्यापार क्षेत्र' हैं जहां उद्योगों को 100 प्रतिशत निर्यात के लिए बनाये गये सामान की आसान शर्तों पर बेचने की अनुमति है; और यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र कौ कौन कौन से है और वे आसान शर्ते क्या हैं; और

(ख) क्या इस प्रकार के कुछ और 'नये निर्बाध व्यापार क्षेत्र' बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पी० आर० शिनाय : मुझे कहना पडता है कि मंत्री महोदय का उत्तर सही नहीं है और इस प्रकार के तथ्य छिपाने वाले उत्तर पर मैं विरोध प्रकट करता हूं । मंत्री महोदय केवल एक अर्धविराम छूटने से पूरे प्रश्न को गोल नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पता है कि सांताक्रुज़ और कांडला में ऐसे क्षेत्र है जहां केवल निर्यात करने पर काफी रियायत दी जाती हैं ।

श्री ए० सी० जार्ज : मेरा निवेदन है कि मेरा उत्तर गलत नहीं है । सदस्य महोदय ने पूछा था कि क्या ऐसे निर्बाध क्षेत्र हैं जहां उद्योगों को उदार शर्तों पर बिक्री की छुट है और अर्धविराम लगा हो जा नहीं, ऐसी स्थिति न कांडला में है न ही सांताक्रुज़ में है ।

श्री वसन्त साठे : यह उत्तर ठीक नहीं है, मंत्री महोदय को कहना चाहिये था कि ऐसे क्षेत्र तो हैं परन्तु वहां यह छूट नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहियें। यदि इस संबंध में कोई संदेह होता तो मंत्री महोदय ने भी शिनाय की धारणा को ठीक कर दिया होता परन्तु सदस्य महोदय ने तो उनका स्वरूप ही बदल दिया है ।

श्री वसन्त साठे : मंत्री महोदय के 'जी नही' कहने से तो देश को भ्रान्ति होती है ।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं इन सब का उत्तर पूरक प्रश्नों में उत्तर देने ो तैयार हूं।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : प्रश्न के दूसरे भाग में नए निबीध क्षेत्र बताने के बारे में पूछा गया था . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इस को देखूंगा।

श्री वसन्त साठे : हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं आपकी अनुमति से प्रश्न का दूसरा भाग पढता हूं, यह है, क्या इस प्रकार के कुछ नए क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है?

श्री वसन्त साठे : उनका उत्तर फिर टालमटोल करने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने तो देखा है कि मंत्री महोदय ऐसे उत्तर देने के बजाय अतिरिक्त जानकारी भी दे सकते हैं लगता है कि मंत्री महोदय ने व्यस्त होने के कारण जो उत्तर तैयार किया गया उसे ध्यान से देखा नहीं है। मंत्री महोदय इस प्रश्न पर पुन:विचार करें और बाद में उत्तर दें।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं अब भी पूरक प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इन बातों को छोडिये और सदस्य महोदय को बाद में उत्तर दें।

श्री वसंत साठे : सभा को उत्तर मिलना ही चाहिये। वह उत्तर देने को तैयार है फिर आप क्यों उन्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मूल प्रश्न के ऐसे उत्तर के बाद भी सदस्य पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री पी० आर० शिनाय : मेरे प्रश्न के क्या दोष है?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उन्हें आपको उत्तर देने के लिए कह तो दिया है। अगला प्रश्न।

हस्तशिल्प क्षेत्र में अधिक रोजगार अवसरों का बनाया जाना

*51. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय हस्तशिल्प क्षेत्र की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के कुछ उपायों पर सक्रिय रुप से विचार करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगती हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिये कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें 8 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय होगा। आशा है कि इस कार्यक्रम के साथ साथ राज्य सरकारों/।संघिय प्राधिकरणों के विकासात्मक कार्यक्रमों से 3–4 लाख

अतिरिक्त व्यक्तियोंको रोजगार मिलेगा। वर्ष 1974–75 के लिये 1.07 करोड़ रुपये के विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन की योजना तैयार की गयी है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात की बड़ी संभावनाएं है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि गत वर्ष भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं की कितनी वास्तविक बिक्री हुई, इसे कैसे बढाया जाएगा और इस क्षेत्र को कारीगरों के प्रशिक्षण और कम व्याज पर ऋण आदि देने की क्या सुविधाएं दी जाएंगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : हस्तशिल्प की वस्तुओं का हमारा निर्यात बढता जा रहा है। 1971–72 में हमरा निर्यात 38.8 करोड का हुआ जो 1972–73 में बढ़कर 51.8 करोड रुपये का हो गया। ऋण सुविधाओं की व्यवस्था राज्य हस्तशिल्पबोर्डों और सहकारिताओं के माध्यम से दी जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र से अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड नए उत्पादों औजारों और निर्माण विधियों का विकास करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है।

श्री वसन्त साठे : हस्तशिल्प क्षेत्र में इस समय कितने व्यक्ति लगे हुए है और गत दो वर्षों में उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और इस और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री ए० सी जार्ज : यह क्षेत्र बहुत ही बिखरा हुआ क्षेत्र है। 1961–62 के अनुमान लगाया गया था कि इस में लगभग 10 लाख कारीगर है और 1971–72 में वे बढकर 14 लाख हो गए थे। हमारा आशय इसमें 4 लाख की और वृद्धि करने का है और इसके लिए विपणन सुविधाए निर्यात संवर्धन, अधिकाधिक नए उत्पाद और उनकी निर्माण विधियों में सुधार का प्रयास किया जा रहा है।

श्री डी० डी०. देसाई : भारी उद्योगों के लिए पूंजी मिलने में कठिनाई को देखते हुए क्या मंत्रालय देश में व्याप्त बेकारी दूर करने के लिए हस्तशिल्प में प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाएं खोलने पर विचार कर रहा है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह क्षेत्र केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की एजेंसियां चलाती है। पांचवी योजना में हमने केन्द्रीय क्षेत्र में 8 करोड रुपये रखे है और राज्य सरकारों की इस क्षेत्र के लिए अनेक एजेंसियां और गतिविधियां के बावजूद पहले वर्ष में ही 1.07 करोड रुपये खर्च किए जाएंगे। पाचवीं योजना में हमारा आशय इनका निर्यात 110 करोड रुपये तक बढाने का है और इसके लिए हमने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बना रखा है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय कभी 3–4 लाख और कभी 4 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते है। उन्हें ठीक-ठीक बताना होगा कि वास्तव में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ? दूसरे कुछ हस्तशिल्प ऐसे हैं जहां रोजगार की संभावनाएं इसके विशेष कलात्मक होने के कारण बहुत कम हैं, इसलिए इन्हें अधिक सहायता न दी गई तो ये अगले 1–2 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे ? इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाएगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने पहले ही कहा है कि यह क्षेत्र बहुत ही बिखरा हुआ है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की संभावनाओं के बारे में ठीक संख्या नहीं बताई जा सकती, इसी लिए मैंने 3–4 लाख बताया था। हमारा प्रयास इसमें अधिकतम वृद्धि करने का रहेगा ? कुछ क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि की संभावनाएं कम है और वह कला बाप से बेटे को मिलती है—इन क्षेत्रों को अंकित कर के हम इनकी ओर भी पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैं।

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की वसूली

*54. **श्री रानेन सेन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम द्वारा वर्ष 1973 से कच्चे पटसन की वसूली के लिए रखा गया लक्ष्य बहुत कम था यद्यपि पटसन की फसल बहुत अच्छी हुई थी;

(ख) क्या इसी कारण कच्चे पटसन के लिए पहले ही निर्धारित कम मूल्य में और अधिक गिरावट आई; और

(ग) यदि हां, तो कच्चे पटसन की खरीद बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) मौसम के लिए 10–12 लाख गांठों का लक्ष्य रखा गया था जो कि भारतीय पटसन निगम और सहकारी समितियों की क्षमता के अनुकुल था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भारतीय पटसन निगम का खरीदारी लक्ष्य गत वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक है और भारतीय पटसन निगम के कार्य परिणाम को बढ़ाने के अवलावा पर्याप्त उठान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने पटसन (लाइसेंसिग तथा नियंत्रण) आदेशों में की गई व्यवस्थाओं का भी उपयोग किया है ताकि उद्योग भारी मात्राओं में कच्चा पटसन खरीद सके ।

डा० रानेन सन : भाग (क) का उत्तर पूर्णतया भ्रामक है । सभी जानते हैं कि कच्चे पटसन का मूल्य काफी घटा है और यदि आपकी अनुमति हो तो कलकत्ता में वर्तमान बाजार भावों का विवरण मैं सभा-पटल पर रख सकता हूँ । तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार और यहां अनेक सदस्य पटसन का मूल्य बढ़वाना चाहते थे ? यदि हां, तो सरकार इसके मूल्य को कम क्यों रखना चाहती है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह ठीक है कि अनेक सदस्य ऐसा चाहते है परन्तु कृषि मूल्य आयोग ने इसकी जांच की है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने उत्पादन मूल्य की जांच करके इससे भी कम मूल्य का सुझाव दिया है जिसको हम नहीं माने, अतः 157.58 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य उक्त आयोग की 125 रुपये प्रतिक्विंटल की सिफारिश से कुछ अधिक ही है । इस प्रकार हमने पटसन उत्पादकों की भरसक सहायता करने का प्रयास किया है परन्तु यह भी ठीक है कि क्रय केन्द्रों की व्यवस्था के पर्याप्त न होने के कारण हम सभी मामलों में सफल नहीं हुए । अगले वर्ष हम इसे यथासंभव लागू करने का प्रयास करेंगे ।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय जानते हैं कि पश्चिम बंगाल और बिहार विधान सभाओं ने 157 रुपये से अधिक की राशि का अनुमान लगाया था । पश्चिम बंगाल विधान सभा ने 180 रुपये प्रतिक्विंटल का हिसाब लगाते समय उत्पादन लागत का भी विचार किया था । क्या मंत्री महोदय ने इस बात का भी ख्याल रखा है ?

प्रो० डी० टी० चट्टोपाध्याय : वास्तव में जब भारतीय पटसन निगम ने 157.58 रुपये प्रति-क्विंटल का भाव निश्चित किया था तब पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री का सुझाव भी ध्यान में रखा गया था । वास्तव में मैं और वह दोनों वहां उपस्थित थे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इटली और भारत के बीच व्यापार सम्बन्ध

***43. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री चौधरी राम प्रकाश :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली और भारत के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की काफी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां। इटली और भारत के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।

(ख) भारत और इटली के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये एक संवर्धनात्मक वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बाजारों में सम्भाव्यता रखने वाले उत्पादों का, और विशेष रूप से निर्यात अभिमुख आधार पर सहयोग की गुंजाइश प्रदान करने वाले क्षेत्रों का पता लगाना, निर्यात उत्पादन आधार के सृजन/विस्तार की सुविधाएं, उत्पाद अनुकूलन और परिवर्तन, संवेष्टन और अन्य विपणन सम्बन्धी संवर्धनात्मक उपाय शामिल होंगे।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के एक सदस्य के रूप में इटली ने भारत के उत्पादों के सम्बन्ध में अनेक टैरिफ रियायतें दी हैं। उसने भारत को जी० एस० पी० रियायतें भी दी हैं। ऐसी रियायतों का कारगर रूप में तथा अविलम्ब लाभ उठाने के लिये प्रयत्न किये जाएंगे।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

***45. श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य मूल्यों में गत चार माह के दौरान, विशेषकर दिसम्बर 1973 और जनवरी, 1974 में, और वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो थोक और खुदरा मूल्यों के सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिशतता क्या है और पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में इसकी क्या स्थिति है ; और

(ग) इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी/–6186/74]**

तेल के मूल्य में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निर्यात का द्रुत कार्यक्रम

*46. **श्री बी० मायावत :**

श्री एच० के० एल० भगत :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण आयात पर होने वाले अधिक व्यय को पूरा करने के लिये निर्यात के नये द्रुत कार्यक्रम पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसे अब तक अन्तिम रूप दिये जाने को सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चटटोपाध्याय) : (क) से (ग) पैट्रोलजन्य तथा तेल उत्पादों के आयात पर होने वाले अधिक व्यय को पूरा करने के लिए अपने निर्यातों में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ सरकार एक द्रुत कार्यक्रम बना रही है। नीति के परिणामस्वरूप निर्यात आय में समग्र वृद्धि होगी, न कि केवल खाड़ी के देशों में ही, क्योंकि किसी भी स्रोत से अर्जित विदेशी मुद्रा हमारी आयात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च की जा सकती हैं।

कार्यक्रम की मुख्य बातें ये हैं :—

(क) तत्काल भविष्य में अधिकतम निर्यात संभाव्यता रखने वाले उत्पादों का पता लगाना ।

(ख) उन स्थानों का पता लगाना जिन्हें इन उत्पादों के निर्यात किये जाने से अधिकतम इकाई मूल्य प्राप्त हो सके ।

(ग) उन उपायों का पता लगाना जिनसे इन उत्पादों के लिए घरेलू उत्पादन आधार का विस्तार और अतिरिक्त निर्यात योग्य अधिशेष का सृजन किया जा सके ।

इस कार्यवाही के परिणामस्वरुप, अपनी निर्यात आय की 1973-74 में लगभग 2,072 करोड़ रु० से बढ़ा कर 1974-75 में 2,500 करोड़ रु० कर देना हमारे लिए संभव होना चाहिए जो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में निर्यातों में 7.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य की तुलना में निर्यात आय में 20 प्र० श० से भी अधिक वृद्धि का द्योतक होगा ।

सूत के उत्पादन और वितरण पर लगा नियंत्रण हटाना

*49. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सूत नियंत्रण काले धन के इकट्ठा होने में सहायक हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सूत के वितरण और उत्पादन पर से नियंत्रण हटाने का निर्णय किया है ?

श्री वाणिज्य मंत्री (प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सूत नियंत्रण के फलस्वरूप काला धन इकट्ठा होने के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है ।

(ख) बिजली की कटौती की पुन:पूर्ति तथा सूत की पर्याप्त अच्छी फसल की संभावना के परिणाम-स्वरूप सूत के उत्पादन में सुधार होता रहा है और अब उत्पादन सामान्य रूप से साधारण स्तर से उपर है। 80 काउंट के सूत के वितरण पर नियंत्रण इसलिए 21 अक्टूबर, 1973 तक अवस्थानों के आधार पर हटाया गया।

दिल्ली में शुष्क पत्तन की स्थापना

*50. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में शुष्क पत्तन की स्थापना करने के लिये इस बीच कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं। प्रस्थापना अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

Import/Export of Cloth during Last Year

***52. Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the figures and salient features of cloth imported and exported by India during the last one year?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : 5724.3 lakh sq. meters of cotton cloth on the form of piecegoods valued at Rs. 121.16 crores was exported during 1973. In addition, there were exports of cotton yarn, apparel, hosiery and other items, taking the total value of exports to Rs. 194.79 crores. Imports of cloth during the year were negligible.

बैंकों से धन न मिलने के कारण आयातित वस्तुओं का सीमा शुल्क विभाग से न छुड़ाया जाना

*53. **श्री एच० एम० पटेल : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा ऋण सीमा स्थित किये जाने के परिणामस्वरूप धन की अनुपलब्धता के कारण बहुत से आयातकर्ता सीमाशुल्क विभाग से आयातित वस्तुएं नहीं छुडा पाए हैं;

(ख) बैंकों की ऋण संबंधी सीमा के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में लागू की गई पुनरीक्षित प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या आयातकर्त्ताओं ने यह मामला औपचारिक रूप से सरकार के समक्ष उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) मुद्रा पूर्ति के व्यापक विस्तार और कीमतों पर पडने वाले दवाब को देखते हुए चालू कारोबारी मौसम में ऋण नीति में जोर विभिन्न प्रयोजनों के लिए बैंक ऋण मंजूर करने पर यथासम्भव अधिक से अधिक नियंत्रण रखने पर है। इस निति के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपाय किये हैं। इन उपायों में और बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र में अन्न की खरीद के क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में ऋण विस्तार की अधिकतम सीमा निश्चित करना, ऋण देने की न्यूनतम दर में वृद्धि करना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से ऋण लेने के संबंध में अधिकतम सीमा निश्चित करना, सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि करना और तालिकागत सामान और

कताबों में दिखाये गये ऋणों पर अग्रिम लेने के लिए मार्जिन में वृद्धि करना शामिल है। इन उपायों ो शुरू करते हुए रिजर्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि इसका सुनिश्चिय करने का विशेष यान रखा जाना चाहिए कि उत्पादन और माल लाने ले जाने की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा रने के लिए बैंक ऋण देने से इन्कार न किया जाय। स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि ण सम्बन्धी सभी उचित आवश्यकताएं, जिनमें माल का आयात करने के कारण उत्पन्न होने वाली ावश्यकताएं भी शामिल हैं, पर्याप्त रूप से पूरी की जा सकें।

Decision taken on the recommendations of Third Pay Commission in respect of Class I Government Officers

*55. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Mallikarjun :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the nature of the decisions taken in respect of Class I Government Officers in the context of the report of the Third Pay Commission; and

(b) the minimum salary fixed in their case and the difference between the minimum salary of Class I Officer and Class IV employees?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) The recommendations of the Third Pay Commission in respect of Class I Services and posts are under consideration of Government.

(b) The Commission has recommended a minimum salary of Rs. 700/-for Class I Officers The minimum salary for Class IV employees decided by Government is Rs. 196/-.

देश में "यूथ होस्टल"

*56. **श्री बी० पी० नायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने यूथ होस्टल हैं और वे कहां कहां पर स्थित है; और

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इन यूथ होस्टलों का विस्तार करने का कोई कार्यक्रम है और यदि हां, तो इसकी रूप रेखा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 15 (अमृतसर, औरंगाबाद, भोपाल, डलहौजी, गांधीनगर, दार्जिलिंग, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, नैनीताल, पणजी, पटनीटाप, पंचकुला, पुरी और त्रिवेंद्रम)।

(ख) फिलहाल पांचवीं योजनावधि में इन युवा होस्टलों के विस्तार के किसी कार्यक्रम का विचार नहीं है। किन्तु पांचवीं योजनावधि के दौरान हम्पी और पांडीचेरी तथा संभवतया कुछ अन्य स्थानों पर युवा होस्टलों के निर्माण का प्रस्ताव है।

Development of Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, Amarnath, Vrindavan and Ayodhya as tourist centres

*57. **Shri Phool Chand Verma :**

Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a large number of persons are attracted to Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, Amarnath, Vrindavan and Ayodhya;

(b) if so, the action taken so far and proposed to be taken in future to develop these places as tourist centres; and

(c) the nature of facilities provided by Government at each of these centres?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) During the earlier plans an expenditure of Rs. 4.20 lakhs was incurred as Central share under Part-II schemes in providing accomodation facilities along the Badrinath-Kedarnath pilgrim routes. Since the abolition of Part-II for Centrally aided schemes the development of centres for pilgrim traffic has been largely the responsibility of State Governments. The Governments concerned provide transport facilities and accommodation on the route, within their resource limitations.

Export of Pig Iron in view of Oil Crisis

***58. Shri Shrikrishna Agarwal :**
Shri E. V. Vikhe Patil :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to restructure the export trade of pig iron keeping in view the rise in the price of crude oil and need to conserve foreign exchange, and

(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) & (b) It has been decided that till domestic supply position improves, no fresh commitments for export of pig iron should be entered into.

सरकार द्वारा घोषित मित व्ययिता उपायों की सफलता

***59. श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित मितव्ययिता उपाय सरकार के योजना एवं गैर-योजना व्यय कम करने में सफल रहे हैं और विभिन्न सेक्टरों में अब तक प्राप्त हुई सफलता के आंकडे क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी व्यय को और कम करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और इस दिशा में किये गये निर्णयों को दृढता से क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6187/74।]**

बंगला देश के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

***60. श्री एम० सुदर्शनम् :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल दिसम्बर, 1973 में भारत के दौरे पर आया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई और क्या समझौते हुए ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल ने पटसन तथा पटसन के सामान के उत्पादन तथा निर्यात के संबंध में दोनों देशों के बीच दीर्घावधि सहयोग से संबंधित मामलों तथा दोनों देशों के बीच संतुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबंध के अंतर्गत भारत द्वारा कच्चे पटसन के आयात के बारे में चर्चा की। इन चर्चाओं के दौरान कच्चे पटसन की दो लाख गांठों का आयात करने के लिये एक समझौता किया गया।

ऊनी चीथड़ों के चोर बाजार मूल्यों में वृद्धि

401. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊन की रद्दी की कताई करने वालों ने अभ्यावेदन किया है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने इस आधार पर उनका माल रोक रखा है कि आयात लाइसेंसों की शर्तों के अनुसार मूल स्थान पर चीथड़ों को ठीक तरह फाडा नहीं गया है और लगभग 1500–1800 गांठे सीमा शुल्क अधिकारियों के पास पड़ी हैं और नया माल आने पर इन आंकड़ों में भारी वृद्धि हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और आगे क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर सम्बन्धित प्राधिकारियों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

स्टट बैंक आफ इण्डिया, दिल्ली की होजकाजी स्थित शाखा द्वारा मर्करी केबल्स को दिया गया ऋण

402. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया की हौज काजी, दिल्ली स्थित शाखा द्वारा मर्करी केबल्स को 10,000 रुपये का ऋण कच्चे माल की बोरियों के बदले दिया गया ;

(ख) क्या इन बोरियों में रेत तथा बेकार की चीजें भरी हुई थी;

(ग) क्या यह फर्म 1973 के प्रारम्भ में बन्द कर दी गयी थी ;

(घ) क्या ऋण देते समय यह फर्म आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं थी ;

(ङ) यदि हां, तो इस सौदे की मुख्य बातें क्या हैं; और

(च) उक्त राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (च) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक की होज काजी दिल्ली की शाखा ने मेसर्स मर्करी केबल्स को जो अग्रिम दिया था, उसकी पूरी रकम वसूल हो चुकी है और यह फर्म 1973 के शुरू में बंद नहीं हो गई थी। चूंकि दिये गये ऋण और कम्पनी द्वारा बंधक रखी गयी प्रतिभूति के ब्यौरे का सम्बन्ध भारतीय स्टेट बैंक की एक आसामी से है, इसलिए बैंकरों में प्रचलित प्रथा और रीति के अनुसार और साथ ही भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 उपबन्धों के अनुसार कानूनी दृष्टि से बैंक को ऐसे आदेश दिये गये होते हैं जिनके अन्तर्गत बैंक ऐसी जानकारी नहीं देता।

Tax evasion by coal mine companies in Madhya Pradesh

403. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have completed the inquiry into the cases of tax evasion by certain coal mines companies of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the names of these companies and amount of tax evaded in each case ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Genesh) :(a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House as early as possible.

Loan advanced by Nationalised Banks to Owners of Powerlooms in Madhya Pradesh

404. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Finance be pleased to state the amount of loans advanced by the nationalised banks to the owners of powerlooms in Madhya Pradesh during the year 1971-72?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): The available information, which relates to outstanding advances of public sector banks to the owners of powerlooms in Madhya Pradesh State as at the end of March, 1971 is set out below :

	No. of Borrowal accounts	Amount outstanding Rs. in lakhs
Nationalised Banks .	5	0.25
State Bank of India Group . .	276	12.46
TOTAL .	281	12.71

Arrears of Income-Tax against top Thirty parties in Madhya Pradesh

405. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the first thirty parties in Madhya Pradesh against whom maximum arrears of Income-tax are outstanding at present;

(b) the arrears of Income-tax outstanding in each case ;

(c) the action taken by Government to recover the outstanding dues of Income-tax indicating the results thereof; and

(d) the action proposed to be taken in future in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (d) The requisite information as on 31-12-1973 is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Appointment of Committee for Development of Tourist Industry

406. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether any Committee has been appointed to suggest ways and means for the development of tourist industry in the country ; and

(b) if so, the progress thereof?

Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. (Smt.) Sarojini Mahishi): (a) & (b) Yes, Sir. In pursuance of the recommendation made by the Estimates Committee (Fifth Lok Sabha) in its Forty-Second Report that the Government should constitute a representative high powered body to examine in depth the existing

concessions and facilities which are available to the hotel industry, and the need for their being continued and extended in the light of experience gathered in this country and the practice obtaining in other countries, a Committee has been constituted with effect from the 1st February 1974 to review and recommend fiscal and other incentives for the hotel industry. The Committee is expected to complete its work within three months.

जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का रद्द किया जाना

407. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जीवन बीमा निगम किसी न किसी कारण हज़ारों दावों को रद्द कर देता है और पालिसीधारियों द्वारा दी गई प्रीमियम की राशि हड़प जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में पालिसी की अवधि समाप्त होने अथवा पालिसीधारी की मृत्यु हो जाने के बाद कितने दावों को रद्द किया गया; प्रत्येक मामले में दावा रद्द किये जाने के कारण क्या थे और पालिसी कितने कितने मूल्य की थी; और

(ग) क्या सरकार "प्रोपोजल फार्म" को सरल बनाने की वांछनीयता पर और उसकी एक प्रति पालिसी के साथ लगाने पर भी विचार करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी, नहीं। सरकार का खयाल है कि उन पालिसियों की पूरी-पूरी जांच पड़ताल की जाती है जो जोखिम के शुरू होने की तारीख से 2 से 3 वर्षों की अल्प अवधि के भीतर मृत्यु के कारण दावे के रूप में आती हैं और यदि भारत के जीवन बीमा निगम को इस बात का इतमीनान हो जाता है कि कोई खास पालिसी धोखाधड़ी से अथवा जोखिम के संबंध में सूचना के तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गयी है तो उस दावे को अस्वीकार कर दिया जाता है।

(ख) (i) पालिसी की परिपक्वता से उत्पन्न किसी दावे को अस्वीकार नहीं किया जाता है।

(ii) 31 मार्च 1973 को समाप्त होने वाली दो वर्षों की अवधि में लगभग 83 लाख रुपये की बीमाकृत रकम के 1001 दावों को अस्वीकृत किया गया जो मृत्यु के कारण उत्पन्न हुए थे, क्योंकि वे पालिसियों धोखाधड़ी से ली गयीं / फिर से चालू की गयीं थीं अथवा उनमें जोखिम के संबंध में सूचना के तथ्यों को छिपाया गया था।

(ग) "प्रोपोजल फार्म" को सरल बनाने का प्रश्न जीवन बीमा निगम के विचाराधीन है। जीवन बीमा निगम इस बात को आवश्यक नहीं समझता कि पालिसी के साथ "प्रोपोजल फार्म" की एक प्रति संलग्न की जाय। फिर भी पालिसीधारी एक रुपये की नाम-मात्र फीस देकर इस फार्म की एक प्रति प्राप्त कर सकता है।

इण्डियन एअर लाइन्स में फालतु पाइलट

408. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में शिशुक्षु पाइलट को पांच वर्ष के लिये 25,000 रुपये के बंधक-पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते है जबकि वरिष्ठ पाइलटों को ऐसा कोई दायित्व पूरा नहीं करना पड़ता है;

(ख) क्या युक्तिकरण किये जाने के पश्चात् बहुत से वरिष्ठ पाइलट इंडियन एयरलाइंस की आवश्यकताओं से अधिक हो जायेंगी और यदि हां, तो क्या इन पाइलटों को किसी भी विदेशी एयरलाइंस में नौकरी करने की छूट होगी; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप पाइलट-प्रवास हो जायेगा और यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है ताकि सर्वोत्तम प्रतिभा वाले व्यक्ति अचानक इंडियन एयरलाइंस से बाहर न जाने पायें तथा उन्हें भारी नुकसान भी न हो ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस के सभी वरिष्ठ विमानचालक जेट विमानों को उड़ा रहे हैं । जेट परिचालनों के विस्तार के विचाराधिन प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुये, ऐसी कोई आशंका नहीं है कि इंडियन एयरलाइंस में सेवारत कोई भी जेट विमानचालक सरप्लस होगा ।

जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक

409. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो माह के दौरान जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक में 1973 की अच्छी फसल के बावजूद भी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) इस मूल्य वृद्धि के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं क्या इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960-100) अक्टूबर, 1973 के 254 से बढ़कर नवम्बर में 259 और दिसम्बर, 1973 में 260 हो गया ।

(ग) वृद्धि जो मुख्यत: नवम्बर में हुई, वह उत्पादकों को वसूली के लिये अधिक मूल्य देने के परिणामस्वरूप अनाज के निर्गम मूल्य बढ़ने से हुई । उच्च वसूली मूल्य सरकार के पास भण्डार जमा होने और सरकारी वितरण प्रणाली द्वारा अनाज को बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये अभिप्रेत है । नवम्बर में ही विदेशों से आने वाले कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण मिट्टी के तेल की कीमतों में भी भारी वृद्धि होनी लाजमी थी । फिर भी यह महसूस किया गया था कि घरेलू इस्तेमाल के लिए इसकी उपलब्धि में सुधार हो सकता था यदि मिट्टी के तेल और डीजल आयल की कीमतों में समानता रखकर उनकी मिलावट को बन्द कर दिया जाता । ये दोनों उपाय मजबूरी की हालत में अपनाने पड़े और ये इस प्रकार के कदम थे जो हमेशा के लिये थे । इसलिये दिसम्बर के उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक में बहुत थोड़ी सी वृद्धि हुई ।

सहकारी क्षेत्र में विद्युत करघों के लिए वित्तीय सहायता देने में व्याज राजसहायता देना

410. श्री एम० एम० जोसफ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय वित्त मंत्रालय के परामर्श से सरकारी क्षेत्र में विद्युत करघों के लिय वित्तीय सहायता देने में व्याज राजसहायता देने के सुझाव की जांच कर रहा है ताकि सहकारी समितियां 4–1/2 प्रतिशत की रियायती व्याज दर पर सहायता प्राप्त कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग तथा अन्य उचित प्राधिकारियों के साथ परामर्श, यदि हो रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) केरल सरकार ने रिजर्व बैंक की हाथकरघा वित्त योजना को शक्तिचालित करघा सहकारी समितियों पर लागू करने की प्रस्थापना की है । प्रस्थापना पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके अभी विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय हो जाने की आशा है ।

Import of Goods from Poland during 1971-73

411. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the particulars of commodities imported from Poland during the financial years 1971-72 and 1972-73;

(b) the value in rupees of the commodities imported; and

(c) the estimated value in Rupees of the Commodities to be imported during 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) A statement is attached.

(b) 1971-72	. . . .	Rs. 504.5 million
1972-73	. . . .	Rs. 344 million

(c) Trade plans with East European countries are drawn up on calendar year basis. The value of imports from Poland envisaged in 1974 trade plan is of the order Rs. 1000 mllion.

STATEMENT

Commodities imported from Poland during 1971-72 *and* 1972-73.

1. Sulphur crude.
2. Chemical elements and compounds.
3. Dyeing, tanning and colouring materials.
4. Medical and Pharmaceutical products.
5. Fertilisers manufactured.
6. Chemical materials and products.
7. Paper, paperboard and manufactures thereof.
8. Iron and steel.
9. Iron and steel scrap.
10. Zinc.
11. Manufactures of metal.
12. Machinery other than electric.
13. Electric machinery and apparatus.
14. Transport equipment.
15. Professional, scientific and controlling instruments.
16. Scientific, medical, optical measuring and controlling instruments.
17. Photographic and cinematographic supplies.
18. Plastic materials, regenerated cellulose etc.

Exports of Indian Goods to Australia

412. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the commodities exported to Australia during 1970-71, 1971-72 and 1972-73;

(b) the value of exports in terms of Indian rupees;

(c) the future plan of Government in regard to export of Indian goods; and

(d) the estimated value in rupees of the commodities to be exported during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Jute Manufactures, Machinery, Cotton fabrics, Tea, Fish & Fish preparations, Ceshew Kernel and Walnuts, Clothing Pearls, Precious and Semi-precious stones, Coffee and Woollen carpets, Carpettings and rugs.

(b) Rs. 24.46 crores, Rs. 28.00 crores and Rs. 26.06 crores, respectively.

(c) It is our constant endeavour to expand and diversify our exports to Australia.

(d) A target of Rs. 35 crores has been fixed for India's exports to Australia during 1974-75.

भारतीय तथा विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल की यात्राएं

413. **श्री अम्बेश :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय से किन-किन देशों को व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजे गए और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस अवधि के दौरान अपने व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत भेजे?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के सरकारी प्रतिनिधिमंडलों ने कोरिया गणराज्य, नाइजेरिया, घाना, सेनेगल, कीनिया, तंजानिया, जाम्बिया, पश्चिम जर्मनी, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, हंगेरी, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, डेनमार्क, थाइलेंड, जापान, बेल्जियम, स्वीडन, यूगोस्लाविया, कनाडा, अमरीका, रूमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, सोवियत संघ, पौलेंड, कोरिया का लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य, मिस्र का अरब गणराज्य, सूडान, इराक, कुवैत, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, अफगानिस्तान, नेपाल तथा बंगलादेश का दौरा किया।

इसी अवधि के दौरान तंजानिया, मारीशस, जाम्बिया, गिनी, फ्रांस, यूगोस्लाविया, स्पेन, टर्की' जर्मनी संघीय गणराज्य, स्वीडन, कनाडा, बुल्गारिया, सोवियत संघ, पोलेंड, रूमानिया, हंगेरी, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, चैकोस्लोवाकिया, जोर्डन, मिस्र का अरब गणराज्य, अमन, इराक, सूडान, कुवैत, अल्जीरिया, नेपाल, बंगलादेश, अफगानिस्तान तथा जापान के व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया।

Lodging facilities for Tourists in the Country

414. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of the places in the country where loadging facilities have been provided by his Ministry for tourists; and

(b) the amount of daily charges recovered from those staying in these hotels/hostels?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) and (b) The locations of the establishments operated by the India Tourism Development Corporation and the rates charged are given in the attached statement.

Statement

Details of establishments operated by the India Tourism Development Corporation

Location	Type of accommodation	Daily charges			
		Single A/C.	Double A/C.	Single non-A/C.	Double Non-A/C.
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Aurangabad	Aurangabad Hotel	65	110	50	90
2. Bangalore	Hotel Ashoka	95	145		
3. Bharatpur	Travellers Lodge			*30	55
4. Bhuvaneshwar	,,			*40	70
5. Bijapur	,,			*35	60
6. Bodhgaya	,,			*35	60
7. Hassan	Hassan Motel			20	35
8. Jammu	Jammu Motel	40	60	25	45
9. Kanchipuram	Travellers Lodge			*35	60
10. Khajuraho	Khajuraho Motel	55	80	40	65
11. Konarak	Travellers Lodge			*30	55
12. Kovalam	Kovalam Palace Hotel			*35	65
	Kovalam Grove Cottages			90	120
13. Kulu	Travellers Lodge			*40	70
14. Kushinagar	,,			*30	55
15. Madurai	,,			*45	75
16. Mahabalipuram	,,	45	65	30	50
	Shore Cottages	55	80	40	65
17. Manali	Travellers Lodge			*40	70
18. Mandu	,,			*30	55
19. New Delhi	Ashoka Hotel	120	180		
	Akbar Hotel	100	160		
	Qutab Hotel	90	150		
	Janpath Hotel	60—75	100—130		
	Lodhi Hotel	50—55	85	35—40	65
	Ranjit Hotel	50—55	75—85	35—40	55—65
20. Sanchi	Travellers Lodge			*30	55
21. Thanjavur	,,			*35	60
22. Tiruchirapalli	,,			*35	60
23. Udaipur	Laxmi Vilas Palace Hotel	55	80	40	65
24. Varanasi	I.T.D.C's Hotel	60	100	45	85

*With meals.

कारखानों को कच्चे काजुओंकी नियमित सप्लाई बनाए रखने के लिए कार्यवाही

415. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के सैंकडों काजू कारखाने कच्चे काजू उपलब्ध न होने के कारण बन्द पड़े हैं जिसके कारण लाखों लोक बेकार हो गए हैं;

(ख) क्या कच्चे काजू की मात्रा, अफ्रीकी देशों से आयात के लिये राज्य व्यापार निगम ने जिसके लिये करार किया है, कारखानों के कुछ सप्ताह की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये ही पर्याप्त है और क्या नौबहन सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण उपलब्ध मात्रा की डिलीवरी में समय लगेगा; और

(ग) यदि हां, तो आने वाले महीनों में इन कारखानों को कच्चे काजुओं की नियमित सप्लाई बनाए रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) काजू साधित करने का उद्योग मौसमी होने तथा उसकी क्षमता काजू की प्राप्यता से अधिक होने के कारण फैक्टरियां वर्ष में थोडी थोड़ी अवधियों के लिये बन्द हो जाती है ।

(ख) तथा (ग) भारतीय काजू निगम ने अफ्रीकी देशों के साथ उनके द्वारा जनवरी-जून 1974 के दौरान निर्यात के लिये आफर की गई काजुओं की संपूर्ण मात्रा अर्थात् 1,29,000 मे० टन के संबंध में संविदा की है । नौवहन सम्बन्धी तीव्र प्रतिबन्धों के रहते हुए भी भारतीय काजू निगम ने फरवरी से जून, 1974 तक क्रमबद्ध ढंग से संविदा की गई मात्रा के नौवहन के लिये करार किया है । आशा है कि पात्र फैक्टरियों में वितरित किए जाने के लिये फरवरी और मार्च मध्य तक 36,250 मे० टन कच्चा काजू लेकर चार जहाज भारतीय पत्तनों पर पहुंच जायेंगे । आशा है कि उपलब्ध स्थानीय काजू तथा आयात के लिये संविदा की गई मात्रा से फैक्टरियां सितम्बर, 1974 तक चालू रहेंगी । भारतीय काजू निगम द्वारा और माल लाने के लिए क्रमबद्ध रूप से व्यवस्था की जा रही है ताकि पात्र फैक्टरियों को कच्चे काजू की पूर्ति जारी रह सकें ।

कोचीन और कालीकट में नए हवाई अड्डों का निर्माण

416. **श्री वयालार रवि :**

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोचीन और कालीकट में नए हवाई अड्डों के निर्माण के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) कोचीन व कालीकट पर नए हवाई अड्डों के निर्माण के विषय में सरकार द्वारा अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, तथापि पांचवीं योजना के अन्तर्गत इन हवाई अड्डों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

हीरों और मोतियों पर आयात शुल्क समाप्त करना

417. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरे जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद् ने हीरों और मौतियों से बने आभूषणों के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार से इन वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के लिये परिषद् का अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है ।

Loan by International Development Association for expansion of power transmission facilities

418. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of loans to be given to India by the International Development Association for expansion of power transmission facilities in ten States; and

(b) the names of those States where power transmission facilities will be expanded?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) Government of India have signed two agreements with the International Development Association, the soft lending affiliate of the World Bank, for $ 75 million and $ 85 million on May 3, 1971 and May 9, 1973 for expansion of power transmission facilities under Second and Third Power Transmission Projects respectively.

(b) These facilities will be expanded in the States of Assam, West Bengal, Orissa, Bihar, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala and in the Union Territory of Delhi.

Use of Correct Weights and Measures

419. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have appointed necessary staff for ensuring use of correct weights and measures in various cities;

(b) whether they pay frequent visits to the shops for inspecting the weights and measures used; and

(c) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) As enforcement of weights and measures is in the State field, appiontment of employees for ensuring correct weights and measures is carried out by the State Governments. The Central Government has 4 Regional Offices in Bombay, Calcutta, Delhi and Madras, to carry out surveys about the extent to which the correct weights and measures are being used in the country.

(b) It is the statutory duty of the State employees to pay frequent visits for inspecting weights and measures used.

(c) In many States surprise inspections or surprise raids are carried out periodically to check the accuracy of weights and measures, and mobile courts utilised for punishing the offenders.

केरल के लिए बाढ़ राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता

420. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बाढ़ राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को अपर्याप्त केन्द्रीय सहायता देने के बारे में लिखा है;

(ख) क्या केरल को केन्द्रीय सहायता के रूप में केवल 135 लाख रुपए दिये जाने का उल्लेख है जबकि राज्य सरकार ने 635 लाख रुपए की राशि का अनुरोध किया था; और

(ग) केरल की गम्भीर बाढ़ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार केरल को अधिक केन्द्रीय सहायता देने पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया है कि 1.35 करोड़ रुपए की स्वीकृत अधिकतम अधिसीमा के केरल राज्य, राहत व्यय के सिलसिले में 4.50 करोड़ रुपए की सहायता पाने का पात्र है । केन्द्रीय दल से व्यय के संबंध में केन्द्रीय सहायता की पात्रता पर फिर से विचार करने के लिये अनुरोध किया गया है।

रेलवे वैगनों का निर्यात

423. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वैगन विदेशों को निर्यात किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, निर्यात किए गए रेलवे वैगनों की संख्या क्या है ;

(ग) उन देशों के नाम क्या है जिन्हें इनका निर्यात किया गया ; और

(घ) उस एजेंसी का नाम क्या है जिसके माध्यम से वैगन निर्यात किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किये गये वैगनों की संख्या निम्नोक्त प्रकार है :

देश का नाम	1970-71 (संख्याएं)	1971-72 (संख्याएं)	1972-73 (संख्याएं)
बर्मा	..	14	..
ताइवान	104	..	..
घाना	..	95	173
हंगेरी	355	493	18
कीनिया	..	51	78
पोलंड	4	20	322
सूडान	..	66	..
ईरान	..	..	61
युगोस्लाविया	..	..	43
	463	739	695

(घ) निर्यात आर्डर अधिकतर परियोजना तथा उपस्कर निगम के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं ।

जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट के अधिकारियों का हिन्द मोटर्स बोर्ड का सदस्य बनना।

424. **श्री दिनेन भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट के अधिकारियों ने कंपनी के निमंत्रण पर हिन्द मोटर्स बोर्ड की सदस्यता स्वीकार कर ली है;

(ख) बोर्ड ने क्या सदस्य बनने से पहले इन व्यक्तियों ने संबंधित प्राधिकारियों से स्वीकृती ले ली थी; और

(ग) सरकार द्वारा चलाए जा रहे वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों का ऐसे संगठनों के साथ संबद्ध होने से क्या उद्देश्य हल होगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जीवन बीमा निगम के बोर्ड का एक गैरसरकारी सदस्य और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का एक वरिष्ठ कर्मचारी हिन्द मोटर्स के निदेशक बोड में शामिल हुए हैं, क्योंकि कम्पनी के वित्तीय मामलों में और कारोबार के संचालन में कई खामियों का पता चला था ।

(ख) जी हां ।

(ग) नामजद व्यक्तियों से अपेक्षा है कि वे प्रबन्ध का महत्वपूर्ण स्तरों पर नियंत्रण करेंगे जिससे इस प्रतिष्ठान में उपभोक्ताओं के और उन वित्तपोषक संस्थाओं के हितों की रक्षा हो सके, जिन्होंने उसमें काफी ज्यादा पूंजी लगा रखी है ।

आर्थिक क्षेत्र में अमरीका के साथ सहयोग

425. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** :

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीका सरकार ने भारत के साथ आर्थिक गतिविधि के अनेक मुख्य क्षेत्रों में सहयोग करने का संकेत दिया है; और

(ख) क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो वह क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अमरीकी सरकार ने कई आर्थिक क्षेत्रों में भारत के साथ निकट सहयोग की इच्छा प्रकट की है ।

(ख) इस संबंध में अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

"नान-रेजिडेन्ट" भारतियों द्वारा विदेशों से लायी जा सकने वाली विदेशी मुद्रा तथा मशीनों के मूल्य के अधिकतम सीमा

426. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उद्योगों की स्थापना करने के लिये 'नान रेजिडेन्ट' भारतीयों द्वारा लाई जा सकने वाली विदेशी मुद्रा और मशीनों के मूल्यों की निर्धारित अधिकतम सीमा में ढील दिए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों को दी गयी सुविधाओं का ब्यौरा लोक-सभा के दिनांक 23 नवम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 193 के उत्तर में दे दिया गया था। पहले की 5 लाख रुपए की सीमा अक्टूबर, 1973 में बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गयी थी। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है और इनकी सूची 8 फरवरी, 1974 को जारी की गई एक अन्य सार्वजनिक सूचना में दे दी गयी है। इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6138/74**]

Lockout in L. I. C.

428. **Shri M. C. Daga :**
Shri V. Mayavan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of branches together with the locations thereof in which L.I.C. declared lockouts in 1974 indicating the duration of and the reasons for lockout;

(b) whether Government have received the demands of employees of LIC and if so, when;

(c) the salient features of their demands and the decisions taken by Government thereon; and

(d) the terms and conditions of the agreement reached between the Management and employees of L.I.C. and when such an agreement was reached?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) The information is as under :

1. *Name of the Divisional Office—*	*Date on which lockout declared*
Patna, New Delhi, Madras and Bangalore and Machine Deptt. of Dharwar Divisional Office.	9th January, 1974
2. *Meerut Divisional Office*	15th January, 1974.
3. Dharwar Divisional Office (other than Machines Deptt.) and Branch Offices at Belgaum, Bellary, Bijapur, Dharwar, Hubli, Chikodi, Sirsi, Bagalkot and Haveri.	17th January, 1974.

The lockout was lifted with effect from 25th January, 1974.

Reasons for Lookout.—Indisciplined behaviour of employees and their resorting to go slow, work to rule, gherao, mass deputations, wilful and deliberate defiance of lawful office orders/instructions leading to disruption of office work.

(b), (c) & (d) The demands of the employees were discussed between the L.I.C. and the unions of its employees and an agreement was signed on 24th January, 1974.

The demands of the Class III and Class IV employees were for revision of the scales of pay, allowances and other terms and conditions of service. The demands were discussed between the LIC and the Unions of its employees and an agreement was signed on 24-1-1974, the salient features of which are as under :

(1) The Associations have agreed to cooperate with the Management in maintaining discipline and in its endeavour to effect utmost economy in administration and to improve efficiency and productivity so as to ensure that the growth in profitability is maintained which will enable the Corporation (i) to safeguard and advance the interest of the policyholders and (ii) to meet the legitimate demands of the employees for wage revision.

(2) Scales of Pay of Class IV posts like Sweepers, Cleaners, Sepoys and Drivers and Class III posts like Record Clerks, Assistants, Stenographers, Section Heads, Higher Grade Assistants and Superintendents have been revised.

Dearness Allowance.—The existing dearness allowance scheme will continue i.e., 75% neutralisation in the case of Class III and 100% in case of Class IV.

House Rent Allowance.—House Rent Allowance will be at the rate of 10% of the basic pay with a minimum of Rs. 22/- p.m. in the case of Class IV employees and with a minimum of Rs. 28/- p.m. in the case of Class III employees subject to a maximum of Rs. 40 in all case.

City Compensatory Allowance.—City Compensatory Allowance will be paid at the rate of Rs. 20/- per month in the case of Class III and Class IV employees at the centres at which it is being paid at present.

Provident Fund Contribution.—The contributions will be at the rate of 10% of basic pay including special pay.

Gratuity.—The benefits of Payment of Gratuity Act, 1972 shall be given to all Class III and Class IV employees irrespective of the salaries being drawn. The maximum amount of gratuity payable will not exceed Rs. 20,000.

Bonus.—No profit sharing bonus is payable.

An annual cash bonus will be paid to all Class III & Class IV employees at the rate of 15% of annual salary (including special pay and Dearness Allowance).

Demands for improvements in medical benefits, Leave Travel Concession and further improvement in Provident Fund Contributions have not been agreed to consider these demands in the third and fourth year of the currency of the agreement provided the total additional expenditure on this account does not exceed Rs. one crore in the third year and further Rs. 1 crore in the fourth year.

The agreement will be in force for a period of four years from 1st April, 1973 to 31st March, 1977.

Steps to Save Tourists from Touts of Disreputable Hotels

429. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the growing number of cases where foreign tourists are fleeced and cheated by touts; and

(b) if so, the concrete steps taken by Government to save the tourists from the touts of disreputable hotels?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) Specific complaints of this nature which are brought to the notice of the Department of Tourism are taken up with the authorities concerned.

(b) The Department of Tourism maintains a list of hotels which have been approved from the point of view of their suitability for foreign tourists, and no such complaints have been received in respect of these hotels.

तेल संकट को ध्यान में रखते हुए अलग निर्यात उत्पादन विभाग

430. **श्री मूलचन्द डागा :**

श्री त्रिदिव चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिये हाल ही में एक अलग निर्यात विभाग बनाया गया है और यदि हां, तो उसके कार्यकलाप क्या हैं;

(ख) क्या यह विभाग तेल उत्पादन करने वाले देशों के बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिये कदम उठाएगा; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाए जा चुके हैं और उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियमों के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन विभाग को जो कार्य आबंटित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6189/74]**

(ख) जी हां ।

(ग) निर्यात उत्पादन विभाग, जिसे अभी हाल में स्थापित किया गया है, संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श करके, उन उत्पादों का उत्पादन बढाने का और निर्यात के लिये उनकी उपलब्धि बढाने का समुचित प्रयत्न करेगा, जिनमें, अन्य देशों के साथ साथ, तेल उत्पादक देशों को दिलचस्पी हो । भारत तथा तेल उत्पादक देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सुधार करने के लिए अभी हाल में किये गये प्रयत्नों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला है कि भारत तथा कुवैत के बीच एक दीर्घावधि व्यापार तथा आर्थिक करार संपन्न हुआ है जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का विस्तार करने और व्यापार विनिमय का संवर्धन करने के लिये क्षेत्रों ,परियोजनाओं तथा वस्तुओं का पता लगाने हेतु एक संयुक्त समिती स्थापित करने की भी व्यवस्था है ।

त्रिपुरा के चाय निर्यातकों को निर्यात में कठिनाइयां

432. **श्री बीरेन दत्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के चाय निर्यातकों को निर्यात में गम्भीर निर्यात गठिनाइयां सामने आ रही हैं; और

(ख) स्थिति सुधारने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) त्रिपुरा में पैदा होने वाली अधिकतर चाय देश में खपत के लिये उपयोग में लाई जाती है । सरकार को इस बात का कोई पता नहीं है कि त्रिपुरा के चाय निर्यातकों को किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

433. **श्री वीरेंद्र दत्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 6 महीनों में त्रिपुरा राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितमी वृद्धि हुई ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देश में फैले हुए 50 केन्द्रों से प्राप्त आंकडों के आधार पर आंका जाता है । क्योंकि त्रिपुरा राज्य में ऐसा कोई कैन्द्र नहीं है इसलिये इस विषय में कोई सूंचना उपलब्ध नहीं है ।

4—39 LSS/73

विभिन्न मंत्रालयों में बचत-लक्ष्य

434. **श्री इंद्रजीत गुप्त :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में की गई बचत के अन्तरिम अनुमान से यह संकेत मिलता है कि इसके लिये निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण): (क) और (ख) इस वर्ष मितव्ययता के जो उपाय किये गए थे उनका उद्देश सरकार के व्यय में लगभग 400 करोड रुपये की बचत करना था। अब तक हुई बचत के अनुमान से पता चलता है कि, बचत का जो लक्ष्य था रखा गया है, अधिकांश मंत्रालयों/विभागों के संबंध में न्यूनाधिक रूप से उतनी बचत हो जाएगी ।

2. 1973-74 में अब तक विभिन्न मंत्रालयों में हुई बचत के अनुमान इस विवरण से संलग्न अनुबंध में दिये गये हैं । इन बचतों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संशोधन, अन्न संबंधी राजसहायता, दैवी विपत्तियों आदि के संबंध में राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता, और कुछ बुनियादी परियोजनाओं और योजनाओं के संबंध में कई मंत्रालयों/विभागों को दी गई अतिरिक्त रकमों के संबंध में सरकार पर पड़ने वाली भारी अतिरिक्त देनदारियों को हिसाब में नहीं लिया गया और न ही लिये जाने का इरादा था ।

विवरण

(करोड रुपयों में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल सूचित बचत
1	कृषि	13.84
2	खाद्य	4.47
3	सामुदायिक विकास	5.40
4	सहकारिता	10.13
5	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	3.87
6	वाणिज्य	0.34
7	संचार और समुद्रपारीय संचार	0.02
8	डाक और तार	3.29
9	शिक्षा	11.76
10	समाज कल्याण	2.48
11	आर्थिक कार्य (वित्त)	0.10
12	बैंकिंग (वित्त)	2.50

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल सूचित बचत
13	व्यय (वित्त)	159.45*
14	स्वास्थ्य	4.60
15	परिवार नियोजन	6.25
16	भारी उद्योग	8.54
17	गृह कार्य	1.40
18	औद्योगिक विकास	8.76
19	सूचना और प्रसारण	3.68
20	सिंचाई और बिजली	23.98
21	श्रम और नियोजन	0.32
22	पुनर्वास	2.52
23	पैट्रोलियम और रसायन	15.63
24	नौवहन और परिवहन	24.41
25	इस्पात	31.72
26	खान	9.71
27	पर्यटन और नागर विमानन	4.69
28	निर्माण और आवास	5.30
29	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2.25
30	प्रधान मंत्री का सचिवालय	0.02
31	राष्ट्रपति का सचिवालय	0.02
32	उच्चतम न्यायालय	0.01
33	योजना आयोग	0.06
	जोड़	371.51

*इसमें राज्यों की आयोजनाओं के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में हुई बचत का 93.98 करोड रुपया, रोजगार की योजनाओं में हुई बचत का 34 करोड रुपया, और पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के लिये की जाने वाली अग्रिम कारवाई में हुई बचत का 30 करोड रुपया शामिल है ।

बंगाल वाणिज्य मण्डल द्वारा लाभ अर्जन

435. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल उद्योग तथा वाणिज्य मंडल, कलकत्ता सर्टिफिकेट्स आफ ओरिजिनल विशेष प्रमाण-पत्रों के लिए शुल्क, प्रकाशनों से स्वामित्व तथा चन्दों के रूप में, कलकत्ता लाइसेंसड मेजरर्स से लाभ अर्जित करता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग मंडल को सर्टिफिकेट्स आफ ओरिजिन संबंधी शुल्क, विशेष प्रमाण-पत्र संबंधी शुल्क, प्रकाशनों पर रायल्टी तथा कलकत्ता लाइसेंसड मेजरर्स की साझीदारी से आय का शेयर भी प्राप्त हुआ है।

(ख) बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, कलकत्ता के लेखा-परीक्षा किये गये खातों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में प्राप्त हुई रकमों से संबंधित आंकड़े नीचे दिये अनुसार हैं :—

वर्ष	सर्टिफिकेट आफ ओरिजिन संबंधी शुल्क	विशेष प्रमाण-पत्र संबंधी शुल्क	प्रकाशनों की रायल्टी से आय	कलकत्ता के लाइसेंसड मेजरर्स के साथ साझीदारी से आय
	रु०	रु०	रु०	रु०
1971 .	73,734	11,344	2,858	221,257 (हानि)
1972 .	86,044	16,056	369	110,420 (अनुमानित लाभ)
1973 .	76,762	10,608	307	27,576 (अनुमानित लाभ)

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड तथा अन्य देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध

436. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, हांगकांग तथा अफ्रीकी देशों के साथ कोई व्यापार संबंध है; और

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी व्यौरा क्या है ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) बंगला देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, न्यूजीलेंड, आस्ट्रेलिया, हांगकांग और अफ्रीकी देशों में औद्योगिक गैसों संबंधी उद्योगों और इंडियन आक्सिजन लिमिटेड के बीच किन्हीं व्यापार संबंधों की जानकारी सरकार को नहीं है ।

देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शाखाएं खोलना

437. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरणों के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितनी शाखाएं खोली ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : संभवत: "सीमावर्ती क्षेत्रों" का अभिप्राय गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, और मिजोराम के राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के सीमावर्ती जिलों से है ।

इन सीमावर्ती जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1973 तक 411 शाखाएं खोली हैं। इसी अवधि में भारतीय राज्य बैंक समूह और अन्य वाणिज्यिक बकों ने भी इन क्षेत्रों में क्रमशः 322 और 106 शाखाएं खोली हैं।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया कलकत्ता म आग

438. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
श्री रीनन सेन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता के भवन में जनवरी में आग लग गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भवन में कोई विस्फोटक पदार्थ मिले हैं;

(ग) क्या वहां स्थित बैंक की शाखा ने काफी ऋण दे रखा था जो वसूल नहीं हुआ था;

(घ) आग लगने के कारण कागजातों सहित लगभग कितनी हानि हुई ;

(ङ) क्या आग के कारणों की कोई जांच कराई गई है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (च) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने रिपोर्ट दी है कि नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता में स्थित उसकी इमारत जिसमें बैंक की मुख्य शाखा स्थित थी, 3–4 जनवरी, 1974 को आग से जल गयी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आग के कारणों क जांच करने के लिए एक दल नियुक्त किया है, इस दल का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इस लिए अभी इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि इमारत में विस्फोटक पदार्थ पाये गये थे अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने रिपोर्ट दी है कि उसे करेंसी चेस्ट में पडी सारी नकदी स्ट्रांग रुम में और इसके डिपाजिट लाकरों में रखे सारे दस्तावेज और प्रतिभतियां मिल गये हैं। लेकिन चूंकि अभी मल्बा आदि हटाने का काम पूरा नही हुआ है, इस लिए बैंक इस बात का अनुमान नही लगा सका है कि आग के कारण कितना नुकसान हुआ है। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का कहना है कि उसके द्वारा दिया गया कोई बडा ऋण ऐसा नहीं है जिसकी वसूली न हो चुकी हो।

इण्डियन एअर लाइन्स की विस्तार योजना

439. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स का विचार अपनी विस्तार योजना को निलम्बित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय म राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) विमानन ईंधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि तथा कमी की संभावना से इंडियन एयर लाइन्स के लिए अपने योजनागत प्रस्तावों का पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया है।

केन्द्रीय सरकार की ऋण नीति के बारे में केरल सरकार से अभ्यावेदन

440. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वर्तमान ऋण नीति को बदलने के लिये अभ्यावेदन भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया और निर्णय क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) केरल के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री को लिखे गए एक पत्र में वर्तमान ऋण नीति में संशोधन करने की आवश्यकता पर जोर दिया था ताकि इसमें चयनात्मक तत्व का समावेश किया जा सके। उसने इस पत्र में देश में बैंक ऋण के क्षेत्रीय वितरण के व्यापक प्रश्न का भी उल्लेख किया था। एक और प्रश्न जो उन्होंने उठाया वह यह था कि बैंक ऋण उन लोगों को उपलब्ध न करायें जायं जो इन ऋणों का सट्टे के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने यह भी बात उठायी है कि यदि अन्ततः ऋण संबंधी पाबन्दी लगानी अनिवार्य है तो यहा एकाधिकार घरानों और बड़े पैमाने के उद्योग को दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में लगानी चाहिए। केरल के मुख्य मंत्री न जो प्रश्न उठाए थे वे स्वीकृत नीति के अंग हैं और इस समय जिस सीमा तक व्यावहार्य है उस पर अमल किया जा रहा है ।

घाटे की अर्थव्यवस्था

441. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री धामनकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए वर्तमान वित्तीय संकट पर काबू पाने के लिए घाटे की और अर्थ व्यवस्था करने का सरकार का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो संसधान जुटाने के लिये विकल्प के रूप में और क्या कार्यवाही करने का विचार है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस वर्ष संसाधन जुटाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें बहुत बड़े बाजार ऋणों और छोटी बचतों के संग्रह तथा कर की बकाया रकमों की वसूली में सुधार शामिल है । इसके अलावा घाटे के स्तर को कम रखने के लिए सरकार के आयोजनागत आयोजना भिन्न दोनों व्यय में कमी करने से बचतों पर उसका प्रभाव पड़ा है । इसी तरह रिजर्व बैंक ने भी अर्थ व्यवस्था पर मुद्रा बाहुल्यकारी दबाव कम करने के लिए बहुत से प्रतिबन्धात्मक उपाय शुरू किए है ।

1973-74 के संशोधित अनुमानो और 1974-75 के बजट अनुमान बनाने के संबंध में घाटे की स्थिति को संशोधित किया गया है ।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की स्थायी समिति के सदस्यों के साथ बातचीत

442. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट की क्रियान्विति से उत्पन्न असंगतियों को राष्ट्रीय और विभागीय परिषद स्तर पर संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की स्थाई समिति के सदस्यों के साथ बात चीत करके दूर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन मदों पर बातचीत चल रही है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की 24 और 25 जनवरी, 1974 को हुई अंतिम बैठक में इस प्रश्न पर सहमति हुई है कि कर्मचारियों के सामान्य वर्गों से संबंधित, तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकारी आदेशों के कार्यान्वियन से उपन्न होने वाली असंगतियों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय परिषद की एक समिति गठित की जाय, जिसमें सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्षों के प्रतिनिधि शामिल हों। परंतु यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन मामलों में वेतन आयोग ने वेतनमानों के संबंध में निश्चित सिफारिशें की है, उनमें अंतर्विभागीय तुलनाओं पर आधारित असंगतियों के तर्क पर संशोधन करन की मांग को स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं होगा। इस बात पर भी सहमति हुई है कि असामान्य वर्गों के संबंध में इस प्रकार की असंगतियों की जांच करने के लिये भी विभिन्न विभागीय परिषदों में इसी प्रकार की समितियां बनाई जाएं। इन समितियों क शीघ्र गठन की संभावना है और वे उन मामलों पर विचार करेंगी जो उनके सदस्यों द्वारा उठाये जायेंगे। समितियों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन पर सरकार द्वारा विचार किया जायगा।

इण्डियन एअर लाइन्स में तालाबन्दी के दौरान हुई हानि

443. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री एच० के० एल० भगत :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान तालाबन्दी की अवधि में इण्डियन एयरलाइन्स को कुल कितनी हानि हुई है; और

(ख) तालाबन्दी के दौरान कितनी उडाने रद्द की गई और कितने जन दिवसों की हानि हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 24-11-73 से 31-1-74 तक की तालाबन्दी की अवधि में इंडियन एयरलाइन्स को अनुमानत: 276 लाख रुपये की हानि हुई।

(ख) 24 नवम्बर से जनवरी, 1974 के अन्त तक के तालाबन्दी के अवधि में परिचालित न की गई उडानों की संख्या 7417 थी। श्रम घंटों की हानि से संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

हथकरघों और विद्युत करघों को सूत को सप्लाई

444. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघों और विद्युतचालित करघों को सूत की सप्लाई की स्थिति में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 और 1972 के तुलनात्मक आंकडे क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा बुनकर प्रायः हैंक्स तथा कोनस में सूत का उपयोग करते हैं। 1972

(जनवरी/दिसम्बर) तथा 1973 (जनवरी/सितम्बर) के दौरान सिविल उपभोग के लि वितरित किया गया सूत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

पैकिंग की किस्म	1972 (जनवरी-दिसम्बर) (लाख कि०ग्रा०)	योग का प्रतिशत	1973 (जनवरी-सितम्बर) (लाख कि०ग्रा०)	योग का प्रतिशत
1. हैंग्स . . .	2220	53.4	1580	53.4
2. हौजरी कोन्स को छोडकर .	1200	28.8	900	30.4
3. हौजरी कोन्स . .	400	9.6	240	8.2
4. बोम्स . . .	230	5.4	140	4.7
5. पर्न्स . .	20	0.5	15	0.5
6. अन्य . . .	90	2.2	85	2.8
योग .	4160	100.00	2960	100.00

एयर इण्डिया द्वारा किराये तथा भाड़े की दरों पर निर्णय

445. **श्री वी० मायावन :**

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने जनवरी, 1974 से किराये तथा भाडे की दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो कितनी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों द्वारा की गई वृद्धि की तुलना में यह वृद्धि कितनी न्यूनाधिक है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप एयर इण्डिया को वर्ष के अन्त में कितनी अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है;

(ग) एयर इण्डिया अपने सेवा व्यय को पुरा करने के लिये अन्य क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) क्या तेल संकट तथा ईंधन मूल्य में वृद्धि से एयर इण्डिया के लाभ की माला कम हो गई है और यदि हां, तो कितनी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) विमानन ईंधन के मूल्य में अत्यधिक बढोतरी होने के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन ने, जिसका एयर इंडिया भी एक सदस्य है, 1 जनवरी, 1974 से विश्व भर में भाडों तथा दरों में 6 प्रतिशत बढोतरी का समझोता किया।

(ख) भाडों तथा दरों की 6% वृद्धि के फलस्वरूप संभवत: 6.90 करोड रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान लगाया गया है । इससे ईंधन के मूल्य में वृद्धि के प्रति संतुलन किया जाएगा।

(ग) परिचालन की बढती हुई लागत की पूर्ति के लिए एयर इंडिया किराए तथा दरों में इकतरफा बढोतरी नहीं कर सकती । अतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन इस मामले पर विचार कर रहा हैं क्या विश्व भर में भाडों की वृद्धि के प्रश्न की उनके द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है । यह आशा की जाती है कि ईंधन के मूल्य में एक बार पुन: बडी मात्रा में वृद्धि होने पर आई० ए० टी० ए० भी उसी अनुपात में किराये बढा देगा, जिससे कि परिचालन की बढती हुई लागत की पूर्ति की जा सके।

एयर इण्डिया व्यय पर बडा नियंत्रण रखे हुए है तथा उसने इस प्रकार के मितव्ययिता के उपाय लागू किये हैं, जैसै अत्यधिक आवश्यक एवम् उत्पादक वर्गों को छोडकर और दूसरे स्टाफ की भरती पर रोक लगाना एवं प्रचार व्यय में काफी कटौती करना इत्यादि।

(घ) 1973–74 के वित्तीय वर्ष के दौरान तेल की अत्यधिक बढती हुई कीमतों के कारण एयर इंडिया को 3.12 करोड रुपये की हानि होने की संभावना है । यदि इस वर्ष तेल संकट न हुआ होता तो एयरलाईन्स को इस वर्ष कुछ थोडा सा लाभ होता।

इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में कमी

446. श्री वी० मायावन :

श्री आर० वी० स्वामिनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 में इंजीनियरी सामान के निर्यात में काफी कमी होने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी गिरावट होने की आशंका है;

(ग) इसके क्या कारण है, और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । अप्रैल–दिसम्बर 1973 के दौरान इंजीनियरी सामान के निर्यात 108.69 करोड रू० (अनन्तिम) के हुए जबकि 1972 की उसी अवधि के दौरान ये 96.20 करोड रुपये के थे।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

मूंगफली से निकाले गए उत्पाद के निर्यात की अधिकतम सीमा

447. श्री के० मालन्ना : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कमी हो जाने के भय से मूंगफली से निकाले गये उत्पाद की निर्यात मात्रा की 7 लाख टन की अधिकतम सीमा निश्चित करने का निर्णय किय,

(ख) यदि हां, तो देश में इसकी मांग कितनी है और विदेशी कार्यकर्ताओं की और से होने वाली मांग का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वर्तमान विश्व स्थिति, निर्यातों से अपनी विदेशी मुद्रा आय को बढाने की आवश्यकता तथा देश में घरेलू आवश्यकमाओं को देखते हुए मूंगफली निस्सारणों के निर्यात के सम्पूर्ण प्रश्न के प्रति सरकार

ने सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाया है । इस नीति पर निरन्तर पुनर्विलोकन किया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करते समय घरेलू आवश्यकताएं पूरी होती रहें।

पी० एल० 480 निधियों के उपयोग के लिए करार

448. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परस्पर स्वीकृत विकास परियोजनाओं पर धन लगाने के लिये पी० एल० 480 तथा अन्य लेखों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां,. तो भारत तथा अमरीकी सरकार के मध्य हाल ही में हुए करार की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने अपनी पी० एल० 480 निधियों से भारत सरकार को 1,664 करोड रुपये का अनुदान दिया है । यह राशि पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित भारत सरकार द्वारा चुनी गयी आर्थिक विकास की परियोजनाओं के लिये निर्धारित की जायगी। ये और दोनों सरकारों के बीच हुए करार के अन्य ब्योरे उन विवरणों में दिये गये हैं, जो 13 दिसम्बर 1973 और 19 फरवरी, 1974 को वित्त मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये थे।

आयातित कच्चे काजुओं की कमी के बारे में निर्माताओं से शिकायतें

449. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू की गिरियों के उत्पादकों ने यह शिकायत की है कि पर्याप्त मात्रा में कच्चे काजूओं का आयात नहीं किया गया;

(ख) क्या यह भी शिकायत है कि कर्नाटक के उत्पादकों को आयातित कच्चे काजूओं का समान रूप से नियतन नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पूरे वर्ष कार्य करते रहने के लिये पर्याप्त कच्चा काजू न मिलने के बारे में प्रोसेसिंग एककों की शिकायतें आती रही हैं।

(ख) ये शिकायतें कर्नाटक के प्रोसेसिंग एककों से प्राप्त होती रही है । एक के अन्तर्गत संशोधित वितरण नीति की वैधता की चुनौती दी गई है और दूसरी संशोधित वितरण नीति के अधीन अनुमत कच्चे काजू के कम आबंटन के विरुद्ध की गई है ।

(ग) देश में काजू प्रोसेसिंग हेतु संस्थापित क्षमता अब तक आयातों तथा स्वदेशी उत्पादन दोनों से उपलब्ध कच्चे काजू की तुलना में कहीं अधिक है । सरकार ने संगत हितों और सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद उपलब्ध सीमित कच्चे काजू के न्यायोचित वितरण के लिये कतिपय सिद्धान्त विकसित किये है । प्राप्त हुई शिकायतों की जांच की जा रही है और जहां अपेक्षित हो कमी को दूर किया जाता है । कोटे के कम आबंटन के बारे में मंगलोर पार्टी से प्राप्त एक शिकायत की जांच की गई और दिसम्बर, 1973 में

अतिरिक्त आबंटन किया गया। भारतीय काजू निगम के माध्यम से परम्परागत और नये विदेशी स्रोतों से उपलब्ध कच्चे काजू का आयात करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलना

450. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेंक राष्ट्रीयकरण के बाद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितनी शाखाएं खोली है;

(ख) इन शाखाओं में 31 दिसम्बर, 1973 तक कुल कितनी राशि जमा की गई तथा कितनी राशि का ऋण दिया गया; और

(ग) इन शाखाओं ने (1) कृषि तथा (2) स्वनियोजन के लिये अलग अलग कितनी राशि का ऋण दिया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जुलाई 1969 से 31 दिसम्बर, 1973 के बीच की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4608 शाखाएं खोली।

(ख) 19 जुलाई, 1969 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयी बैंकों की नयी शाखाओं में जमा करायी गयी रकमों तथा उन शाखाओं के द्वारा दिये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है :—

19 जुलाई, 1969 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयी बैंकों की नयी शाखाओं में जमा करायी गयी रकमें तथा उनके द्वारा दिये गये अग्रिम

दिसम्बर 1972 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार

	जमा		अग्रिम	
	सूचना देने वाली शाखाओं की संख्या	रकम करोड़ रुपयों में	सूचना देने वाली शाखाओं की संख्या	रकम करोड़ रुपयों में
ग्रामीण शाखाएं	3576	220.09	3558	102.99

(ग) इन शाखाओं द्वारा दिये गये अग्रिमों के क्षेत्रवार वितरण की ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। ये शाखाएं जिस प्रकार के आर्थिक क्षेत्रों में काम कर रही है, उसे देखते हुए उनके द्वारा दिये गये ज्यादातर अग्रिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु उद्योग, सड़क तथा जल परिवहन आदि के छोटे ऋण कर्ताओं को ही दिये गये होंगे।

बंगलोर हवाई अड्डे की जीर्णोद्धार योजना

451. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे के जीर्णोद्धार की कोई योजनाएं है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित जीर्णोद्धार पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(ग) कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां ।

(ख) भवन में परिवर्तन एवं विस्तार करने की पूर्ण प्रायोजना के लिए लगभग 49 लाख रुपए ।

(ग) कार्य के 1976 तक पूरा हो जाने की आशा है।

बाजपे हवाई अड्डे में सुधार करने की योजनाएं

452. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाजपे (मंगलौर) हवाई अड्डे के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए और वहां पर बोइंग 737 विमान के उतरने को आसान बनाने के लिये कोई योजनाएं बनाई गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : बोइंग 737 सेवाएं पहले से ही मंगलौर विमान क्षेत्र से होकर परिचालन कर रही है ।

भारत-ईरान व्यापार समझौते पर पुर्नविचार

453. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :

श्री मान सिंह भौरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान दोनों देशों के बीच व्यापार पर पुर्नविचार की आवश्यकता के सम्बन्ध में सहमत हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों पक्ष दोनों देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का संकेत संभवतः उन विचार विमर्शों की और है जो गत जनवरी में आर्थिक, व्यापारिक तथा तकनीकी सहयोग हेतु भारत ईरान संयुक्त आयोग में हुए थे। विचार विमर्शों के बाद जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि संलग्न है [**ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 6190/74**]

भारत और श्री लंका के बीच पारस्परिक व्यापार में वृद्धि

454. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और कोलम्बो ने पारस्परिक व्यापार में वृद्धि करने के लिये औद्योगिक परियोजनाओं को उपयोगी मान लिया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक परियोजना का आशय ऐसी वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है जिनका अब किसी तीसरे देश से आयात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) श्रीलंका में ग्रेफाइट, ग्लास तथा रबड पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए सम्भाव्यता अध्ययन किए गये है । ये दोनों सरकारों के विचाराधीन है । भारत को विदेशों से जिन उत्पादों का आयात करने की आवश्यकता होगी उनकी सप्लाई करने वाले अन्य स्त्रोतों के मुकाबले में श्रीलंका को भारत के निकट होने के कारण प्रतियोगी लाभ रहेगा। यह दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की भावना के अनुकूल है कि वे अपने पारस्परिक व्यापार को विकसित करें तथा उसका विविधीकरण करें ।

अफीम की खेती और उसका व्यापार निर्यात

455. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में भारत अफीम की खेती और उसके निर्यात व्यापार में अपना एकाधिकार खोता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है; और

(ग) क्या इन त्रुटियों को सुधार कर अफीम व्यापार और खेती के मामले में अपने एकाधिकार को बनाये रखने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अफीम के उत्पादन और निर्यात के बारे में भारत सरकार की नीति अफीम के लिए संसार की चिकित्सा सम्बन्धी तथा वैज्ञानिक आवश्यकताओं तक ही उसे सीमित रखने के विषय में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों पर आधारित है । अफीम का इस प्रकार की आवश्यकताएं संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय नार्कोटिक्स नियंत्रण बोर्ड द्वारा निश्चित की जाती है।

भारत, अफीम उत्पादन करने वाला संसार का मुख्य देश है और संसार में अफीम के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत भारत में होता है । वर्तमान में अफीम का उत्पादन करने वाले देशों में अन्य मुख्य देश सोवियत रूस और ईरान हैं, लेकिन वे अफीम की निर्यात नहीं करते हैं । तुर्की ने, जो अफीम का निर्यात करने वाला अन्य मुख्य देश था, 1973 से इसका उत्पादन बन्द कर दिया है ।

भारत-पाक सीमा पर तस्करी रोकने के लिए कार्यवाही

456. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान से लगी हरियाणा तथा पंजाब की सीमाओं पर बडे पैमाने पर तस्करी हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और गत एक वर्ष में तस्करों से कितने मूल्य का माल पकड़ा गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सरकार को मिली गुप्त सूचना संबंधी रिपोर्टों से यह संकेत नहीं मिलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हरियाणा अथवा पंजाब सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार होता है। फिर भी, उक्त सीमा पर तस्कर व्यापार को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये है :

1. सीमा शुल्क विभाग, राज्य पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल के अधिकारियों के बीच सूचना का परस्पर आदान प्रदान करने और तस्कर व्यापार को रोकने के लिये कारगर उपाय करने की दृष्टि से प्रायः उच्चस्तरीय बैठकों का आयोजन किया जाता है।

2. तस्कर व्यापार विरोधी कार्य में संलग्न अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क अधिकारियों ने महत्वपूर्ण स्थलों पर यातायात की जांच करने, नाकाबन्दी करने और सड़कों को अवरुद्ध करने का कार्य आरंभ कर दिया है।

3. सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा दल के अधिकारियों को भी सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत तस्कर व्यापारियों को गिरफ्तार करने और माल पकड़ने का अधिकार दिया गया है। सीमा सुरक्षा दल के अधिकारी गश्त लगाते है और सीमा पर सतत सतर्कता बरतते है। संदिग्ध तस्कर व्यापारियों की सूची तैयार की जाती है और उनको रोकने के लिये सुगमता से पार कर सकने योग्य स्थलों पर घात लगाई जाती है। उक्त क्षेत्र में वर्ष 1973 के दौरान तस्कर व्यापारियों से पकड़े गये माल का मूल्य लगभग 13 लाख रु० है।

Repayment of foreign loans in 1973

457. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the break-up of the amount of foreign loans paid back by India during 1973;

(b) whether India has also given loans to any country during that year; and

(c) if so, its break-up ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See No. L. T.* 6191/74].

Allowances in Life Insurance Corporation of India

458. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total number of employees in the Life Insurance Corporation; and

(b) the total payment made to them during the last one year by way of pay and overtime and other allowances?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) 55,192 as on 31st March, 1973.

(b) The total payments made to all classes of employees for the period from 1-4-1972 to 31-3-1973 are as under :

Pay	Rs. 41,82,29,767
Overtime	Rs. 1,01,13,160
Other Allowances	Rs. 8,49,71,224
TOTAL	Rs. 51,33,14,151

Profit and loss by Hotels run by I.T.D.C. in Delhi during 1973

459. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of profit earned or loss suffered by hotels run by the India Tourism Development Corporation in Delhi during 1973, hotel-wise; and

(b) whether Government propose to set up more hotels in Delhi during 1974 and if so the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) Information for 1972-73 is as follows :

Name of Hotel	Profit (+) Loss (—) (Rs. in lakhs)
Ashoka Hotel	(+) 27.06
Akbar Hotel	(+) 6.79
Hotel Janpath	(+) 10.48
Hotel Ranjit	(—) 1.83
Lodhi Hotel	(—) 0.67

(b) The India Tourism Development Corporation is considering the construction of a hotel during 1974-75. The hotel will consist of 600 rooms and will provide facilities of 3-star standard. Its details are being worked out.

पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों के सामान की तलाशी

460. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिली हवाई अड्डे के सीमाशुल्क प्राधिकारी पहले बाहर जाने वाले यात्रियों के सामान की पूरी तलाशी लिया करते थे;

(ख) क्या सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने अब बाहर जाने वाले यात्रियों के सामान की परीक्षण तलाशी लेने का निर्णय किया है; और

(ग) परीक्षण तलाशी की नई प्रक्रिया यात्रियों के शीघ्र निपटान तथा अन्तर्राष्ट्रीय उडानों के समय से चलने में कितनी सहायक हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) विगत समय में दिल्ली हवाई अड्डे के सीमाशुल्क प्राधिकारी बाहर जाने वाले सभी यात्रियों के असबाब की वास्तविक तलाशी नहीं लिया करते थे । दिल्ली हवाई अड्डे पर बाहर जाने वाले यात्रियों के असबाब की जांच हमेशा चयनात्मक आधार पर की जाती रही है । तथापि, बाहर जाने वाले यात्रियों को सीमाशुल्क संबंधी निकासी शीघ्र प्रदान करने की दृष्टि से, एक ऐसी प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत बाहर जाने वाले सभी यात्रियों के असबाब को सीमाशुल्क परीक्षण हाल से निकालने के बजाय, चयनात्मक आधार पर जांच किए जाने वाले असबाब को, एयरलाइनों द्वारा जांच संबंधी औपचारिकताओं को पूरा कर लिये जाने के फौरन बाद, सीमा शुल्क प्राधिकारी चिह्नांकित करेंगे ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

461. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकारण का पुनर्विलोकन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बेंकों के कार्यकरण से संतुष्ट है, और

(ग) यदि नहीं, तो राष्ट्रीयकृत बेंकों के कार्यकरण को नियमित करने के संबंध में यदि कोई प्रस्ताव तैयार किये गये हैं तो उनका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य की, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है । इन समीक्षाओं में इन बैंकों के कार्य निष्पादन के सभी पहलू शामिल होते है और जहां आवश्यक है और उचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए जाते है और सुझाव दिए जाते है । इन बेंकों के कार्य निष्पादन को समूचे रूप से देखने पर, राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में उन के द्वारा किए गए प्रयास सन्तोषजनक समझे जा सकते हैं ।

Follow-up action taken in dispute between management and employees of Indian Airlines

462. **Shri Atal Bihari Vajpayee** :
Shri P. Vankata Subbaiah :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased state the details of dispute that arose in December-January last between the employees and the management of Indian Airlines over the question of enforcing economy and efficiency therein and the follow-up action taken in the matter together with the results achieved so far?

Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : The management of Indian Airlines were forced to declare a lock-out on 24th November, 1973 on the question of observance of the revised shift system and co-operation by certain categories of employees with the management in the elimination of certain wasteful work practices. The lockout has been lifted in favour of employees who are members of the Indian Aircraft Technicians Association, Airline Ground Instructors Association, All India Aircraft Engineers Association and Indian Flight Engineers Association, as well as individual employees on their agreeing to work according to the revised shift system wherever applicable and co-operate with the management in the elimination of wasteful work practices. As a result, the number of employees in position as on 14-2-1974 was 15,504 against a total strength of 15,977, the number of employees still locked out being only 473. On the 21st February, 1974 an agreement was arrived at with the Indian Commercial Pilot's Association as a result of which the lock-out in respect of the Line pilots who are members of that association has been lifted. Discussions are under way with the Air Corporations Employees Union.

अशोधित तथा टुकडों के रूप में मैंगनीज तथा लोह अयस्क का निर्यात

463. **श्री बी० पी० नायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इस देश से अशोधित तथा टुकडों के रूप में कितने तथा कितने मूल्य के मैंगनीज तथा लोह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस बारे में क्या संभावनाएं है; और

(ग) क्या तेल के मामले में अरब देशों की नीति के अनुसरण में मैंगनीज का निर्यात करने वाले देशों का एक संगठन बनाए जाने की कोई योजना तैयार की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वर्ष 1972-73 के दौरान 9.08 करोड रुपये मूल्य के 8.55 लाख मे० टन मेंगनीज अयम्क का निर्यात हुआ। मेंगनीज अयस्क के पैलेटी करण की देश में कोई सुविधा नहीं है। लोह अयस्क के लिए एक पैलेटीकरण संयंत्र मौजूद है जिसकी वार्षिक क्षमता 5.5 लाख मे० टन पैलेट है और उसके समग्र उत्पादन का निर्यात किया जाता है। मैंगनीज अयस्क सुरक्षित रखने के लिए उसका निर्यात सीमित कर दिया गया है और निर्यात नीति की समीक्षा होती रहती है।

(ग) जी नहीं।

इण्डियन एयर लाइन्स में फालतू कर्मचारी

464. श्री बी० वी० नायक :

श्री समर गुह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स में श्रेणीवार कितने-कितने कर्मचारी फालतू हैं;

(ख) फालतू होने के बावजूद भूतकाल में कर्मचारी किन परिस्थितियों में निर्धारित समय के बाद काम करते रहे; और

(ग) कर्मचारियों को किस आधार पर फालतू माना जाता है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) समयोपरि कार्य का अत्याधिक्य मुख्यतया इंडियन एयरलाइन्स में प्रचलित कुछ अपव्ययी कार्य प्रणालियों के कारण रहा है। उनको समाप्त करने के लिए पहले से ही कदम उठाए जा चुके है। विभिन्न वर्गों में फालतू स्टाफ की मात्रा अभी आंकी नहीं गई है। तथापि विमानन की कुछ प्रकृति ही ऐसी है कि इस में कुछ अंशों में समयोपरि कार्य इसकी एक अनिवार्य परिस्थिति है।

Construction of Aerodromes during Fifth Plan

465. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a provision has been made to construct more aerodromes in the country during the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the location of the places selected ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposed locations are Cochin, Port Blair, Jamshedpur, Pondicherry and Calicut. These are in addition to Barapani where an aerodrome is already under construction and Hubli-Dharwar where some work might be started during the current Plan period.

Investigations are also being made for possible construction of an aerodrome near Simla.

Trade talks between India and Nepal

466. Shri Shrikrishna Agrawal :
Shri Prasannabhai Mehta :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether a meeting was held between the representatives of India and Nepal in Delhi in the first week of January to resolve the trade deadlock between the two countries;

5—39 LSS/73

(b) if so, the outcome thereof;

(c) whether the minutes of the meeting could not be signed due to disagreement on several issues; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (d) There is no deadlock in trade between India and Nepal. Honourable Members will recall that in terms of the Treaty of Trade and Transit, 1971, there is a Joint Review Committee which meets periodically to secure harmonious and effective implementation of the provisions of the Treaty. The Committee met in New Delhi from 26 December 1973 to 4 January 1974. There has been no disagreement on the minutes which have been-signed by the representatives of both the Governments.

Increase in India's Foreign Trade during 1973-74

467. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state: (a) whether India's foreign trade registered a big rise during the April-October period of the financial year 1973-74 ;

(b) if so, the precentage of increase ; and

(c) the commodities whose trade registered an increase?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) 26 per cent.

(c) The major items, exports of which have registered a big increase during April-August 1973, the latest period for which commodity-wise details are available, are oilcakes, leather and leather manufactures, cotton piece-goods, iron ore, vegetable oils non-essential, fish, engineering goods and handicrafts. Among imports the latest data is for April-July, 1973, the important ones are food, POL, oils and fats, fertilisers, machinery and transport equipment.

विमानों की बिक्री के बारे में रूस का प्रस्ताव

468. **श्री एम० सुदर्शनम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुस ने इण्डियन एयरलाईंस को असैनिक विमान बेचने का प्रस्ताव किया है तथा उसने इस प्रस्ताव को आकर्षक बनाने के लिये इन विमानों के लिये सतत रूप से इंधन सप्लाई करना भी स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाईन्स को मैसर्ज एविया एक्सपोर्ट से टी० यू० 154 विमानों के विक्रय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इंडियन एयरलाईन्स ने उन से कुछ अतिरिक्त सूचना भजने का आग्रह किया है जो प्रतिक्षित है । इस सूचना के प्राप्त होने तथा इसकी जांच के पश्चात ही इंडियन एयरलाईन्स सरकार को अपनी अन्तिम सिफारिश देने की स्थिति में होगी । इंडियन एयरलाईन्स द्वारा इन विमानों के परिचालन के लिए अभी तक इंधन की आपूर्ति के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार में वेतनमानों में विषमता

469. **श्री एम० सुदर्शनम :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण से पहले जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतनमान क्या थे और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतनमान क्या थे और उनके वर्तमान वेतनमान क्या हैं; और

(ख) क्या उनमें अत्यधिक विषमता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकरण से पूर्व सभी 245 पूर्ववर्ती बीमा कंपनियों के क्षेत्रीय तथा कार्यालयी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अपने-अपने वेतनमान और संवर्ग थे। जीवन बीमा निगम तथा भारत सरकार में वर्तमान वेतनमान निम्नलिखित हैं :--

जीवन बीमा निगम के श्रेणी I अधिकारी		केंद्रीय सरकार के श्रेणी I अधिकारी*	
	रु०		रु०
प्रबंध निदेशक	3250 (नियत)	सचिव/विशेष सचिव	3500
क्षत्रीय प्रबंधक	2000-125-2500 (सामान्य वेतनमान) 2500-125-3000 (प्रवरण वेतनमान)	अपर सचिव	3000
		संयुक्त सचिव	2500-125/2-2750
उप-क्षेत्रीय प्रबंधक	1600-100-2000-125-2250	निदेशक	1800-100-2000
प्रभागीय प्रबंधक	1250-50-1300-75-1600-100-2000	उप सचिव	1100-50-1300-60-1600-100-1800
सहायक प्रभागीय प्रबंधक/वरिष्ठ शाखा प्रबंधक	1000-50-1300-75-1675	अवर सचिव	900-50-1250
शाखा प्रबंधक/प्रशासन अधिकारी	770-40-1050-50-1300		
सहायक प्रशासन अधिकारी सहायक शाखा प्रबंधक (विकास)	530-40-1050		

*तृतीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गये संशोधित वेतनमान सरकार के विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम के श्रेणी II अधिकारी		केन्द्रीय सरकार के श्रेणी II अधिकारी**	
विकास अधिकारी ग्रेड II	रु० 170–10–220	अनुभाग अधिकारी	रु० 650–30–740–35 –810–द०रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200
ग्रेड I	रु० 230–15–320–20–360–द०रो०–20–400–25–550–द०रो० –30–760.		
		कें० सचि० आ० सेवा के ग्रेड I आशुलिपिक	रु०650–30–740 –35–880–द०रो०–40–1040
		सहायक आशुलिपिक निजी सहायक ग्रेड II	रु० 425–15–500–द०रो०–15–560–20–700–25 –800

जीवनबीमा निगम के श्रेणी III कर्मचारी†		केंद्रीय सरकार के श्रेणी III अधिकारी**	
अधीक्षक	रु० 370–25–470–30 –830	उच्च श्रेणी लिपिक	रु० 330–10–380–द० रो०–12–500–द०रो०–15–560
उच्चतर ग्रेड सहायक	रू० 265–20–385–द०रो०–25–735	निम्न श्रेणी लिपिक	रू० 260–6–290–द०रो०–6–326–8–366–द०रो०–8–390–10–400.
आशुलिपिक	रु० 210–15–225–20–405–25–430–द० रो०–25–630	आशुलिपिक ग्रेड III	रु०330–10–380–द० रो०–12–500–द०रो०–15–560
सहायक	रु० 175–10–215–15–290–20–410–द०रो०–25–585		
ानुभागाध्यक्ष	रु० 225–15–255–20–395–25–670		
रकार्ड लिपिक	रू०150–6–162–8–218–10–238–द०रो०–10–258–12–270–15–390		

जीवन बीमा निगम के श्रेणी IV के कर्मचारी†		केंद्रीय सरकार के श्रेणी IV के अधिकारी**	
ड्राइवर .	रु० 166–5–181–6–199–7–234–8–274–9–310	प्रवरण दफ्तरी	रु० 210–4–250–द०रो०–5–270
सिपाही .	रु० 125–5–165–6–201–7–229–8–245	रिकार्ड सार्टर	,, ,,
झाडूकश तथा सफाईकर्ता .	रु० 120–5–160–6–196–7–224–8–240	गैस्टेटनर आपरेटर	,, ,,
		दफ्तरी .	रु० 200–3–206–4–234–द०रो०–4–250
		जमादार .	,, ,,
		प्रधान चौकीदार	,, ,,
		प्रधान झाडूकश .	,, ,,
		चपराशी .	रु० 196–3–220–द०रो०–3–232

†जीवन बीमा निगम द्वारा हस्ताक्षरित हाल ही के समझौते के अनुसार

**तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार द्वारा नियत किये गये अनुसार ।

(ख) केंद्रीय सरकार तथा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों में तुलना करना सामान्य तया संभव नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में एक जैसे होते हुए भी विभिन्न पदों के उत्तरदायित्वों एवं अपेक्षाओं में फर्क है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (श्रेणी II अधिकारियों समेत तथा तक) के मामले में, नये वेतनमानों का संबंध उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के बारह महीने के औसत के 200 पाइंट (आधार वर्ष के रूप में 1960–100) से है, जब कि जीवन बीमा निगम के (श्रेणी III तथा श्रेणी IV के) कर्मचारियों के वेतनमान उपभोक्त मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष के रुप में 1960–100) पर आधारित हैं ।

इण्डियन एयर लाइंस में तालाबंदी के दौरान विमान चालकों के पदों का विज्ञापन

470. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :**

श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में तालाबन्दी का लाभ उठा कर कुछ विदेशी कम्पनीयों, विशेषकर विकासशील देशों की कम्पनियों, भारतीय विमान चालन प्रतिभाओं की खोज करती हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है जिन्होंने भारतीय समाचारपत्रों में विमान चालकों के लिये अपनी आवश्यकताओं का विज्ञापन दिया है;

(ग) इंडियन एयरलाइंस के कितने विमान चालकों ने विदेशी एयरलाइनों में भर्ती के लिये आवेदन पत्र दिये हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(क) सिंगापूर एयर लाइन्स ने बोइंग के कप्तानों के लिए विज्ञापन दिया है।

(ग) अभी तक किसी ने भी कार्पोरेशन के माध्यम से आवेदन नहीं दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नवम्बर, 1973 के बाद सूत के मूल्यों में कमी

471. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूत निर्यात पर प्रतिबन्ध, सूत की घटिया किस्म के कारण बंगलादेश तथा जापान द्वारा निर्यात को रद्द करने तथा केन्द्रीय सरकार के विदेशों को समर्थन करते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्णय जैसी कई कारणों के संयुक्त प्रभाव के कारण सूत के मूल्यों में अब गत नवम्बर में विद्यमान मूल्यों से लगभग 50 प्रतिशत की कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रस्तावित नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नवम्बर, 1973 तथा मध्य-फरवरी, 1974 के बीच सूती धागे के कुछ काउंटों की कीमतों में 17 प्रतिशत की गिरावट तथा कुछ दूसरे काउंटों में 15 प्रतिशत की वृद्धि की मिली-जुली प्रवृत्ति देखी गई है।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सूती धागे का उत्पादन, जो कि अब आम तौर पर सामान्य स्तरों से ऊपर है, बिजली की कटौतियों के बहाल होने तथा कपास की पर्याप्त फसल की संभावना के फलस्वरूप उत्तरोत्तर सुधर रहा है, निम्नलिखित उपाय किये गये है :—

(1) 14 जनवरी, 1974 में 80 काउंटों तक के सूती धागे पर से कीमत नियंत्रण हटा दिया गया है। (इस किस्म के धागे पर से वितरण नियंत्रण 21 अक्तूबर, 1973 तक धीरे-धीरे हटा दिया गया था।)

(2) 80 एस काउंटों के सूती धागे के उत्पादन पर नियंत्रण की योजना को संशोधित किया गया है। संशोधित योजना के अंतर्गत धागों के प्रत्येक उत्पादन के लिये आवश्यक है कि वह फरवरी, 1974 में तथा बाद के प्रत्येक महीनों में सिविल खपत के लिये धागे को हैंकों के रूप में पैक करे जिसका अनुपात सिविल खपत के लिए वर्ष 1972 के दौरान उसके द्वारा हैंकों के रूप में पैक किये गये धागे के मासिक औसत अनुपात के 110 प्रतिशत से कम न हो।

(3) 80 एस काउंटों से ऊपर के सूती धागे पर से कीमत नियंत्रण 12 फरवरी, 1974 से उठा दिया गया है।

विदेशी कम्पनियों को दी गई छूट

472. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों को कर्मचारियों द्वारा फर्मों अथवा कम्पनियों में जमानत की राशि जमा कराने अथवा इन कम्पनियों अथवा फर्मों द्वारा ऐसी जमाराशियों को स्वीकार करने जैसे मामलों में छूट दे रखी है; और यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 26 (7) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त धारा में उल्लिखित फर्मों या कम्पनियों को (बैंकिंग कम्पनियों से भिन्न) अपने कर्मचारियों द्वारा जमानत की राशि जमा कराने और इनके द्वारा ऐसी जमा राशियों को स्वीकार करने की सामान्य मंजूरी दी है।

बम्बई हवाई अड्डे पर विश्राम कक्ष का वातानुकूलित बनाया जाना

473. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हवाई अड्डे के विश्राम कक्ष के ऐसे समय में वातानुकूलित बनाने के लिये लगभग 27.4 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे जबकि देश को विद्युत की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या कोई ऐसा सुझाव दिया गया है कि इस धन का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार अवसर बढाने के लिये किया जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) एयरपोर्ट पर विदेशी पर्यटकों के यातायात को ध्यान में रखते हुए लाउंज का वातानुकूलन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझा गया ।

(ख) और (ग) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र प्राधिकरण के निदेशक मंडल ने स्कीम का अनुमोदन करने से पहले सार्वजनिक स्थलों का वातानुकूलन करने की आवश्यकता पर इसके सब पहलुओं से विचार किया था ।

1974 के लिए भारत सोविएत व्यापार संधी के अन्तर्गत रूस से आयात किये जाने वाले माल

474. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974 के लिये भारत-सोवियत व्यापार संधि के अन्तर्गत रूस से कितनी वस्तुओं का आयात किया जाना है तथा, प्रत्येक वस्तु की मात्रा और मूल्य कितना कितना होगा ;

(ख) क्या इन वस्तुओं के मूल्य अन्य देशों में उपलब्ध मूल्यों की तुलना में अधिक हैं, यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितने अधिक हैं ; और

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये भारत द्वारा रूस से कितनी सहायता मांगी गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०सी०जार्ज) : (क) सोवियत संघ के साथ 1974 के व्यापार संलेख में सोवियत संघ से लगभग 353 करोड़ रुपये मूल्य के माल के आयात की व्यवस्था हैं । आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं हैं : मिट्टी का तेल, डीजल तेल, एस्बैस्टोस, गोल्ड इस्पात उत्पाद, जिंक, तांबा, निकल, पैलेडियम, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, म्युरियेट आफ पोटाश, गंधक, अखबारी कागज, सूरजमुखी बीज तेल, समुद्री जहाज, बिजली के तथा विद्युत तकनीकी उपस्कर, खनन तथा भूगर्भ खोजी उपस्कर, छपाई की मशीनें, सोवियत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए संघटक तथा पुर्जे, निर्माण तथा मिट्टी हटाने के उपस्कर आदि ।

(ख) जी, नहीं । भारत-सोवियत व्यापार करार के अनुसार दोनों पक्षकारों द्वारा आयात तथा निर्यात तभी होगा जब कि उक्त माल विश्व कीमतों के संबंध में प्रतियोगी होगा ।

(ग) इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत सहायता की मात्रा ठीक ठीक कितनी होगी ।

विदेशों से अखबारी कागज का आयात

475. श्री आर० पी० उलगनम्बी :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पक्के तथा निश्चित करारों के अन्तर्गत आयात करके तथा देशीय उत्पादन से कुल कितना अखबारी कागज चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध किया जायेगा ; और

(ख) गत वर्ष के दौरान प्रत्येक देश से कितना तथा कितने मूल्य के अखबारी कागज का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा पहले ही की गई तथा की जा रही संविदाओं के अंतर्गत आयातों से 1,46,000 मे० टन तथा स्वदेशी उत्पादन से लगभग 40,000 मे० टन अखबारी कागज।

(ख) वर्ष 1973 में आयातित अखबारी कागज की मात्रा तथा मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

वर्ष 1973 में विभिन्न देशों से आयातित अखबारी कागज की मात्रा तथा मूल्य :—

देश जहां से आयात किया गया	मात्रा मे० टन में	मूल्य लाख रुपये में
1. सोवियत संघ	38,359	636.36
2. कनाडा	34,767	417.81
3. पोलैंड .	2,745	41.08
4. बंगलादेश	14,531	203.40
5. स्कंडीनाविया .	5,363	79.18
6. फिनलैंड	1,000	15.20
7. चैकोस्लोवाकिया . .	2,400	32.40
जोड़	99,165	1425.43

चांदी के अवैध निर्यात पर रोक

476. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश से चांदी के अवैध निर्यात को रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं ;

(ख) क्या कुछ भारतीय फर्मों ने ऐसे देशों को बिक्री दिखाकर जहां चांदी के निर्यात के लिये प्रतिबंध नहीं है, उन देशों को चांदी का निर्यात किया है जहां चांदी के निर्यात पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया गया है ;

(ग) क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) सरकार को हाल के विनिश्चय के अनुसार, अब उन सिल्वर बुलियन, सिल्वर शीटस् और प्लेटों के निर्यात की अनुमति है जिन पर रोलिंग के बाद कोई विनिर्माण प्रोसेस नहीं किया गया हो।

चाय के निर्यात मूल्यों में वृद्धि के लिए श्रीलंका के साथ समझौता

477. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को भारत के साथ कोई समझौता करने के लिए सहमत करने का कोई प्रयास किया है ताकि तेल के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव कम करने के लिए चाय के निर्यात पर बेहतर मूल्य प्राप्त किए जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 2 से 7 फरवरी, 1974 तक श्रीलंका में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान भारत तथा श्रीलंका की सरकारों ने यह माना कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में चाय के लिए लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करना तथा इससे चाय का उत्पादन करने वाले देशों के लिए अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा की आय में सुधार करने की आवश्यकता है।

निर्यात प्रयोजन के लिए पटसन के मूल्यों में वृद्धि

478. **श्री एच०के०एल० भगत :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार निर्यात प्रयोजन के लिये पटसनों के मूल्यों में वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

वणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : सरकार ने पहले ही कालीन अस्तर की निर्धारित कीमत 4550 रु० प्रति टन से बढ़ा कर 5000 रु० कर दी है। अन्य पटसन माल की कीमत बाजार परिस्थितियों के अनुसार चलती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन की सहायता सम्बन्धी संभाव्यताएं

479. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने हाल ही में यह वक्तव्य दिया है कि यदि प्रतिनिधि सभा (हाउस आफ रेप्रेजन्टेटिव्स) ने अमरीका से 1.5 बिलियन डालर का अंशदान, जो कि कुछ अंशदान का एक-तिहाई होता है, पुनः दिलाना आरम्भ न किया तो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन 1 जुलाई, 1974 तक दीवालिया हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर चौथी पुनःपूर्ति व्यवस्था प्रभावी नहीं होती, तो विकासशील देशों की दी जानी वाली सहायता के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के पास कोई दूसरा साधन नहीं रह जायेगा, और चौथी पुनःपूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिये, कुल पुनःपूर्ति प्रबन्धों की एक तिहाई रकम अमरीकी संसद को अमरीका के अंशदान रूप में फिर से चालू करनी चाहिए।

भारत सरकार का विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की धन राशि की पुनःपूर्ति, विकासशील देशों के विकास में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के योगदान के लिए बहुत ही आवश्यकता है।

इस समय परिचालित मुद्रा-नोटों का मूल्य

480. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने मूल्य के मुद्रा-नोट परिचालन में है ;

(ख) क्या जनवरी, 1973 में परिचालित मुद्रा की तुलना में इस समय कहीं अधिक मुद्रा परिचालन में है ; और

(ग) देश में मुद्रा के परिचालन में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पहली फरवरी, 1974 को 6,910 करोड़ रुपये के मुद्रा-नोट परिचालन में थे ।

(ख) जनवरी 1973 में परिचालित मुद्रा की तुलना में जनवरी 1974 में परिचालित मुद्रा में 18.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ग) परिचालित मुद्रा जनता के पास नकदी पूर्ति का भाग होती है और अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप नकदी पूर्ति के विस्तार को नियमित करने के लिए समय समय पर मुद्रा संबंधी कई उपयुक्त उपाय किए जाते हैं । परिचालन में मुद्रा की मात्रा विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है जिनमें समुदाय आय में घट-बढ़ होना और बैंक संबंधी आदतें होना महत्वपूर्ण हैं । नकदी पूर्ति में मुद्रा का अनुपात 1961-62 में 72.3 प्रतिशत से गिर कर 1970-71 में 61.4 प्रतिशत तथा 1972-73 में और गिर कर 57.8 प्रतिशत हो गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बैंक संबंधी आदतों में सुधार हुआ है और परिसम्पत्ति की रूचि में परिवर्तन हुआ है ।

इण्डियन एयर लाइन्स के किरायों में वृद्धि

481. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस के किरायों में वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी, कब से और क्यों ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां ।

(ख) ईंधन के खर्चे, बीमा प्रभार, अवतरण शुल्क तथा अन्य विमान क्षेत्र प्रभारों आदि में वृद्धि के कारण 1-2-1974 से किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि कर दी गयी है ।

बिहार को वित्तीय सहायता

482. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बिहार की वर्तमान शोचनीय वित्तीय स्थिति से अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के रिजर्व बैंक के माध्यम से उक्त राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने केन्द्र से जनवरी, फरवरी और मार्च, 1974 के महीनों में होने वाली अस्थायी अर्थोपाय कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहायता की प्रार्थना की है। भारत सरकार ने दिसम्बर के महीने में राज्य को 10 करोड़ रुपये का अर्थोपाय अग्रिम देना और आयोजनागत केन्द्रीय सहायता के लिए की जाने वाली अदायगी को समय से पहले करना और करों के हिस्से की 19 करोड़ रुपये की राशि को मार्च के बजाय फरवरी में अदा करना मान लिया है। इसके अलावा, केन्द्र को जनवरी और फरवरी में चुकाये जाने वाले ऋणों का परिशोधन फिर से तैयार किया गया है और राज्य सरकार द्वारा इन रकमों को मार्च 1974 में चुकाये जाने की अनुमति दे दी गयी है।

अखबारी कागज का संकट

483. **श्री धामनकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखबारी कागज के बारे में वर्तमान चिन्ताजनक स्थिति कब तक बने रहने की सम्भावना है ;

(ख) अल्पावधि तथा दीर्घाविधि के आधार पर अकबारी कागज की निर्यात सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये कौन-कौन सी तुरन्त कार्यवाही की जा रही है / की गयी है, ताकि अखबारी कागज के अभाव से उद्योग नष्ट न हो जाये; और

(ग) क्या सरकार ने अखबार कागज सप्लाई करने वाले देशों के साथ इस बारे में कोई अल्पावधि तथा दीर्घावधि करार किये हैं; यदि हां, तो उनके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) अखबारी कागज की वर्तमान कमी एक दो वर्षों तक और बने रहने की सम्भावना है।

(ख) तत्काल आवश्यकताओं के लिए अखबारी कागज की सप्लाई प्राप्त करने के लिए सभीसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। विदेशी सप्लायरों के साथ 3 से 5 वर्षों के लिए दीर्घावधि संविदाएं भी की जा रही है।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने 1973–74 में 1,26,700 मे० टन अखबारी कागज की सप्लाई के लिए संविदाएं की है। निगम ने आगामी 3/5 वर्षों के लिए लगभग 60,000 मे० टन सप्लाई के लिए कनेडियन तथा अमरीकी सप्लायरोंके साथ दीर्घावधि संविदाएं भी की है, जिन में पारस्परिक सहमति होनेपर 30,000मे० टन अखबारी कागज की अतिरिक्त सप्लाई का विकल्प भी है।

दिल्ली में फटे-पुराने (सायल्ड) मुद्रा नोट

484. **श्री एन शिवप्पा** :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देशभर में तथा विशष रूपसे दिल्ली में फटे-पुराने मुद्रा नोटों की एक बासी आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप राजधानी के वाणिज्य-बैंकों को कुछ मास पूर्व अपने ग्राहकों द्वारा उन नोटों को अस्वीकार किये जाने के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा ;

(ग) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने ऐसे फटे-पुराने नोटों की इस बाढ़ के कारण बताये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश): (क) बंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, नागपुर और दिल्ली में और इनके आस पास फटे पुराने मुद्रा नोटों के चलन में बाढ़ तो नहीं आयी है पर कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) दिल्ली में वाणिज्यिक बैंकों से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि उनके ग्राहक ऐसे नोटों को लेना स्वीकार नहीं करते जो फिर से जारी किए जाने योग्य हों।

(ग) करेंसी नोट प्रेस, नासिक से नये नोट काफी न मिलने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय अपने नये नोटों के स्टाक की पूर्ति पुराने नोटों में से अधिकतम संख्या में ऐसे नोट निकाल कर करते हैं जिन्हें फिर से जारी किया जा सकता हो। सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में सितम्बर, 1973 से लगभग एक महीने तक हड़ताल रहने के कारण समस्या और बढ़ गयी। स्थिति का सामना करने के लिए, रिजर्व बैंक के काउन्टर पर नये नोटों का निर्गम स्टाक की स्थिति के अनुरूप कर दिया गया, कमी की पूर्ति ऐसे नोटों की आवृत्ति द्वारा की गयी जिन्हें फिर से काम में लाया जा सकता हो।

"स्टन्डर्ड क्लाथ" का मूल्य और उत्पादन

485. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिलों द्वारा निर्मित 'स्टेन्डर्ड क्लाथ' के मूल्य बढ़ाने का है ; और

(ख) क्या सरकार ने मिलों को 'स्टेन्डर्ड क्लाथ' के उत्पादन को दुगना करने के लिये कहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) नियंत्रित कपड़े के मूल्य उत्पादन और वितरण के संबंध में विद्यमान नीति के संशोधन का प्रश्न विचाराधीन हैं।

विश्व निर्यात व्यापार में भारत के हिस्से में कमी

486. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व निर्यात व्यापार में भारत के हिस्से में उत्तरोत्तर कमी की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी की, जोकि खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई है, रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी०जार्ज) : (क) तथा (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपने मन्थली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक (जिसमें केन्द्रीय रूप से योजना बद्ध अर्थव्यवस्थाएं शामिल नहीं है) में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार विश्व के निर्यातों में भारत के अंश में पिछले वर्षों में आई गिरावट की प्रवृत्ति को 1972 में रोक दिया गया है।

विश्व निर्यातों में भारत के अंश को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने उत्पादन आधार को सुदृढ़ करने, पर्याप्त निर्यात अधिशेष को सृजन करने, अनिवार्य कच्चा माल, घरेलू व आयातित दोनों, बाजार जानकारी निर्यात वित्त आदि प्रदान करके निर्यातों के रास्ते में विभिन्न बाधाओं को हटाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। चुने हुए मामलों में प्रतिपूरक नकद सहायता भी दी जाती है। इसके अलावा, विश्व बाजारों में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से निर्यात शुल्कों का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित होता है, उपयुक्त समायोजन किये जाते हैं।

बिहार में प्रारम्भ की गई होटल परियोजनाएं

487. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में बिहार के केन्द्रीय सैक्टर में प्रारम्भ की गई होटल परियोजनाओं की संख्या कितनी हैं ; और

(ख) परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 1972-73 के दौरान बिहार में केन्द्रीय क्षेत्र में कोई होटल प्रायोजना प्रारम्भ नहीं की गयी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और यूगोस्लाविया के बीच विचार वार्ता

488. **श्री पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जनवरी, 1974 के प्रथम सप्ताह में भारत तथा यूगोस्लाविया के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में बातचीत करने के लिये यूगोस्लाविया जाने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था ;

(ख) यदि हां, तो वहां हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई करार हुआ तो उनका स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) भारत-यूगोस्लावियाई संयुक्त समिति की बैठक में हुई बातचीत के फलस्वरूप दोनों पक्ष विभिन्न उपाय अपनाने और व्यापारिक, औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सभी संभव सुविधाएं—जिनमें व्यापार-प्रतिनिधि-मण्डलों का आवधिक विनिमय, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, भारत तथा अन्य देशों में औद्योगिक उद्यमों में सहयोग आदि शामिल हैं—देने के लिए सहमत हो गये। लक्ष्यों को हासिल करने और आपसी आर्थिक सहयोग के विस्तार से सम्बन्धित समस्याओं के कारगर हल निकालने के लिए दोनों पक्ष निम्नोक्त तीन उप-समितियां स्थापित करने के लिए भी राजी हो गये:—

(क) व्यापार सम्बन्धी उप-समिति।

(ख) औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी उप-समिति।

(ग) अन्य देशों में आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में उप-समिति।

ऋण नीति और बढ़ते हुए मूल्यों पर इसका प्रभाव

489. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण नीति के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि ऋण के वितरण से क्षेत्र सम्बन्धी परिवर्तन हुआ है ;

(ख) क्या इसका मुख्य भाग खुदरा व्यापारियों को मिला है; और

(ग) यदि हां, तो बढ़ते हुए मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 1968 के अन्त और दिसम्बर, 1972 के अन्त के बीच की अवधि में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बड़े तथा दरमियना दर्जे के उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की रकम जो उनके कुल अग्रिमों का एक अंश रूप व्यक्त की गयी थी, 60.6 प्रतिशत से घट कर 52.4 प्रतिशत रह गयी जबकि थोक व्यापार (अनाज वसूली से भिन्न) की तुलना में उनके अग्रिमों का अनुपात 14.2 प्रतिशत से घट कर 8.9 प्रतिशत हो गया। इस अवधि में प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। कृषि के अन्तर्गत यह अनुपात 0.3 प्रतिशत से 70 प्रतिशत, लघु उद्योगों के अन्तर्गत 6.9 प्रतिशत से 11.9 प्रतिशत और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से 2 प्रतिशत से भी कम से लेकर 4.8 प्रतिशत तक हो गया।

(ख) जी, नहीं। दिसम्बर 1972 के अन्त में, परचून व्यापार को दिये गये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल अग्रिमों के एक अंश के रूप में दी गयी रकम केवल 2.9 प्रतिशत थी।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

चोर बाजारी में मोटे कपड़े की बिक्री

490. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु 40 और 50 करोड़ मीटर के बीच मोटा कपडा हाल में तीन गुना अधिक मूल्य पर बेच दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) ऐसे कदाचारों को रोकने और उचित दर दुकानों के माध्यम से कपड़े की बिक्री को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कोई ऐसा आरोप सरकार के जानकारी में नहीं आया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वी क्षेत्र में गैर-सरकारी विमान संस्थाओं का कार्यक्रम

491. **श्री दशरथ देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी क्षेत्र में गैर-सरकारी विमान सेवाओं (यात्री और माल दोनो) की उड़ानों में वृद्धि कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको उक्त क्षेत्र में अधिक उड़ानें करने की अनुमति दी जाएगी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र के इंडियन एयरलाइंस को उड़ानों में कमी करने का है और यदि हां, तो कितनी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जामेयर कम्पनी को दैनिक परमिटों के आधार पर पूर्वी क्षेत्र के निम्नलिखित सेक्टरों पर परिचालन की अनुमति दी गयी थी जहां कि तालाबंदी के कारण इण्डियन लाइंस परिचालन नहीं कर रहे थे :

(i) कलकत्ता-अगरतला-कलकत्ता।

(ii) कलकत्ता-सिलचर-इम्फाल-सिलचर-कलकत्ता।

(iii) कलकत्ता-सिलचर-एजल-सिलचर-कलकत्ता।

(iv) कलकत्ता-अम्बरी-तेलीपारा-रूपसी-कलकत्ता।

(v) कलकत्ता-गौहाटी-कलकत्ता।

(ग) इण्डियन एयरलाइंस आजकल विश्वव्यापी इंधन संकट के संदर्भ में अपने परिचालनों की अर्थ व्यवस्था का मार्ग-वार एक विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं।

भारत-बांगला देश पटसन व्यापार वार्ता

493. श्री एम० एस० संजीवी राव :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 में पटसन व्यापार के बारे में भारत-बांगलादेश वार्ता दिल्ली में आयोजित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल ने दोनों देशों के बीच सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान करार के अन्तर्गत कच्चे पटसन के आयात के संबंध में और भारत द्वारा पटसन के उत्पादन तथा निर्यात और साथ ही दोनों देशों के बीच दीर्घावधि सहयोग से सबधित मामलों पर विचार विमर्श किया। विचार-विमर्श के दौरान कच्चे पटसन की दो लाख गांठें आयात करने के लिए एक करार किया गया।

इण्डियन एयर लाइन्स में तालाबन्दी का पर्यटन पर प्रभाव

494. श्री एम० एस० संजीवी राव :

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में तालाबंदी होने से पूर्व 1974 के लिये पर्यटन के लक्ष्य पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरुप पर्यटन को कितनी हानि होगी; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) सभी प्राप्त संकेतों के अनुसार 1974 के लिए निर्धारित पर्यटन लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा क्योंकि इण्डियन एयरलाइंस की अधिकांश सेवाओं का अब परिचालन हो रहा है। 1973 के दौरान 4,00,000 पर्यटकों के लक्ष्य के मुकाबले कुल 4,09,895 पर्यटक आए।

इण्डियन एयर लाइन्स के कार्यकरण में सुधार के लिए समिति का गठन

495. श्री एम० एस० संजीवी राव :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपने कार्यकरण, विशेषकर अपनी जनशक्ति की आवश्यकताओं के संदर्भ में, सुधार करने के लिये एक समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इस के निर्देश पत्र तथा निष्कर्ष क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइंस के प्रबंधवर्ग का कारपोरेशन के संगठन तथा परिचालनों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिये कारपोरेशन के एक वरिष्ठ प्रशासक की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का प्रस्ताव है। समिति की संरचना तथा उस के विचारनीय विषयों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

निर्यात बढ़ाने की योजना

496. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री प्रसन्न भाई महता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात बढाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में उद्योग, व्यापार और इस मंत्रालयों की बैठक 2 जनवरी, 1974 को बुलाई थी;

(ग) क्या निर्यात बढ़ाने की प्रस्तावित घोषणा से इस वर्ष की आयात निर्यात नीति के निर्माण में सहायता मिलेगी; और

(घ) प्रस्तावित घोषणा की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जाहिर है कि व्यापार सलाहकार परिषद की हाल ही में हुई बैठक का हवाला दिया गया है। परिषद की बैठकें देश की अर्थ-व्यवस्था की उसकी वाणिज्यिक दृष्टि से समीक्षा करने और निर्यातों के विस्तार, आयातों के विनियमन, आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रणों के क्रियान्वयन, निर्यात विपणन तथा निर्यात सहायता से विशेष सन्दर्भ में वाणिज्यिक सेवाओं के कार्यकरण और अर्थव्यवस्था के निर्यात क्षेत्र के संगठन तथा विस्तार से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए मंच हैं। अत: जैसा कि अनुमान लगाया गया है, इस प्रश्न में उल्लिखित बैठक का उद्देश्य निर्यात बढाने के लिए योजना बनाना नहीं था।

(ग) परिषद के सदस्यों द्वारा, जिनमें देश के प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक संगठन तथा इन क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल हैं, दिये गये सुझाव सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / कार्यालयों को टिप्पणी/ कार्यवाही के लिये भेज दिये गये है।

तेल संकट को ध्यान में रखते हुए पटसन की वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाएं

497. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वव्यापी पेट्रोलियम संकट से भारत की पटसन की वस्तुओं के निर्यात का भविष्य उज्जवल है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक गैर सरकार इस स्थिति का लाभ उठाने पर कैसे विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) ऊर्जा संकट से अब तक कुछ हद तक अब पटसन माल की मांग पुन: पैदा हुई हैं, परन्तु स्थिति में बहुत सी अकल्पनीय बातों के होते हुए मांग के ढंग का अभी अनुमान लगाना कठिन है। जबकि सरकार स्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि ऊर्जा संकट से दीर्घावधि फलितार्थों का गहन अध्ययन करने का विचार कर रही है निर्यात किस्मों के उत्पादन पर बल देकर निर्यातों की इकाई मूल्य प्राप्ति सुधारने के लिए तथा निर्यातों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए पहले ही कदम उठाये जा चुके है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभप्रदता में गिरावट

498. श्री बूटा सिंह :

श्री एम० कतामुतु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभप्रदता में काफी गिरावट हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) बोनस की अदायगी के लिए समायोजन करने के बाद 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुल मिलाकर हुए शुद्ध लाभांश का ब्यौरा, 31 दिसम्बर 1970, 1971 और 1972 को समाप्त होने वाले पूरे तीन वर्षों के सम्बन्ध में कार्य परिणाम और लाभांशों को, कार्यकारी रकमों के अनुपात के रूप में नीचे दिखाया गया है :—

(लाख रुपयों में)

समाप्त होने वाला वर्ष	कार्यकारी रकम	शुद्ध लाभांश	अनुपात में
31—12—1970	402878	690	0.17
31—12—1971	468488	850	0.17
31—12—1972	554761	752	0.13

31 दिसम्बर 1973 को समाप्त हुए वर्ष के राष्ट्रीयकृत बैंकों के परीक्षित लेखे अभी उपलब्ध नहीं है ।

यद्यपि 1972 का कुल मिलाकर लाभांश 1971 के लाभांश से कम है फिर भी वे 1970 के लाभांश से अधिक है । लेकिन कार्यकारी रकमों के अनुपात के रूप में दिखाये गये लाभांश में कमी हुई है। इस कमी के कई कारण हो सकते हैं । 1972 के दौरान अर्थ व्यवस्था में चल रही प्रतिकूल परिस्थिति के कारण बैंकों के ऋण जमा अनुपात में सामान्यत: कमी हुई है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमा आमदनी में कमी का कारण बनी है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाये गये कदमों, अर्थात् अब तक बैंकरहित क्षेत्रों और देश के आन्तरिक तथा पिछड़े क्षेत्रों के ग्रामीण केन्द्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किये जाने, प्राथमिकता प्राप्त और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऐसे ऋणों जिनका सेवा प्रभार अधिक होता है, का क्रमिक विस्तार किये जाने और विकास-प्रधान बैंकिंग प्रणाली का निर्माण किये जाने के कारण अधिक शाखाओं, कर्मचारियों की वृद्धि और बैंकों की बढ़ी हुई प्रासंगिक और कार्यकारी लागत के रूप में बैंकों के व्यय में अनिवार्यता वृद्धि हो गयी । नई खुली शाखाओं को अपने आप को जमाने और लाभांश कमाने में कुछ समय और लगेगा ।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य के सम्बन्ध में सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक, स्थिति का लगातार पुर्ननिरीक्षण कर रहे है । करार वकों के लाभों में सुधार करने के उद्देश्य से समय समय पर उचित परामर्श और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये गये है ।

रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगाने के परिणामस्वरूप भारत में औद्योगिक विकास पर प्रभाव

499. **श्री बूटा सिंह :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा हाल में वाणिज्यिक बैंकों पर ऋण देने पर प्रतिबंध लगाने से भारत में औद्योगिक विकास पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबंध से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की इस कार्यवाही के बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) क्या सरकार अपनी ऋण नीति पर पुनर्विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) ऋण नीति सम्बन्धी विभिन्न अनुदेशों को लागू करने के सम्बन्ध में बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि पहले से स्वीकृत ऋण सीमाओं के उपयोग में तेजी लाकर उत्पादन की ओर माल को लाने ले-जाने की यथार्थ आवश्यकताओं को पूरा किया जाय। इस के अलावा, 24 दिसम्बर 1973 से, ऋण गारण्टी योजना के अन्तर्गत आने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को अधिक मार्जिन सम्बन्धी उन शर्तों से छूट दे दी गयी है जो पहले लगायी गयी थीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निर्यात-क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर प्रभाव न पड़ें, अभी हाल में, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र को चालू वर्ष में ऋण प्रतिबन्ध की मात्रा सम्बन्धी अधिकतम सीमा से मुक्त करने और इस क्षेत्र को पुनर्वित्त की कुछ अधिक सुविधाएं देने का निश्चय किया है। इस प्रकार औद्योगिक एककों को दिये जाने वाले बैंक ऋणों पर, वर्तमान ऋण प्रतिबन्धों का प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

(ग) कुछ राज्य सरकारों ने इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि विशेष रूप से छोटे ऋण कर्ताओं, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों और निर्यात क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी उचित आवश्यकताओं पर प्रभाव न पड़े।

(घ) स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है और समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

आयात सम्बन्धी नियमों का सरलीकरण

500. **श्री रघुनाथ लाल भाटिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात सम्बन्धी नियमों को सरल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके लाइसेंस जारी करने में होने वाले विलम्ब को कैसे कम किया जायेगा; और

(ग) नयी प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां।

लाइसेंस जारी करने में विलम्ब की अवधि कम करने की दृष्टि से आयात आवेदन पत्रों के प्रस्तुत करने के नियमों व प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) इस दिशा में उठाये गये विभिन्न कदमों की मुख्य बातें इस प्रकार है :—

1. आयात लायसेंसों के आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए समय सीमाएं निश्चित कर दी गई हैं।

2. पंजीकृत निर्यातकों से प्राप्त आयात प्रतिपूर्ति लायसेंसों के आवेदन पत्रों की निकासी के लिए सरलीकृत प्रक्रिया आरंभ की गई है।

3. पंजीकृत निर्यातकों को अग्रिम लान्सेंस जारी करने के लिए क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को और अधिक शक्तियां सौंपी गई है।

4. आवेदन पत्रों को 60 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर निपटाने के लिए विलम्ब की अवधि कम करने की दृष्टि से 1 जनवरी, 1974 से पूंजीगत माल के आयात के आवेदन पत्रों को देने की प्रक्रिया और अधिक कारगर बना दी गई है। संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन पत्र सीधे लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त किये जायेंगे, प्रायोजक प्राधिकारियों की द्वारा नहीं।

5. अधीनस्थ प्राधिकारियों को ये शक्तियां सौंपी गई है कि वे मुक्त विदेशी मुद्रा और रुपये में भुगतान करने वाले क्षेत्र के अंतर्गत जारी किये गये कच्चे माल और संगठकों व पूंजीगत माल के सभी श्रेणियों के आयात लाइसेंसों को फिर से विधि मान्य कर सकते हैं तथा क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को इस संबंध में मुख्यालय से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं होगी।

रूस के साथ रूई के बदले में कपड़ा देने का समझौता

501. **श्री वनमाली पटनायक :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष रूस के साथ किया गया रूई के बदले में कपड़ा देने का समझौता इस वर्ष समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी०जार्ज): (क) जी नहीं। 1266 लाख वर्ग मीटर फेब्रिक्स और 50 लाख अदद तौलियों की संविदागत मात्रा के मुकाबले भारत ने अब तक 1225 लाख वर्ग मीटर फेब्रिक्स, और 50 लाख अदद तौलियों का निर्यात किया है। शेष मात्रा का निर्यात अगले कुछ सप्ताहों में कर दिया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा हथकरघा वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात

502. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री पीलू मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने वर्ष 1974 के लिये भारतीय हथकरघा वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात दुगुना कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने व्यापार विकास पर कुप्रभाव डालने वाली बहुत सी बाधाओं को दूर कर दिया है; और

(ग) इससे कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) वर्ष 1969 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सूती हथकरघा वस्त्रों और रेशमी हथकरघा वस्त्रों में प्रत्येक के लिए दस-दस लाख डालर का निःशुल्क वार्षिक कोटा रखा गया है। तीन और देशों के समुदाय में सम्मिलित होने से उसमें हुए विस्तार के बाद समुदाय ने वर्ष 1974 के लिए ये कोटे दुगने करने का फैसला किया है। यह स्पष्ट कर दिया जाये कि कोटे केवल भारत को ही उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है अपितु कतिपय अन्य विकासशील दशों को भी उपलब्ध हैं।

2. भारत सरकार हथकरघा माल के व्यापार में बाधक शेष प्रशासनिक तथा अन्य रुकावटों को दूर करने के लिए समुदाय के प्राधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित किए हुए है।

3. इन उपायों के फलस्वरुप भारत को होने वाली विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त आय के ठीक ठीक आंकड़े देना संभव नहीं है।

जापान के साथ ऋण-समझौता

503. **श्री त्रिदिब चौधरी :**

श्री चन्द्र भाल मनी तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के साथ पिछले महीने (जनवरी, 1974) एक नय ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये गये है जिसकी शर्तों के अन्तर्गत जापान लगभग 2200 करोड़ येन अंशतः वस्तु ऋण के रूप में और अंशतः राशि राहत ऋण के रूप में प्रदान करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की मुख्य बातें तथा शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या जापान के साथ किन्ही अन्य ऋणों के लिये बातचीत हो गई है अथवा हो रही है ?

वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण : (क) और (ख) 30 जनवरी 1974 को भारत और जापान की सरकारों के बीच नोटों का आदान-प्रदान किया गया था जिनके अन्तर्गत जापान की सरकार भारत सरकार को, 1973-74 के लिए भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के भाग के रूप में 2200 करोड़ यन (लगभग 52.80 करोड़ रुपये) प्रदान करेगी जिसमें 1497.791 करोड़ येन (लगभग 35.95 करोड़ रुपये) का ऋण राहत ऋण और 702.2 करोड़ येन (लगभग 16.85 करोड़ रुपये) का वस्तु-ऋण शामिल है।

जापान के निर्यात-आयात बैंक के साथ भी अर्थात् उस अभिकरण के साथ जिसकी मार्फत भारत को जापानी सहायता दी जाती है, ऋण राहत ऋण के लिए 30 जनवरी 1974 को एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह ऋण पिछले येन ऋणों के सम्बन्ध में 1973–74 में देय मूलधन की अदायगियों के पुनर्निधारण के लिए है। इस ऋण की शर्तें ये हैं : यह ऋण दस वर्षों की रियायती अवधि सहित 25 वर्षों में चुकाया जाएगा और इस पर 4% वार्षिक की दर से ब्याज मिलेगा। वस्तु-ऋण के सम्बन्ध में जापान के निर्यात-आयात बैंक के साथ अभी करार किया जाना है। ये ऋण जापान से उन संघटकों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल की खरीद के लिए है जिनकी आवश्यकता भारत की अर्थव्यवस्था के अनुरक्षण के लिए है। ऋण की शर्तें ये होंगी :—यह ऋण 7 वर्ष की रियायती अवधि सहित 25 वर्षों में चुकाया जाना है और इस पर 4% वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।

(ग) जापान सरकार इस बात पर भी सहमत हो गयी है कि वह पांचवीं आयोजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले तीन उर्वरक कारखानों पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा में से 3.29 करोड़ येन (लगभग 78.96 करोड़ रुपये) तक की वित्त व्यवस्था। करेगी यद्यपि जापान की सरकार 1973–74 के चालू वित्तीय वर्ष में केवल एक कारखाने के लिए पक्का वचन देगी लेकिन वह बाद के दो वित्तीय वर्षों 1974–75 और 1975–76 के प्रत्येक वर्ष एक-एक कारखाने के लिए

ऐसे वचन देगी। आशा है कि पहले कारखाने से संबंधित ऋण करार पर चालू वित्तीय वर्ष में हस्ताक्षर हो जाएंगे जिसमें ऋण की मात्रा और शर्तों का उल्लेख होगा।

(**टिप्पणी** :—येन रकमों के बराबर की रुपया रकमें, 1 येन = 0.024 की केन्द्रीय विनिमय दर के हिसाब से निकाली गयी है।)

भारत की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता

504. **श्री त्रिदिब चौधरी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित तेल और उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान अंतिम रूप से लगा लिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष (1973-74) तथा आगामी वर्ष (1974-75) में देश को कितनी अतिरिक्त मुद्रा की आवश्यकता होगी ;

(ख) विदेशी मुद्रा की इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिये कौन-कौन से उपाय किये गये है; और

(ग) क्या विश्व बैंक, आई० एम० एफ० आई० डी० ए० अगर अन्य संगठनों के साथ इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिये अतिरिक्त विदेशी मुद्रा जुटाने की सम्भावना का पता लगाने की दृष्टि से कोई सम्पर्क स्थापित किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस अवस्था में यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कच्चे तेल और उर्वरकों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने से, 1973-74 में, सामान्य आवश्यकता से कितनी अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी इस बात पर निर्भर करेगा कि कीमतें किसी अवधि में किस स्तर पर स्थिर होती है और पत्र खपत में किस सीमा तक कमी की जा सकती है।

(ख) और (ग) सम्भव सीमा तक पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के लिए उपाय किये गये है। देश को निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। तेल की कीमतों की वृद्धि की समस्या का भी अन्तर्राष्ट्रीय मंच में अध्ययन किया जा रहा है और सरकार इन घटनाओं से सम्पर्क रख रही है। जब भी आवश्यक होगा उपयुक्त उपाय किये जाएंगे।

प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सुझावों/प्रोत्साहनों की योजना

505. **श्री के० एम० मधुकर : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड ने सुझावों / प्रोत्साहनों की कोई योजना आरम्भ की है ;

(ख) क्या सरकार ने आयुक्तों तथा सहायक आयुक्तों को ये निदेश दिये हैं कि वे आयकर विभाग के कर्मचारियों को इस योजना से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन दें; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) प्रशासकीय सुधार विभाग ने कार्यालय तथा प्रशासकीय कार्य विधियों में सुधार के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाले सुझावों के संबंध में नकद पुरस्कारों की एक सुझाव योजना तैयार की है और यह योजना 1964 से लागू है। प्रत्यक्ष-कर जांच समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि उक्त योजना को फिर से सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। एतदनुसार, इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों को केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा मई, 1973 में फिर से दोहराया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

संगठन अथवा कार्य पद्धतियों तथा कार्यविधियों में सुधार और प्रशासन में सच्चरित्रता बरतने के संबंध में दिये गये सुझाव पुरस्कार पाने योग्य हैं।

ये पुरस्कार नकद तथा योग्यता प्रमाण पत्र/प्रशंसापत्रों के रूप में हो सकते हैं। नकद-पुरस्कार प्रत्येक मामले में 1500 रु० से अधिक के नहीं होने चाहिए। पुरस्कार नकद अदायगी, अग्रिम वेतन-वृद्धि, राष्ट्रीय बचत-पत्र अथवा फाउण्टेन-पेन, घड़ियां इत्यादि उपयोगी वस्तुओं के उपहार के रूप में भी हो सकते हैं। प्रत्येक पुरस्कार की मंजूरी का उल्लेख सुझाव देने वाले की चरित्र-पंजी में किया जाना होता है। लेकिन यह पुरस्कार वारी से पहले पदोन्नति के रूप में नहीं दिया जा सकता है।

यह पुरस्कार केवल उन्हीं सुझावों के लिये दिये जायेंगे जिन्हें अमल में लाने के लिये स्वीकार किया जाता है। जो सुझाव उपयुक्त समिति की राय में, प्रत्यक्षतः अच्छे होते हैं लेकिन जिनकी व्यवहार्यता की जांच की जानी होती है, इनकी, अन्ततः पुरस्कार पाने योग्य ठहराने से पूर्व, जांच की जाती है।

न्यूजीलैण्ड के प्रधान मंत्री द्वारा नई दिल्ली की यात्रा

506. **श्री राज राजसिंह देव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूझीलैण्ड के प्रधान मंत्री हाल ही में नई दिल्ली आये थे;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ था ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखाएं क्या है; और

(घ) इस विचार-विमर्श के दौरान लिये गये निर्णयों के फलस्वरूप से कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के अर्जित किये जाने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दोनों प्रधान मंत्रियों ने अनुभव किया कि दोनों देशों के हित में व्यापार में काफी वृद्धि की गुंजाइश है तथा दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान की वांछनीयता पर भी सहमत हुए।

(घ) इस अवस्था में यह बताना संभव नहीं है कि व्यापार में जो वृद्धियां हो सकती है उनके कारण कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

उड़ीसा में निर्मित हैलीपैड तथा हवाई पट्टीयां

507. **श्री राज राजसिंह देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के विभिन्न भागों में कितने हैलीपैड तथा हवाई पट्टियां बनाई गयीं;

(ख) इन में से कितने विशेष रूप से प्रधान मंत्री के उड़ीसा के विभिन्न भागों के दौरे के लि बनाये गये ;

(ग) क्या बाद में इनका किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिये उपयोग किया गया; और

(घ) इनके निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) न तो नागर विमानन विभाग ने और न ही रक्षा मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान उडीसा में किसी हेलीपैड अथवा हवाई पट्टी का निर्माण किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

पालम हवाई अड्डे के समीप लुफ्थान्सा बोईंग विमान का दुर्घटना-ग्रस्त होना

508. **श्री राज राजसिंह देव :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पालम हवाई अड्डे के समीप हाल ही में लुफ्थान्सा बोइंग विमान के दुर्घटना-ग्रस्त होने के कारणों के संबंध में जांच की गई है ;

(ख) तत्संबंधी जांच प्रतिवेदन में क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये हैं और उन पर क्या कार्य-वाही की गई; और

(ग) क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) एक जांच अदालत द्वारा जांच का कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

रद्द किए गए नोटों को बरामद करना

509. **श्री राज राजसिंह देव :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल में एक रुपये के रद्द किये गये नोटों का एक बण्डल बरामद किया है;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है कि रद्द किये गये नोट परिचालन में कैसे आये; और

(ग) रिजर्व बैंक अधिकारियों के विरुद्ध, जिन पर इस गिरोह में शामिल होने का संदेह है, यदि कोई कार्रवाही की गयी है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिल्ली पुलिस को एक रुपये के नोटों का एक पैकिट जांच के लिये दिया। यह पैकिट 3 दिसम्बर, 1973 को बैंक के काउन्टर पर विनिमय के लिये दिया गया था।

(ख) मामले पर विचार हो रहा है।

(ग) जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर बैंक उचित कार्यवाही करेगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ किए गए बीमे की धनराशि

510. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कितनी राशि के बीमे किये गये ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम के कारोबार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या व्यापार में वृद्धि सरकार की आशा के अनुकूल हुई है और यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्धारित किये गये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जीवन बीमा निगम के असफल रहने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम द्वारा पूर्ववर्ती तीन वर्षो में और चालू वर्ष में नवम्बर, 1973 तक किया गया नया कुल बीमा कारोबार और पूर्ववर्ती वर्षों के मुकाबले कारोबार में वृद्धि के प्रतिशत अनुपात का विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	कुल नया कारोबार बीमाकृत रकम (करोड़ रु० में)	पूर्ववर्ती वर्षों के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि
1970-71	1303.08	25.8
1971-72 .	1639.89	25.8
1972-73 .	2075.20	26.5
1973-74 . (30-11-1973 तक)	971.72	16.8

(ग) जी हां ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973

511. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 290 एक को लागू करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत सरकार ने भारत में स्थित विदेशी कम्पनियों को 40 प्रतिशत से कम ईक्विटी शेयर करने अथवा यदि ये कम्पनियों की शाखाएं हैं तो इन्हें भारतीय कम्पनियों में बदलने के लिये कहा है;

(ख) क्या सरकार सभा-पटल पर एक विवरण रखेगी कि कितनी और कौन-कौन सी कम्पनियों को मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिये कहा गया है और इनमें से प्रत्येक कम्पनी को कितनी अवधि दी गयी है; और

(ग) सरकारी निदेशों के बारे में विदेशी कम्पनियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में, जिस की एक प्रति 20 दिसम्बर, 1973, की लोक-सभा के पटल पर रख दी गयी थी, भारतीय कम्पनियों की जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी हिस्से है, एक निर्दिष्ट अवधि के अन्दर उनकी कार्यविधियों के स्वरूप के अनुसार 26 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक, भारतीय हिस्से रखने होंगे । इसी तरह भारत में स्थित विदेशी कम्पनियों की शाखाओं को एक निर्दिष्ट अवधि में 26 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक उनकी कार्यविधियों के स्वरूप के अनुसार भारतीय हिस्से रख कर उन्हें भारतीय कम्पनियों में बदलना होगा ।

ऐसी भारतीय कम्पनियों/शाखाओं को अपने काम जारी रखने के लिये 1 जनवरी, 1974, से अर्थात् जिस तारीख से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू हुआ था, अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र देने होंगे ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय कम्पनियों/शाखाओं को विदेशी हिस्सों आदि को कम करने के लिए कहने के प्रश्न पर उसी समय विचार किया जाएगा जब इन कम्पनियों के आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा ।

(ग) इस समय यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण के बारे में यूनुस समिति का प्रतिवेदन

512. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिये 1972 में वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गई थी जिसमें सर्वश्री मोहम्मद यूनुस तथा के० किशोर शामिल थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निदेश-पद क्या थे;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए मंत्रालय में पहले अधिकारियों की एक समिति स्थापित की गई थी । बाद में इसे इसके कार्यकरण की जांच करने और इसके कार्यकलापों को सुधारने और इसके संगठनात्मक स्वरूप को सुदृढ़ करने के उपायों का सुझाव देने के लिये एक अन्त:मंत्रालय कार्य दलद्वारा पुनर्गठित किया गया । इस दल ने अब अपना प्रतिवेदन दे दिया है ।

सूखा राहत कार्यों के लिए बिहार को वित्तीय सहायता

513. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने हाल में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वर्ष 1973-74 में सूख पर राज्य सरकार द्वारा खर्च की गयी राशि की केन्द्र सरकार प्रतिपूर्ति करे; और

(ख) यदि हां, तो इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गयी है और केन्द्रीय सरकार इन खर्चों की प्रतिपूर्ति करने में कहां तक सहमत हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 1973-74 में विभिन्न सूखा राहत उपायों पर 1.76 करोड़ रुपये के व्यय की सीमा केन्द्रीय सहायता के लिये स्वीकृत की गई है । बिहार सरकार ने केन्द्रीय सहायता के प्रस्तावों के लिये इस सीमा के एवज में अभी तक प्रगति की कोई सूचना नहीं दी है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

514. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिसम्बर, 1973 से अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देय हो गया है क्योंकि सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 1973 के तीन महीनों के दौरान अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य औसत सूचकांक में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की अग्रेतर किस्त की घोषणा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) दिसम्बर, 1973 को समाप्त होनेवाले महीने के लिये अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारह महीने का औसत 232 अंकों से अधिक हो गया है, इसलिये तृतीय वेतन आयोग के फार्मुले की शर्तों के अनुसार संशोधित वेतन मानों में 900 रुपये तक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी, 1974 से देय है। मामले पर विचार किया जा रहा है।

निर्यात क्षेत्र के लिए ऋण सुविधाओं का विस्तार

515. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात क्षेत्र के लिये ऋण सुविधाओं को और अधिक उदार बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 के दौरान निर्यात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) नवम्बर, 1973 में रिजर्व बैंक ने ऋणों पर पाबंदियां लगाने के उद्देश्य से कुल उपायों के अंग के रूप में वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण विस्तार की तथा रिजर्व बैंक से ऋण के बदले लिये जाने वाले ऋणों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी थी। जनवरी, 1974 में रिजर्व बैंक ने निर्यात क्षेत्र को ऋण की अधिकतम सीमा से छूट देने तथा अलग अलग बैंकों को इस बात की जांच के आधार पर ऋण के बदले ऋण देने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया कि किसी बैंक ने निर्यात क्षेत्र को कितना ऋण दिया है तथा उसने क्षेत्र-वार कितना ऋण दिया है। रिजर्व बैंक ने जो सुविधाएं दी हैं, उनका उद्देश्य, इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण निर्यात कार्य में कोई बाधा न आये। चूंकि निर्यात के परिणाम ऋण की उपलब्धता के अतिरिक्त कई अन्य कारणों पर निर्भर करते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी उपर्युक्त छूट के परिणामस्वरूप 1974 में निर्यात में कितनी वृद्धि होगी।

इण्डियन एयर लाइन्स के यात्रियों को नास्ता और मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था को पुनः चालू किया जाना

516. **श्री सरोज मुखर्जी** :
श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को नाश्ता और मध्यान्ह भोजन देना बंद कर दिया गया है ;

(ख) क्या यात्रियों को सुगंधित कागज, मिठाई की गोलियां, स्वादिष्ट भोजन और ठंडे पेय देने की व्यवस्था ने विश्व भर में भारतीय आंतरिक वायु सेवा के लिये बहुत अच्छा नाम पैदा किया है; और

(ग) क्या सरकार का इण्डियन एयरलाइंस के प्राधिकारियों को यह निदेश देने का प्रस्ताव है कि वे किराये को कुछ रुपये तक बढ़ा कर भी इस पद्धति को पुनः चालू करें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी, हां। इण्डियन एयरलाइंस का विमानों पर भोजन परोसना बंद करने का निर्णय अन्य देशों के तत्सम अन्तर्देशीय वाहनों द्वारा अपनायी जा रही परिपाटी के अनुरूप है।

(ग) जी, नहीं। ऐसा समझा जाता है कि इण्डियन एयरलाइंस प्रमुख हवाई अड्डों पर खानपान संस्थानों से यात्रियों को बेचने के लिए स्नैक्स के बंद डिब्बों की व्यवस्था के लिए सम्पर्क बनाये हुए हैं।

सेन्ट्रल बक आफ इण्डिया, कलकत्ता के जमाकर्ताओं को अदायगी

517. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता जिसका पूरा भवन 1974 के आरम्भ में जल कर राख हो गया था, में जमा राशियों को जमाकर्ताओं को वापिस करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) ऐसी सम्पत्ति बहुल संस्थाओं में, जो अनेकों व्यक्तियों की जमा राशियों तथा अन्य मूल्यवान धरोहरों को रखती है ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या सुझाव दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने यह रिपोर्ट दी है कि वह 11 जून, 1974 से अपने गृह बचत जमाकर्ताओं (होम सेविंग्स डिपाजिटर) को 500 रुपये तक की अन्तरिम अदायगियां कर रहा है। इसके अलावा इस उद्देश्य से कि अन्य ग्राहकों के कारबार से सम्बन्धित रोजमर्रा के लेनदेनों में कोई गड़बड़ न हो जाय, बैंक उपयुक्त समय के अन्दर-अन्दर सत्यापन की शर्त के साथ, अपेक्षाकृत बड़ी रकमों को निकालने की अनुमति दे रहा है। बैंक ने यह रिपोर्ट भी दी है कि उसने एक विशेष पुनर्निर्माण कक्ष की स्थापना की है, जिसके अध्यक्ष एक सहायक महाप्रबन्धक हैं, जिन्हें केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई द्वारा विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया गया है। बैंक को आशा है कि उसे अपने जमा-कर्त्ताओं के दावों को पूरा करने और अपने असामियों की इच्छानुसार उनके खातों के सामान्य संचालन की अनुमति देने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने अग्निकांड के कारणों की जांच करने के लिए एक दल गठित किया है; उस दल का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अग्नि-दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये यदि कोई विशेष उपाय करने जरूरी होंगे, तो उन पर इस दल के निष्कर्षों के उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

चाय बोर्ड द्वारा चाय उद्योग का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

518. **श्री सरोज मुखर्जी :**
श्री एम० के० कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने नियमित आधार पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के चाय उद्योग का एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कराने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्य किस एजेंसी को सौपा गया हैं; और

(ग) क्या भारत के सभी विदेशी चाय बागानों के राष्ट्रीयकरण लाने की आवश्यकता के बारे में उपरोक्त अध्ययन में विशेष बल दिया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) चाय बोर्ड द्वारा व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद, नई दिल्ली को 1973-74 के दौरान दार्जिलिंग में चाय उद्योग के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया है।

(ग) सर्वेक्षण का उद्देश्य विशिष्ट चाय उत्पादक क्षेत्र में चाय उद्योग की विशिष्ट समस्याओं का पता लगाना है ताकि बोर्ड उपयुक्त सुधारात्मक उपाय आरंभ करने में समर्थ हो सके।

कलकत्ता के विकास के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

519. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, 1973 में भारत का दौरा करने वाले विश्व बैंक दल ने कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से लगभग 25 करोड़ रुपए के ऋण लेने की स्वीकृती दे दी है ;

(ख) क्या विश्व बैंक द्वारा ऋण मंजूर करने की आवश्यक पहली शर्त यह है कि भारत सरकार कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं में वित्तीय योगदान करे; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में भारत सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत सरकार ने, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली कलकत्ता नगर विकास परियोजना के लिये विश्व बैंक की उदार शर्तों पर ऋण देने वाली शाखा अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 3.5 करोड़ अमेरीकी डालर (लगभग 26 करोड़ रुपए) के एक ऋण करार पर 12 सितम्बर, 1973 को हस्ताक्षर किए ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार म प्रमुख कागजी मुद्राओं का प्रयोग

520. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के प्रमुख व्यापार राष्ट्रों के वित्तीय विशेषज्ञों ने वाणिज्यिक के आधार के रूप में सोने के बदले 14 प्रमुख कागजी मुद्राओं के प्रयोग करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उपरोक्त योजनाओं को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव के बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) जब 1969 में नए अन्तर्राष्ट्रीय प्रारक्षित यूनिट के रूप में विशेष आहरण अधिकार बनाए गए थे तब उसका मूल्य सोने के रूप में तय किया गया था । चूंकि अमरीकी डालर की परिभाषा भी सोने के रूप में की गई थी, इसलिये अन्य मुद्राओं के रूप में विशेष आहरण अधिकारों का मूल्य विशेष आहरण अधिकार-डालर सममूल्य को संबद्ध मुद्रा के डालर मूल्य के रूप में विनिमय की बाजार दर के साथ गुणा कर के निकाला जाता था । लेकिन अगस्त 1971 में डालर की सोने में परिवर्तनीयता को स्थगित कर दिए जाने से और तब से विभिन्न मुद्राओं के पड़े पैमाने पर सममूल्य से मुक्त कर दिए जाने से उपर्युक्त व्यवस्था दिन-ब-दिन असन्तोषजनक होती जा रही है । खास तौर पर जब मुख्य-मुख्य मुद्राओं को सममूल्य से मुक्त कर दिया गया है, तब विशेष आहरण अधिकारों के लेनदेनों का मूल्य डालर की तुलना में किसी मुद्रा की विनिमय दर के रूप में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार हररोज बदलता रहेगा । इस स्थिति का अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के निपटारे में विशेष आहरण आधिकारों के उपयोग पर बहुत असर पड़ा है । इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार किए जाने से पूर्व यह सुझाव दिया है कि इस संक्राति काल के दौरान विशष आहरण अधिकारों का मूल्य विभिन्न मुद्राओं के मानक समूह (स्टैण्डर्ड वास्केट) के मूल्य के अनुसार आंका जाए । "बीस की समिति" ने 17-18 जनवरी, 1974 को रोम में हुई अपनी बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार

किया था। समिति ने विशेष आहरण अधिकारों के लेनदेन के मूल्य को संक्रातिकाल में मुद्राओं के समूह के साथ जोड़ने के विचार का अनुमोदन किया है। लेकिन इस प्रस्ताव को कार्य रूप देने में काफी समय लगेगा। मुद्राओं के समूह की रचना के बारे में और विशेष आहरण अधिकारों पर ब्याज की दर के बारे में ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका अभी फैसला होना बाकी है। "बीस की समिति" ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशकों से कहा है कि वे इन मामलों के विषय में अपना अध्ययन जल्दी से पूरा करें ताकि कोष मूल्यांकन की इस विधि को जल्दी से अपना जा सके। भारत विशेष आहरण अधिकारों के मूल्य के विश्व की मुद्राओं के मानक समूह के रूप में आंकने के पक्ष में हैं, बशर्ते कि विशेष आहरण अधिकारों के ब्याज की दर को न्यूनतम स्तर पर रखा जाए।

इण्डियन एयर लाइन्स के बेड़े के छोटे विमानों की बिक्री

521. **श्री फतेहसिंहराव गायकवाड : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंडियन एयर लाइन्स के छोटे विमानों की बिक्री करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उस संबंध में उनके मंत्रालय से पहले ही बातचीत कर ली है; और

(ग) इस सौदे से कुल कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स ने अपने विमान बेड़े से डकोटा तथा वाइकाउंट विमानों को समाप्त करने का निर्णय किया है। जब कभी भी उपयुक्त खरीदार आगे आते हैं, इन विमानों को बेच दिया जाता है। अब तक किए गए विक्रय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	पार्टी जिसे बेचा गया	विमान का प्रकार	संख्या	निपटान मूल्य	स्थिति/कैफियत
				(लाख रुपयों में)	
1972-73—					
1	ओमानुदन्वेस्टमैंट कं० (2-11-72 को)	डकोटा	1	0.60	उडन योग्यता प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त हो गयी थी। इंजन बहुत पुराने हो गए थे।
2	मध्य प्रदेश सरकार (1-3-73 को)	डकोटा	1	0.50	उडन योग्यता प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त हो गयी थी। इंजन बहुत पुराने हो गए थे।
3		वाइकाउंट	4	1.26	इंजनों, प्रापलरों तथा उपांगों को हटाने के पश्चात्, स्क्रैप के रूप में नीलाम द्वारा बेचा गया।

क्रम सं०	पार्टी जिसे बेचा गया	विमान का प्रकार	संख्या	निपटान मूल्य	स्थिति/कैफियत
1973-74—				(लाख रुपयों में)	
1	एयरबोर्न इंडिया (फरवरी, 1974 में)	डकोटा	1	1.48	उड़न योग्यता प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त हो गयी थी। आंशिक इंजन घंटे उपलब्ध।
2		डकोटा	2	0.32	इंजनों तथा प्रापेलरों के बिना स्क्रैप के रूप में नीलाम द्वारा बेचे गये।
3		वाइकाउंट	3	1.01	इंजनों, प्रापेलरों तथा उपांगों को हटाने के पश्चात् स्क्रैप के रूप में नीलाम द्वारा बेचे गए।

1973 के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

522. **श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़ :**
श्री वकारीया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुयी और उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से अधिकतम पर्यटक भारत आये थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) 1973 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में पिछले वर्ष की तुलना में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1973 के दौरान अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा का अनुमान 67.5 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ग) यू० एस० ए०, यू० के०, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, श्रीलंका, जापान, मलेशिया, इटली आस्ट्रेलिया तथा कनाडा पहले दस देश हैं जहां से कुल पर्यटकों में से लगभग 68 प्रतिशत पर्यटक भारत आए।

वर्ष 1973 में व्यापार घाटा

523. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में हमारे देश को अन्य देशों के साथ व्यापार में घाटा हुआ था, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) निर्यातों (पुनर्निर्यातों सहित) के मुकाबले में खाद्यान्नों, उर्वरकों, पी० ओ० एल० आदि जैसी मदों के आघातों की वृद्धि दर के और तेजी से बढ़ने के कारण व्यापार घटा हुआ था ।

सरकारी क्षेत्र में युक्तिसंगत वेतन ढांचों की मांग

524. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी प्रतिष्ठानों के प्रशासकों ने सरकारी क्षेत्र के लिये युक्तिसंगत वेतन ढांचे की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार का विचार है कि जहां तक संभव हो सके मजदूरी में समानता लाई जाय । सरकार ने मजदूरी में अनुचित अन्तरों को दूर करने के लिये, मजदूरी नीति के जरूरी क्षेत्र के कुछ सामान्य निर्देशक सिद्धांत जारी किए है । इस समय सरकारी उपक्रमों में सरकार की पूर्व स्वीकृती के बिना मजदूरी और सीमान्तिक लाभों में किसी भी सामान्य संशोधन के करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । ऐसे प्रस्तावों पर विचार करते समय सरकार मजदूरी नीतियों में अधिक से अधिक समानता लाने का प्रयत्न करती है ।

इण्डियन एयर लाइन्स में कर्मचारियों की छंटनी का प्रस्ताव

525. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स में कुछ कर्मचारियों की छंटनी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) इस छंटनी के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) औग (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

इन्डो-ब्रिटिश हाट एयर बेलून टीम द्वारा प्राप्त सफलता

526. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडो-ब्रिटिश हाट एयर बैलून टीम को, जिसने हाल ही में एक गुब्बारा छोडा था, अपने उद्देश्य में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोग ऋतु संबंधी भविष्यवाणी करने में कहां तक सहायक सिद्ध हुआ है; और

(ग) देश में मौसम संबंधी वेधशालाओं में विद्यमान वर्तमान गुब्बारा-प्रणाली की तुलना में ऐसे गुब्बारे किस सीमा तक सस्ते पड़ेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) गर्म हवा के गुब्बारे की, जोकि बैलूनिंग क्लब आफ इंडिया तथा यू० के० ब्रिटिश बैलून व एयर-शिप द्वारा संयुक्त रूप से भोपाल में 25 जनवरी, 1974 को उड़ाया गया था, 44500 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने की सूचना मिली है ।

(ख) गुब्बारों की उड़ानें मौसम के पूर्वानुमान के प्रयोजन के लिए नहीं अपितु क्रिडा के लिए की गई थीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जयपुर स्थित नाहरगढ और जयगढ के ऐतिहासिक किलों के विकास

527. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार के जयपुर स्थित नाहरगढ़ और जयगढ़ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किलों को विकसित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिना महिषा) : (क) राजस्थान सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर के साथ ऋण नीति पर पुर्नविचार

528. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 जनवरी, 1974 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर के साथ ऋण नीति पर पुनः विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निर्णय लिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 2 जनवरी, 1974 को रिजर्व बैंक के गवर्नर और कुछ बड़े बैंकों के प्रमुखों के साथ ऋण नीति के विषय में बातचीत की थी । बैठक में आम राय यह थी कि मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मुद्रा संबंधी प्रतिबन्धों की वर्तमान नीति को जारी रखा जाए । यह भी स्वीकार किया गया कि स्थिति पर बराबर विचार किया जाना चाहिये और इस संबंध में आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि उत्पादन, निर्यात और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को किसी प्रकार की हानि न हो ।

पालिसीधारियों को वित्तीय लाभ

529. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारियों को 6 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) क्या सरकार ने तदनुरूप पालिसी धारियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने की वांछनीयता पर विचार किया है; जो या तो बोनस की दरों में वृद्धि करना है अथवा अवधि पूरी होने वाली पालिसी के मूल्य को मूल्य सूचकांक से जोड़ना है जैसा कि विदेशों में प्रचलित है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी नहीं । बोनस पाने के हकदार पालिसीधारकों के लिये बोनस की दरों में कोई भी वृद्धि उस फालतू रकम पर निर्भर रहेगी जो दो वर्ष में एक बार होने वाले बीमांकक मूल्यांकन से प्रकट होती है ।

परिपक्व पालिसी की रकम का संबंध मूल्य सूचकांक से जोड़ने का सुझाव इस देश के लिये व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि जीवन बीमा निगम को अपनी निवेश योग्य पुंजी का 75 प्रतिशत भाग सरकारी और 'अनुमोदित' प्रतिभूतियों में ही लगाना पड़ता है । इसके अतिरिक्त विदेशों में इस प्रकार की योजनाओं का आधार सामान्य शेयर बाजार (equity market) होता है, जो यहां इस प्रकार की योजना को सम्हाल नहीं पायेगा ।

वेतनों में असमानता

530. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारी को जीवन निर्वाह लागत मूल्य सूचकांक में हर चार अंकों की वृद्धि के लिये 6 प्रतिशत वृद्धि मिलती है जबकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को इसके लिये बहुत कम महंगाई भत्ता मिलता है;

(ख) यदि हां, तो बैंक कर्मचारियों, खाद्य निगम, भारतीय तेल निगम और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हुई वृद्धि को जीवन निर्वाह लागत सूचकांक में निष्प्रभावित करने के लिये कितने-कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता है;

(ग) यदि दरें समान नहीं हैं तो विभिन्न दरों के लिये अपनाये गए भिन्न भिन्न सिद्धांत कौन-कौन से हैं तथा क्या यह वेतनों में असमानता का एक स्रोत है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में जिसका सभी वेतन भोगियों पर समान प्रभाव पड़ता है में एकरूपता लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सामग्री इकट्ठी की जा रही है और यथा-सम्भव सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

7—39 L.S.S./73

पालम हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटनाएं

531. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर हुई अधिकांश विमान दुर्घटनायें 'आऊटर मार्कर' और 'मिडल मार्कर' के बीच हुयीं;

(क) क्या सरकार ने भारतीय विशेषज्ञों द्वारा अथवा विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग से इस परिस्थिति विशेष कीं जांच कराने की वांछनीयता के बारे में विचार किया है; और

(ग) क्या पहले ही इस मामले की विस्तृत जांच कर ली गई हैं और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) जनवरी, 1966 से अब तक गत आठ वर्षें के दौरान अनुसूचित सेवाएं परिचालित करने वाले छह: विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर अथवा उसके निकट दुर्घटनाग्रस्त हुए थे । दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जज की अध्यक्षता में एक जांच न्यायालय हाल ही में लुफ्थांसाँ के बोइंग 707 विमान की 20 दिसम्बर, 1973 को हुई दुर्घटना की जांच कर रहा है । अन्य पांच दुर्घटनाओं के कारण संलग्न विवरण (अनुबंध) में दिये गए हैं जिनसे पता चलता है कि ये सभी दुर्घटनायें मानवीय चूक के कारण हुई थीं तथा हवाई अड्डे पर उपलब्ध सुविधाओं और उस की स्थलाकृति में कोई दोष नहीं था । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6192/74**]

जनता के मस्तिक में व्याप्त संशयो को देशते हूए, जैसा कि समाचारपत्र रिपोर्टो से प्रतिबिम्बित हूआ था नागर विनानन के महानिवेशक ने दिल्ली हवाई अड्डे के उपकरण अवतरण प्रणाली के कार्यचालन को जांच करने के लिए तुरंत कदम उठाये । अब तक आयोजित सभी प्रयोगों एंव परिक्षणों से, जिसमे यात्रिक अवतरण प्रणाली (आई० एन०एस०) उपस्कर के निर्माताओं द्वारा किए गए परिक्षण भी सम्मिलित है, पता चलता है कि उपस्कर के कार्यचालन मे किसी प्रकार की त्रुटि नही है ।

राज्य व्यापार निगम को बासमती चावल के निर्यात से लाभ

532. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को गत वर्ष के दौरान बासमती चावल के निर्यात से अभूतपूर्व लाभ हुआ है और यदि हां, तो कितना लाभ हुआ है; और

(ख) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनसे राज्य व्यापार निगम को इतना अधिक लाभ हो सका तथा उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके निर्यात में इसी अवधि में कमी हुई है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम को दिसम्बर, 1973 तक निर्यात किए गए चावल पर 49.62 लाख रु० का लाभ हुआ है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य व्यापार निगम ने निम्नोक्त मदों में निर्यातों में वृद्धि की है :—

(लाख रुपयों में)

मदें	1973–74 अप्रैल 73 जनवरी 74	1972–74 अप्रैल 73 जनवरी 74
आर्मी साफ्टवेयर	61	25
बैंजीन	47	..
पैराफीन मोम	17	..
गम रोजिन	19	..
औषधि/रासायनिक पदार्थ	6	2
ग्रामोफोन रिकार्ड	10	..
सुखाई हुई मछलिया	96	41
मसाले	8	2
सीमेंट	159	136
प्राकृतिक रबड़	112	..
जूते	520	454
तैयार चमड़ा	78	71
चमड़े का सामान तथा संघटक	96	45
अरण्डी का तैल	1352	1043
अफीम	221	218
अगिया घास का तैल	187	65
हरड़	8	..
कृत्रिम रेशम के वस्त्र	884	529

राज्य व्यापार निगम को उन कतिपय मदों के निर्यातों में गिरावट की संभावना है जिसका उत्पादन कच्चे तेल तथा वनस्पति/खाद्य तेलों की उपलब्धता से परस्पर संबंधित है अथवा जिसके निर्यात को स्थानापन्न वस्तुओं से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है अथवा जो किसी अन्य अवरोधों से प्रभावित हैं।

तीसरे वेतन आयोग द्वारा अनिर्णीत छोड़े गए मामलों का निपटारा

533. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में अनिर्णीत छोड़ गये सभी मामलों के निपटाने के बारे में कोई अभ्यावेदन उनके मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है अथवा कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मांगों का सार क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) तृतीय वेतन आयोग ने अपने निदेश-पदों के अन्तर्गत समाविष्ट सभी मामलों पर अपनी सिफारिशें पेश की हैं, जैसे–वेतन–मान, भत्ते, लाभ एवं सुविधाएं और कर्मचारियों की सेवा–शर्तें। परन्तु उसने "सेवा–शर्तों" पद की व्याख्या एक सीमित अर्थ में की है और पदोन्नति प्रणाली, चरित्र-पुस्तकों, सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, राजनीतिक अधिकार, संस्थाएं बनाने के अधिकार, समझौते की बातचीत एवं विवादों के निपटान का तंत्र और अनुशासनिक कार्यविधियों से संबंधित मामलों को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर रखा है। ऐसा इसलिये भी किया गया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग जैसे अनेक उच्च अधिकार–प्राप्त आयोगों द्वारा केवल कुछ ही समय पूर्व इन सभी मामलों की जांच की गयी थी। इन मामलों में से किसी भी मामले के विरुद्ध मौखिक अथवा लिखित रूप से कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया है। आयोग की सिफारिशों पर, संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर गत सितम्बर में उनके प्रतिनिधियों के साथ बतचीत की गयी थीं और श्रेणी II, III तथा IV के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेते समय उनके दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा गया था। सामाण्य एवं असामान्य कर्मचारी वर्गों के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों पर सरकारी आदेशों के कार्यान्वियन से उत्पन्न कुछ असंगतियों के मामलों की जांच करने के लिए कर्मचारी पक्ष के अनुरोध पर क्रमशः राष्ट्रीय तथा विभागीय परिषदों की समितियों की स्थापना करना भी अब मान लिया गया है।

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी कम्पनियोंको अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण/स्थानान्तरण करने के बारे में जारी किए गए निर्देश

534. **श्री रणबहादुर सिंह :**

श्री जे० बाई० कृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने ऐसे व्यक्तियों को जोकि भारत के नागरिक नहीं ह तथा बैंकिंग कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों को भारत में किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करने, अपने पास रखने, स्थानान्तरित करने अथवा बैचैन के लिए अनुमती लेने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए है; और

(ख) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति और अधिसूचना की एक प्रति सभा–पटल पर रख दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 6193/74**] इन्हें, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 31 की व्यवस्थाओं को प्रभावशाली बनाने के लिये, जारी किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 1 अप्रैल, 1974 से पहले, भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष घोषणा करनी पड़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए प्राप्त होने वाले परिणामों के बारे में इतनी जल्दी ोई विचार नहीं प्रकट किये जा सकते।

विदेशी एयर लाइनों द्वारा भारतीय हवाई अड्डों से तेल उठाया जाना

335. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में विदेशी एयरलाइनों को भारतीय हवाई अड्डों से कम तेल उठाने की प्रार्थना की है अथवा इस बारे में उसने अपनी नीति पर पुर्नविचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) ईंधन की विषम स्थिति को देखते हुये, नागर विमानन के महानिदेशक ने 19 दिसम्बर, 1973 को दिल्ली में भारत से ईंधन उठाने के बारे में सभी अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की एक बैठक का आयोजन किया था। इसमें विमान कम्पनियों से आग्रह किया गया कि वे दिसम्बर, 1973, जनवरी व फरवरी 1974 के महीनों में भारतीय विमानक्षेत्रों से विमानन टरबाइन ईंधन उठाने में गत वर्ष इन तीन महीनों में उठाये गये ईंधन की तुलना में स्वेच्छा से 20 प्रतिशत की कटौती करे। विमानन टरबाइन ईंधन की स्थिति की बराबर समीक्षा की जा रही है।

सरकारी खर्चों में की गई मितव्ययता

536. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महीनों में सरकारी खर्चे में कोई मितव्ययता की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रुपरेखा क्या है और खर्चे के प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि बचायी गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय मे रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6194/74**]

मूंगफली का निर्यात

537. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंगफली का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की मुंगफली का किन-किन देशों को निर्यात होता है ; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के प्रथम नौ महीनों में उसके निर्यात के द्वारा अर्जित मुद्रा का विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) केवल हाथ से चुनी हुई व छंटी हुई बिना छिली तथा गिरियों के रूप में मुंगफली के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

चालू वर्ष के पहले पांच महीनों में बिना छिली तथा गिरियों के रूप में हाथ से चुनी व छंटी हुई मुंगफली के देशवार निर्यात की मात्रा तथा उनका मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। अगस्त, 1973 से बाद के निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

मात्रा में० टन में/ मूल्य हजार रु० में

क्रमांक	देश/वस्तु	1973-74 (अगस्त, 1973 तक)	
		मात्रा	मूल्य
1.	**हाथ से चुनी हुई व छंटी हुई मूंगफली की गिरियां**		
	वल्गारिया	105	275
	चैकोस्लोवाकिया	56	201
	जर्मन जनवादी गणराज्य	235	1,077
	जापान	50	224
	इटेन	..	..
	नीदरलैंड	..	..
	नेपाल	..	..
	रोमानिया	291	1,122
	पोलैण्ड	..	..
	यूनाइटेड किंगडम	..	..
	अमरीका	8,322	32,853
	यूगोस्लाविया	1,816	6,524
	अन्य देश	15	63
		10,890	42,339
2.	**मूंगफली को गिरियां जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं**	..	..
3.	**बिना छिलो हाथ से चुनी हुई व छंटी हुई मूंगफली**		
	चैकोस्लोवाकिया	279	718
	जर्मन जनवादी गणराज्य	392	1,224

क्रमांक	देश/वस्तु	1973-74 (अगस्त, 1973 तक)	
		मात्रा	मूल्य
	जापान	..	..
	नेपाल	4	6
	अमरीका	59	185
	युगोस्लाविया	388	1,313
	पौलेण्ड	..	..
	यूनाइटेड किंगडम	उपलब्ध नहीं	नग०
	रोमानिया	..	..
	अन्य देश	..	..
	योग .	1,122	3,446
4.	**बिना छिली मूंगफली जिसका अन्यत्र उल्लेख नहीं** . .	..	..

घाटे की अर्थव्यवस्था

538. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के ग्यारह महीनों के दौरान अब तक घाटे की अर्थ व्यवस्था की कुल राशि कितनी हो गई है; और

(ख) अतिरिक्त घाटे की अर्थ व्यवस्था को प्रभावी रूप से नियन्त्रित करने के यदि कोई ठोस परिणाम निकले है, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन, खाद्यान्न के लिये दी गयी सरकारी सहायता, राज्यों को दी गयी अतिरिक्त सूखा-राहत सहायता और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं और योजनाओं के लिये भी अतिरिक्त धन जुटाने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था करनी पडी। हालांकि इस वर्ष घाटे की अर्थ व्यवस्था को कम करने के लिये बचत के उपायों को लागू कुछ हद तक किया जा चुका है। इन बचतों से अतिरिक्त खर्च से होन वाली कमी पूरी नहीं हो सकेगी।

चालू वित्त वर्ष के ग्यारह महीनों में घाटे की अर्थ-व्यवस्था के आंकडे चालू माह के समाप्त होने के पहले उपलब्ध नहीं होंगे। सरकार की आय व खर्च में महीने वार तालमेल नहीं रहता इस लिये महीनेवार आंकडों से वर्ष के अन्त में होने वाले घाटे का सही पता नहीं चल सकता।

होटल प्रबन्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम

539. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक नियमित तथा व्यवस्थित होटल प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) होटलों के लिए प्रबंधक वर्ग स्तर का प्रशिक्षण भारत पर्यटन विकास निगम तथा निजी क्षेत्र में दो प्रमुख होटल श्रृंखलाओं में उपलब्ध है। भारत पर्यटन विकास निगम पांचवीं योजनावधि में अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करेगा जो कि मुख्य रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों सम्बन्धी उस की अपनी बढती हुई मांग की पूर्ती करेगा। पर्यटन विभाग का, यात्रा उद्योग के जिसमें होटल भी सम्मिलित है, विभिन्न अंगों के लिए पर्यटन और यात्रा उद्योग प्रबंध का व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक पर्यटन संस्थान के गठन का भी प्रस्ताव है। संस्थान का मुख्य कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए दो वर्ष का एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाना है जिन्हों ने स्नातकपूर्व शिक्षा के 3/4 वर्ष पूरे कर लिये हों। संस्थान वरिष्ठ मध्यम तथा कनिष्ठ प्रबंधक वर्ग स्तरों पर यात्रा तथा होटल उद्योग के लिए एक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज के लिए किया गया ठेका तथा उसका आयात

540. **श्री राम कंवर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने अखबारी कागज का आयात करने के लिये कई देशों से संपर्क स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितने अखबारी कागज के लिये करार किया गया तथा कितना आयात किया गया; और

(ग) क्या अखबारी कागज की स्थिति में अब सुधार हुआ है, यदि नहीं, तो वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये अधिक अखबारी कागज आयात करने हेतु भारत सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) उत्पादन लागत में असाधारण वृद्धि तथा कनाडा में अखबारी कागज मिलों में हड़तालों के कारण विश्व भर में अखबारी कागज की बहुत कमी है। सरकार भारतीय राज्य व्यापार निगम को प्रतियोगी कीमतों पर अखबारी कागज की अधिक से अधिक मात्रा प्राप्त करने में सभी संभव सहायता दे रही है।

विवरण

1973 के दौरान विभिन्न देशों से आयात किये गये अखबारी कागज की माता तथा मूल्य इस प्रकार है :–

जिस देश से आयात किया गया	माता (मे० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
1. सोवियत संघ . .	38,359	636.36
2. कनाडा . . .	34,767	417.81
3. पोलैंड . . .	2,745	41.08
4. बंगला देश . . .	14,531	203.40
5. स्कैंडिनेविया . .	5,363	79.18
6. फिन्लैंड . . .	1,000	15.20
7. चेकोस्लोवाकिया . . .	2,400	32.40
योग .	99,165	1425.43

दक्षिण अमरिका के साथ व्यापार में वृद्धि की सम्भावना

541. **श्री राम कवर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अमरीकी देशों को भारत से जिन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) दक्षिण अमरीकी देशों से जिन वस्तुओं का भारत आयात कर रहा है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दक्षिण अमरीकी देशों के साथ व्यापार बढाने की सम्भावनाओं की जांच की है;

(घ) क्या इस विषय पर सरकारी तथा गैर सरकार संगठनों ने हाल ही में अध्ययन तथा सर्वेक्षण किये है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत से दक्षिण अमरीकी देशों को नियुक्ति की मुख्य मदें पटसन निर्मित माल, चमडा तथा चाय है यद्यपि इनमें से कुछ देशों को दस्ती औजारों, बाइसिकलों के फालतू पुर्जों, इस्पाती तार के कबलों, डीजल इंजिनों, रेलकी पटरियों, वस्त्र मशीनों, रसायनों, कागज आदि जैसी अपरम्परागत मदों का भी निर्यात किया जा रहा है ।

(ख) भारत को दक्षिण अमरीकी देशों से आयात प्रमुखतः अलौह धातुओं, रुई तथा गेहूं तक सीमित है ।

(ग) से (ङ) जी, हां। दक्षिण अमरीकी देशों के साथ अपना व्यापार बढाने के वास्ते प्रति-निधिमंडलों का आदान-प्रदान जिनमें व्यापार संबंधी दौरे भी शामिल है, मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेना, करार सम्पन्न करना आदि जैसे कई संवर्धनात्मक उपाय किये गये हैं। पेरू,

चिल्ली, ब्राजील तथा कोलम्बिया के साथ पहले ही करार संपन्न किये जा चुके है। भारत के औद्योगिक स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद द्वारा वेंजुएला (कारकस) में शीघ्र ही एक पूर्णतः भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है।

कुछ लैटिन अमरीकी देशों को हमारी अपरम्परागत मदों का निर्यात बढाने के लिए परियोजना उपस्कर निगम तथा इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रायोजित दो प्रतिनिधिमंडलों ने इन देशों का दौरा किया। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने अनेक ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जिन में भारत के लिए निर्यात संभाव्यताएं मौजूद है। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने जिन अपरम्परागत मदों की संभाव्यताओं का पता लगाया है उन में ये शामिल है: रेलवे उपस्कर, बाइसिकलें, दस्ती औजार, बल्क हैंडलिंग तथा खनन उपस्कर, सूती वस्त्र मशीनें, सीमेंट मशीनें, चीनी मिल मशीनें, विद्युत वितरण उपस्कर, परिवहन उपस्कर, परामर्शी सेवाएं आदि। दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने ऐसे क्षेत्रों का भी संकेत दिया है जिन में भारत कुछ लैटिन अमरीकी देशों को संयुक्त उद्यम स्थापित करने में सहायता दे सकता हैं।

Pilots' Demands

542. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether all the pilots gave an ultimatum to Government on the 30th January, 1974 that certain demands by them be fulfilled within three days ;

(b) if so, their main demands ;

(c) whether all their demands were accepted within three days; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) and (b) Indian Commercial Pilots' Association have addressed a letter to the management of Indian Airlines *inter alia* demanding :—

(i) The lock-out in respect of pilots should immediately and unconditionally be lifted;

(ii) The Corporation should make full payment of salary and allowances to the pilots for the period of the lock-out; and

(iii) Even in the case of pilots who have given individual undertakings and joined the Corporation, salary and allowances should be paid for the period of the lock-out.

(c) and (d) The management have informed the Indian Commercial Pilots' Association that since the issues raised in their letter were the subject matter of a writ petition filed by them in the Calcutta High Court, it would not be proper to enter into correspondence on the subject.

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन, निर्माण और विपणन

543. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृत्रिम रबड के उत्पादन के विश्वव्यापी संकट को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन, निर्माण और विपणन को बढावा देने के लिए अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या रबड़ के छोटे उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो रबड़ के समग्र उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ग) रबड़ के उत्पादन, निर्माण और विपणन के संवर्धन के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे है :—

(1) पुराने तथा कम उपज वाले रबड वृक्षों की जगह अधिक उपज देने वाली पोंधे सामग्री लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना;

(2) लाभकारी एककों को विद्यमान जोतों के विस्तार के लिए ऋण देना और उनका अनुरक्षण करना;

(3) आर्थिक उपज देने वाली पोंध सामग्री का वितरण;

(4) रियायती दरों पर उर्वरकों और फफुंदे नाशी दवाओं का वितरण;

(5) सहकारी समितियों को रबड़ रोलर खरीदने और सदस्यों में उनका वितरण करने के लिए ऋण देना अथवा रबड़ साधित करने के लिए रोलरों की खरीद के लिए सदस्यों को ऋण देना ;

(6) रबड़ साधित करने के लिए धुम्र (स्मोक) गृहों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों/छोटे उत्पादकों को आर्थिक सहायता देना;

(7) रबड़ का विपणन करने वाली विपणन समितियों को शेयर पूंजी और कार्यकारी पुंजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(8) रबड़ की खेती तथा उसे साधित करने के सभी पहलुओं पर उत्पादकों को निःशुल्क तकनीकी सलाह देना;

(9) रबड़ की खेती की तकनीकी संभाव्यताएं सुनिश्चित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना;

(10) रबड़ रोपण के लिए केन्द्र प्रायोजित परियोजना के रूप में केरल में बागान निगम की स्थापना ।

(ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम और केरल सरकार (केन्द्रीय ऋण सहायता से) रबड़ बाजार में खरीदारी करते है जिससे कि छोटे रबड़ उत्पादकों को न्यूनतम अधिसूचित कीमत मिलनी सुनिश्चित हो सके ।

धर्मशाष्ट मन्दिर, साबरीमला और गुरूवमूर मन्दिर (केरल) का विकास

544. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूजा के कुछ प्रमुख धर्म स्थानों तथा मंदिरों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिए सरकार ने भारी व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो केरल स्थित धर्मशाष्ट मंदिर, साबरीमला को क्यों विकसित नहीं किया गया जहां जनवरी, 1974 में ही 30 लाख यात्री देश के विभिन्न राज्यों से आए थे;

(ग) क्या सरकार गुरूवमूर मंदिर, केरल का भी विकास करेगी जहां सारा साल प्रतिदिन हजारों यात्री अनेक राज्यों से आते है; और

(घ) क्या इस बारे में सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुए है और यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या है और उन पर क्या निर्णय किए गए?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, नहीं। तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तर-दायित्व है। तथापि केन्द्रीय पर्यटन विभाग रामेश्वरम तथा मंत्रालय में पर्यटक बंगलों का तथा पुरी में एक युवा होस्टल का निर्माण कर रहा है, परन्तु ये सुविधायें मुख्यतया धार्मिक यातायात के लिए अभिप्रेत नहीं है।

(ख) से (ग) साबरीमाला, पम्पा, आरनमुला, वरकला, थिरुवल्लम, अलवाय, इतुमनूर, वैकोम तथा नैय्याटिंकारा में 7.55 करोड रुपये की अनुमानित लागत से आवास, जल प्रदाय, बिजली, टायलेट, चिकित्सा व्यवस्था एवं पहुंच मांर्गों के निर्माण आदि के रूप में यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित प्रस्ताव ट्रावनकोर देवस्वम बोर्ड से, जो कि एक संविधिक संस्था है, प्राप्त हुए थे। साधनों की कमी तथा अन्य प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार देवेश्वम बोर्ड द्वारा प्रस्तावित विशाल योजना के लिए निधियों की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है।

परन्तु केरल सरकार ने साबरीमाला तथा गुरुवमुर मंदिरों में पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था की स्कीम को राज्यीय योजना में सम्मिलित कर लिया है।

कोचीन के निकट एक नया हवाई अड्डा

545. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री सी० एच० महम्मद कोया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग को जांच दल द्वारा कोचीन के निकट हवाई अड्डा स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) इस दल ने किन किन स्थानों की जांच की और उनके निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने किस आधार पर यह निर्णय लिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) विभिन्न स्थलों के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्टों का अभी नागर विमानन विभाग में मूल्यांकन किया जा रहा है।

Return of Money advanced to traders by Reserve Bank

546. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Reserve Bank of India has asked the traders to return the money paid to them in the form of financial assistance;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the time by which the same is to be returned?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) to (c) While the Reserve Bank of India has not issued any blanket instructions to banks to recall advances given to traders as such, in the context of large expansion of money supply and the rising prices

the accent of policy in the current busy season is on enforcing the maximum possible restraint upon expansion of credit. In keeping with this policy the Reserve Bank has advised commercial banks that while genuine needs of production and movement of goods should be met, this could best be done through faster turnover of credit. Reserve bank has further advised banks to undertake a careful review of all recent drawings of substantial amounts, particularly in respect of bigger limits of Rs. 25 lakhs and over, and suggested that where there was evidence that money had been drawn in excess of immediate needs, such amounts should be recalled.

Branches of Nationalised Banks in Delhi/New Delhi

547. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of nationalised banks which have branches in Delhi/New Delhi indicating the location of each of the branches; and

(b) the percentage of officers present on 6th November, 1973, class-wise in each of the above branches?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) and (b) A statement is Annexed. [*Placed in the Library. Sec No. L. T.*-6195/74]

अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण उसके आयात खर्च में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विदेशी मु को संरक्षित रखने के लिए कार्यवाही

548. **श्री गजाधर मांझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अशोधित तेल के आयात बिल में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा स्रोतों को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : पैट्रोल पदार्थों के उपभोगों को कम करने के लिए हर सम्भव कदम उठाएं गए है। देश के निर्यात को बढ़ाने के प्रयत्न भी किये जा रहे है। सरकार स्थिति पर लगातार ध्यान रखे हुए है और जब भी जरूरी होगा इस सम्बध में उचित उपाय किये जायेंगे।

कप्रोलैक्टम के आयात के लिए विदेशी मुद्रा

549. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैप्रोलैक्टम के आयात के लिए नाईलान स्पिनर्स को अधिकार पत्रों के रूप में कुछ विदेशी मुद्रा मंजूर कर दी है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नाईलोन से विभिन्न निर्माताओं को जारी किए गए प्राधिकार पत्रों का ब्यौरा

एकक का नाम	मद	मुक्त विदेशी मुद्रा के बदल में		रूपये के बदले में	
		मात्रा मी० मि० टन	मूल्य लाख रु०में	मात्रा मी० मि0 टन	मूल्य लाख रु०में
मैसर्स जै० के० सेन्थेटिक्स	कैप्रोलेक्टम	900	90.00	..	..
मेसर्स जै० के० सेन्थेटिक्स	नाइलोन चिप्स नाईलोन वैस्ट	280	21.00	..	..
मेसर्स निलौन सेन्थेटिक्स	कैप्रोलैक्टम	700	58.69	50	9.27
मैसर्स गरवारे नाइलोन	कैप्रोलैक्टम	400	38.00	100	18.54
मैसर्स गरवारे नाइलोन	नाइलोन चिप्स	50	3.72	..	..
मैसर्स सेंचुरी एन्का	कैप्रोलैक्टम	100	6.65	50	9.27
मैसर्स मोदी	कैप्रोलैक्टम	664	74.84	..	..
मैसर्स मोदी पोन	नाइलोन चिप्स	33	3.46	..	..
मैसर्स श्री सेन्थेटिक्स	कैप्रोलैक्टम	185	22.37	..	..
मैसर्स गुजरात पोलीमीड्स	कैप्रोलैक्टम	400	46.50	50	9.27
	योग	3712.00	365.23	250	46.35

पत्तनों पर नौवहन स्थल की कमी एवं वहां पर भीड़भाड़ का हमारे निर्यात पर दुष्प्रभाव

550. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों पर नौवहन स्थल की कमी तथा वहां पर भीड़भाड़ के कारण हमारे देश के निर्यात व्यापार पर बुरा प्रभाव पड रहा है;

(ख) क्या नौवहन स्थल की कमी के कारण 1972-73 में क्रयादेशों को पूरा करने में विलम्ब हुआ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह सच है कि कभी कभी निर्यातकों को जहाजों की विश्व व्यापी कमी तथा पत्तन पर भीड़भाड़ के कारण सभी पर जहाजों के स्थान प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव होती है।

(ख) केवल जहाजों में स्थान की कमी के कारण 1972-73 में क्रयादेशों को पूरा करने में विलम्ब का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया।

(ग) सरकार स्थिति के बारे में पूर्णतः सजग है तथा जहाजों की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे है। जहाजों में उपलब्ध स्थान का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्यातकों तथा जहाज मालिकों के बीच अधिक घनिष्ठ सम्पर्क कराने के लिए भी कार्यवाही आरंभ की गई है।

वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों से उड़ीसा सरकार के दल के अधिकारियों द्वारा की गई बातचीत

551. **श्री गजाधर मांझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा सरकार ने अधिकारियों के किसी दल ने हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या 13 राज्यों को समाविष्ट करने वाली राज्य सरकार की योजना की राशि 150 करोड से घटा कर 35 करोड कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या आगामी तीन वर्षों में 60,000 गहरे नलकूप लगाकर राज्य की कृषि विकास योजना को कार्य रूप देने में बैंकों की सहायता का राज्य सरकार को आश्वासन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रुपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 24 जनवरी, 1974 को उडीसा सरकार ने राज्य स्तर के समन्वय समिति की एक बैठक बुलाई जिसमें वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

(ख) से (घ) हर सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल के महालेखाकार तथा अराजपत्रित अधिकारी संघ के बीच हुए समझौते को क्रियान्वित करना

552. **श्री एम० के० कृष्णन :**
श्री ए० के० गोपालन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के महालेखाकार तथा अराजपत्रित अधिकारी संघ के बीच हुए समझौते को अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) केरल के महालेखाकार कार्यालय के उप-महालेखाकार (प्रशासन) और उस कार्यालय के अराजपत्रित अधिकारी संघ के उपाध्यक्ष के बीच 24 फरवरी, 1973 को हुए समझौते की, एक के सिवाय

सभी शर्तों को कार्यान्वित किया गया है। उस मत के अनुसार, महालेखाकार ने 7-1-73 से 19-2-1973 तक 'काम मत करो' हड़ताल की अवधि के वेतन की अदायगी से सम्बन्धित नियम में ढील देने के बारे में नियन्त्रक महालेखापरीक्षक तथा भारत सरकार को अनुकूल सिफारिश पेश करनी थी, बशर्ते कि संघ द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारी अपने बकाया काम का निपटान कर दें। चूंकि महालेखाकार द्वारा अनुकूल सिफारिश करना, समझौते के अनुसार, बकाया काम का निपटान करने पर निर्भर था और चूंकि उस शर्त को पूरा नहीं किया गया, इस लिए महालेखाकार सिफारिश नहीं कर सका।

23-12-1973 को पालम पर एयर इण्डिया जम्बों के टायरों का फटना

553. **श्री पीलू मोदी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 दिसम्बर, 1973 को पालम एयर पोर्ट के रनवे 28 पर उतरते समय एयर इण्डिया जम्बो जेट के दो टायर फट गए थे;

(ख) क्या एयर फरान्स जम्बो जेट विमान के टायर भी 27 दिसम्बर, 1973 को पालम के 28 रनवे पर उतरते समय फट गए थे;

(ग) क्या उक्त घटनाओं की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 23 दिसम्बर, 1973 को एयर इण्डिया का बोईंग 747 विमान वी० टी० – ई० बी० एन० बेरुत से दिल्ली अनुसूचित उडान का परिचालन कर रहा था। दिल्ली में अवतरण करने पर दो टायर फटे हुए व उनके उपरितल (ट्रेड) पूर्णतः गायब पाये गये। घटना की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि इन बोर्ड वील टायर ट्रेड दिल्ली में अवतरण से पूर्व बेरुत में ही आरोहण करते समय मुख्य टायर से विच्छिन्न हो गये थे। दिल्ली में अवतरण करने पर दूसरा आउट बोर्ड टायर फट गया था।

घटना का मूल कारण इन–बोर्ड वील टायर के ट्रेड की विफलता है जिसे विस्तृत जांच के लिये 'रि-ट्रेड' करने वाले के पास भेज दिया गया है।

(ख) पालम धावनपथ 28 पर अवतरण करते समय एयर फरांस का एक जम्बो जेट टायर फटने की घटना का शिकार हुआ था। यह घटना 25 दिसम्बर, 1973 को हुई थी (न कि 27 को)।

(ग) नागर विमानन विभाग के अधिकारी व अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के निदेशक धावनपथ को देखने गये थे। वहां इस बात के संकेत मिले कि अवतरण के दौरान एयर फ्रांस के विमान का अवचक्र (अंडर कैरेज) लुफ्थांसा के मलबे से टकरा गया था।

(घ) धावनपथ 28 के प्रारंभ में पडा लुफ्थांसा विमान का मलबा अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार विमान परिचालनों के लिये "बाधा" नहीं समझा जा सकता था। फिर भी सावधानी की खातिर 24 दिसम्बर, 1973 को नागर विमानन के महानिदेशालय द्वारा 'एयरमेन' के लिए विधिवत एक नोटिस जारी किया गया जिसमें इस मलबे के घटा कर 11 फुट तक की गयी ऊंचाई में मौजूद होने के बारे में सूचना दी गई। लुफ्थांसा विमान के मलबे को उक्त स्थान से 2 जनवरी, 1974 को पूर्णतः हटा दिया गया।

यह घटना एयर फरांस विमान के चालक द्वारा अत्यधिक नीची 'एप्रोच' के कारण हुई थी।

दुर्घटनाग्रस्त हुए लुफ्थांसा बोइंग के यात्रियों का कथित तंग किया जाना

554. **श्री पीलू मोदी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुफ्थांसा बोईंग विमान जो 20 दिसम्बर, 1973 को पालम पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, के कुछ यात्रियों को लन्दन जाने वाले कुवैत एयरवेज के विमान में चढ़ा दिया गया था;

(ख) क्या कुवैत ने विमान को दिल्ली वापस भेजा ताकि लन्दन जाने वाले यात्रियों को यहां उतार कर वह केवल उन्हीं यात्रियों को कुवैत लाये जिन्हें कुवैत जाना था;

(ग) क्या कई यात्रियों ने कुवैत एयरवेज के इस व्यवहार को बुरा माना; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) नागर विमानन के महानिदेशक ने कुवैत एयरलाईन्स और लुफ्थांसा से आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात् इस बात की पुष्टि कर दी है कि 20 दिसम्बर, 1973 को पालम पर दुर्घटनाग्रस्त हुए लुफ्थांसा बोईंग विमान के किसी भी यात्री को कुवैत एयरलाइंस द्वारा नहीं ले जाया गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अग्रिम राशि देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आवेदनों का स्वीकार किया जाना

555. **श्री पिलू मोदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वाणिज्यिक बैंकों सहित बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किसी भी क्षेत्र में अग्रिम राशि देने के लिए नये आवेदन लेना वास्तविक रूप से बंद कर दिया है;

(ख) क्या प्राथमिक क्षेत्र के कारखाने भी इस में आते हैं;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण नियंत्रण की ऐसी पद्धति अपनाने के क्या कारण हैं?

(घ) इसके परिणामस्वरूप उद्योगों को कितनी हानि हो रही है, और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) मुद्रा उपलब्धि में उल्लेखनीय वृद्धि होने और मूल्यों पर उस का दबाव पडने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के चालू अधिक कामकाज के दिनों के लिए बनायी गयी ऋण नीति का उद्देश्य ऋण नियंत्रण उपायों को कडा करने का है। इन उपायों में और बातों के साथ साथ ये उपाय शामिल है— वाणिज्यिक बैंकों के खाद्य-भिन्न ऋण विस्तार की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, अनुसूचित बैंकों की रिजर्व बैंक से ऋण लेने की सीमा निश्चित करना, सांवधिक नकदी या नकदो जैसी परिसम्पति के अनुमान की आवश्यकताओं में वृद्धि करना। इन उपायों को तत्काल लागू करने से कुछ बैंकों को अपने द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर पाबन्दी लगाना आवश्यक हो गया जैसा उन्होनें स्थिति का जायजा लिया और विभिन्न क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों का उचित नियमन कर दिया। तथापि सभी बैंकों ने, इस बात का सुनिश्चयन करने के लिए कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और उत्पादन प्रयोजनों के लिये दिये जाने वाले

8—39 LSS/73

ऋणों पर इन उपायों का प्रभाव न पड़े, कदम उठा लिए हैं। और, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के मुताबिक बैंक पूर्व स्वीकृत ऋण सीमा के अन्तर्गत शीघ्रता से ऋण देकर उत्पादन और सामान को लाने लगाने की सभी उचित ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस के अलावा निर्यात क्षेत्र को पर्याप्त रकम देने का सुनिश्चयन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू अधिक कामकाज के मौसम के दौरान इस क्षेत्र के ऋण विस्तार पर लगायी गयी मात्रात्मक सीमा से छूट देने का निश्चय किया है और इस क्षेत्र के लए कुछ हद तक अधिक पुनर्वित सुविधाएं देने की व्यवस्था भी की है। ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योगों को पूर्व नियत अधिक मार्जिनों की आवश्यकताओं से मुक्त कर दिया गया है। इस लिए निर्यात सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में उद्योग और छोटे ऋण कर्ताओं की उचित ऋण आवश्यकताओं की उपलब्धि पर ऋण पाबन्दियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विदेशों में भारतीय अधिवासियों के साधन जुटाना

556. **श्री पीलू मोदी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विदेशों में भारतीय अधिवासियों के साधनों को, भारत के हित में जुटाने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की पहल की गयी है; और

(ग) क्या इस प्रकार की पहल के फलस्वरूप क्या भारतीय अधिवासियों ने विकास कार्यों के लिए भारत में पुंजी लगाई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) देश की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साधन जुटाने से सम्बद्ध समस्याओं पर सरकार बराबर विचार करती रहती है। अनिवासियों के खातों के संचालन की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। इसके अलावा, लोग अपने नाम से विदेशों में खोले जाने वाले अनिवासी (बाह्य) खातों में धन जमा करा सकते हैं। इन खातों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है और इनमें मा राशियां वापस भी मंगवाई जा सकती है। बाह्य खातों पर अर्जित व्याज पर कोई आयकर नहीं लगता। इस सम्बन्ध में प्रश्न संख्या 426 और 573 के विषय में अलग से दिये गये उत्तरों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 426 के उत्तर में बताया गया है, मशिनों के आयात की सीमा 5 लाख रुपये से बढा कर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

Foreign Exchange Resources

557. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Vayalar Ravi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the extent to which foreign exchange reserve declined during 1973-74 as a result of foreign exchange spent on importing food grains and raw materials for industries as compared to the figures for 1970-71?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : Reserve Bank's foreign exchange holdings declined from Rs. 376.02 crores on last Friday of March, 1973 to Rs. 356.18 crores on the 8th February 1974. After adjusting revaluation gains of Rs. 43.58 crores, the net fall in the Reserve Bank's foreign exchange holdings in 1973 74 so far has been Rs. 63.42 crores, reflecting the net result of various transactions including imports of food grains and industrial raw materials. In the whole of 1970-71, Reserve Bank's foreign exchange holdings had declined by Rs. 116.13 crores, the bulk of this fall being accounted for mainly by payments to the International Monetary Fund.

Licences for Cultivation of Opium in Ratlam and Mandsaur Districts

558. **Dr. Laxminarayana Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to State :

(a) whether the opium gorowers at certain places in Ratlam and Mandsaur Districts had to experience great difficulty in obtaining licences for cultivation of opium this year;

(b) whether opium growers of Ratlam District had to make many visits to have this work done;

(c) whether this difficulty was due to the delay in laying down the policy in time; and

(d) if so, the steps taken by Government to obviate this difficulty?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) After formulating the policy relating to licensing of opium cultivators in June 1973 maximum publicity was given to this policy through various communication media in the areas where it was decided to licence cultivators. Settlement centres were fixed in a number of villages in the Ratlam and Mandsaur districts, where cultivators from that village, and neighbouring villages were granted licences. This was done to enable the cultivators to contact the officers easily. However, in some cases, where enquiries had to be made by the officers the licences could not be granted in the first visit.

(c) There was no delay in formulation of the Government's licensing policy which wa announced in June 1973, much before the commencement of the poppy season.

(d) Does not arise.

Opium Factory in Madhay Pradesh

*559. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether expansion of opium factory at Neemuch (Madhya Pradesh) is in pro gress;

(b) whether an Alkaloid Factory is also under construction there ;

(c) if so, the time by which the work on Alkaloid Factory will be completed ; and

(d) the total expenditure to be incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No expansion of the Opium Factory at Neemuch is currently in progress. However, a Mixer-*cum*-Drier imported from United Kindom was installed in the Opium Factory at Neemuch in September, 72 and the storage capacity of the Opium Factory too was increased by construction of a new godown in the year 1972.

(b) Yes, Sir.

(c) The erection of the plant is expected to be completed by about July, 74. The Plant will go into production after necessary trial runs are carried out successfully thereafter, which may take 3 to 6 months.

(d) The total expenditure now estimated to be incurred on the Project is Rs. 172.41 lakhs.

Foreign Exchange Earning from Export of Automobile Parts

560. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the figures of foreign exchange earned from export of automobile parts during each of the last three years.

(b) the steps taken by Government to promote export of automobile parts ; and

(c) the names of leading manufacturers and exporters of automobile parts in India?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Exports of automobile parts during the last 3 years and in the current year have been as follows :—

1970-71	Rs. 5.29 crores
1971-72	Rs. 6.54 crores
1972-73	Rs. 5.40 crores
1973-74 (Apr.-Dec.)	Rs. 7.42 crores

(b) Following steps have been taken for promoting exports of engineering goods including auto parts :

(1) Provision of imported raw material to registered exporters ;

(2) Supply of indigenous raw material like steel and aluminium on priority basis ;

(3) Organising of bulk imports of certain raw materials by public sector agencies for export fabrications ;

(4) The recently established Trade Development Authority has been entrusted with the task of promoting export production and overseas marketing of certain selected commodities ;

(5) The Projects and Equipment Corporation is enlarging its activities to increase the export of engineering goods ;

(6) Compensatory support is allowed on exports of selected products to develop marketing competence and to neutralise the disadvantages inherent in the present stage of development of the country;

(7) Drawback of customs and Central Excise duties as also concessional railway freight is allowed on a number of export products; and

(8) In addition to the above, Engineering Export Promotion Council has been taking the following steps, on continuing basis :—sending out trade delegation and study teams, conduct of market surveys abroad, dissemination of information of trade interest amongst exporters, publicity and propaganda abroad, participation in international exhibitions and trade fairs, etc.

(c) Following are some of the leading manufacturers and exporters of automobile parts :—

(1) M/s. Motor Industries Co. Ltd.,

(2) M/s. Escorts Limited.

(3) M/s. Gabriel India Ltd.

(4) M/s. Union Manufacturing Co.

(5) M/s. Gaskets and Oil Seals Pvt. Ltd.

(6) M/s. Lucas TVS Ltd.

(7) M/s. Sundaram Clayton Ltd.

(8) M/s. India Piston Ltd.

(9) M/s. Wheels India Ltd.,

(10) M/s. Murarka Engg. Works.

(11) M/s. Brakes India Ltd.

(12) M/s. Engine Valves Ltd.

(13) M/s. Teksons Pvt. Ltd.

(14) M/s. Automobiles Products of India Ltd.

(15) M/s. Tata Exports Ltd.

(16) M/s. Hindustan Motors Ltd.

(17) M/s. Bajaj Auto Ltd.

(18) M/s. Enfield India Ltd.

(19) M/s. Mahindra and Mahindra Ltd.

(20) M/s. Ashok Leyland Ltd.

लम्बे रेशे वाली सूडानी रुई का आयात

561. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी पांच वर्षों में सूडान की लम्बे रेशे वाली रुई का आयात बन्द कर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रुपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) देश में ही ऐसी रुई के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए 1972–73 के रुई मोसम से सूडान से लम्बे रेशे वाली रुई के आयात बंद कर दिये गये हैं। तथापि 1 3/16 इंच से ऊपर के कुछ अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रुई के आयात की अनुमति दी जा रही है क्योंकि ऐसी रुई किसी उल्लेखनीय मात्रा में देश में अभी भी नहीं उठाई जा रही है। अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रुई के आयातों को बंद करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा का इस समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा सहकारी बैंकों को ऋण देने पर नियंत्रण लगाया जाना

562. **श्री राम प्रकाश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने सहकारी बैंकों को ऋण देने पर भी नियंत्रण लगा दिए हैं; और]

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) संवेदनशील वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, तिलहन, वनस्पति तेल (वनस्पति सहित) चीनी और खांडसरी के सट्टे और जमाखोरी के लिये सहकारी बैंक ऋणों के दुरुपयोग की सम्भावनाओं को दूर करने के विचार से चालू व्यस्त मौसम में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपाय लागू किये हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रुई और कपास के लिये दिये गये अग्रिमों का विनियमन, पिछले वर्ष निर्धारित की गई सीमा को 10 प्रतिशत बढ़ाकर और कुछ वित्तीय सीमाओं तक ऋण के कुल स्तर को प्रतिबन्ध द्वारा कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन वस्तुओं की बिक्री शीघ्र हो, अग्रिमों और ऋणों के स्तर को कम करने के कार्यक्रम भी निर्धारित कर लिये गये हैं। चयनात्मक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा दिए गये अग्रिमों को भी निम्नतम सीमा निर्धारित करके, व्याज की दर और ऋण के अधिकतम स्तर द्वारा ऋण नियंत्रण उपायों के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क तथा आयकर विभागों का पुनर्गठन

563. **श्री नरेंद्र सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क तथा आयकर विभागों को सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पुनर्गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इन विभागों को आवश्यक शक्तियां प्रदान करने हेतु कानून लाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो वह कार्य कब किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्रों में, सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सरकार का सहयोग करें। इन में से प्रत्येक विभाग में सरकार द्वारा अब तक किये गये उपाय संक्षेप में नीचे दिये जाते हैं।

I सीमा-शुल्क विभाग

आयात की जानेवाली वस्तुओं के अनुकल्प को प्रोत्साहित करना, दरों को इस प्रकार से प्रगामी बनाना जिससे समाज के कमजोर वर्गों पर ये भार नहीं बन जाएं, आदि उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क की दरों की सतत समीक्षा की जाती है।

इस विभाग के सामने मुख्य समस्याओं में से एक समस्या तस्कर व्यापार की रही है और सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तस्कर व्यापार किस प्रभावकारी ढंग से रोका जाता है । तस्कर व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये कुछ उपाय ये हैं :

सूचना को ठीक ढंग से एकत्र करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, सन्दिग्ध तस्करों पर निगरानी रखना, सन्दिग्ध जलयानों अथवा वायुयानों की तलाशी लेना और समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों पर जांच/प्रभावकारी अवरोध रोकथाम आदि के लिए समय समय पर तीव्रगति से चलने वाली अतिरिक्त मोटर नौकाओं तथा वाहनों की व्यवस्था की जाती है । सीमाशुल्क समाहर्ताओं, सीमा शुल्क अपर सहायकर्ताओं तथा सीमाशुल्क सहायक समाहर्ताओं के औहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को सिर्फ तस्करी विरोधी कार्य देखने के लिए सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में नैनात किया गया है । सीमा शुल्क अधिनियम 1962 को 1969 में संशोधित करके ऐसी अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गयी हैं जिससे कुछ जिन्सों के गैर कानूनी आयात पर नियन्त्रण रखने तथा उन जिन्सों का सुगमता से पता लगाने के लिए विशेष कदम उठाये जा सकें। तस्करी सम्बन्धी अपराधों के लिए अधिक कठोर दण्ड की तथा खामियों को समाप्त करने की व्यवस्था के लिए हाल ही में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में अतिरिक्त संशोधन किया गया है ।

तस्करी विरोधी अभियान के कर्मचारियों की वृद्धि का प्रश्न तथा समुद्र में तीव्रगति से चलने वाली मोटर नौकाओं को प्राप्त करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है। स्थिति की सतत समीक्षा की जाती है ।

II केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग

कर लगने योग्य वस्तुओं तथा लेवी की दरों को प्रगामी बनाने के लिए उनकी सतत समीक्षा की जाती है और इनके द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में इस उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। स्वनिर्धारण पर निकासी की प्रक्रिया की रूपरेखा में, उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तुओं के छोटे उत्पादनकर्ताओं तथा निर्माताओं के लिए कार्यविधि सम्बन्धी शर्तों को भी सरल बनाया गया है । स्वनिर्धारण पर निकासी की प्रक्रिया की जांच भी एक समिति कर रही है । छोटे उद्यमकर्ताओं अथवा निजी काम करने वाले व्यक्तियों को कानूनी तथा प्रशासनिक उपायों द्वारा छूट मंजूर करके अथवा शुल्कों की निम्न दरें लगाकर प्रोत्साहन भी दिये गये हैं। कर परिहार तथा शुल्क लगने योग्य वस्तुओं की चोरी छिपे निकासी की रोकथाम करने पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है ।

उन निर्माताओं में विश्वास उत्पन्न करने की आवश्यकता की दृष्टि से, जो उत्पादन शुल्क अदा करने के जिम्मेदार हैं तथा साथ ही विना शुल्क अदा किये उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तुओं की चोरी छिपे निकासी की रोकथाम के लिए कठोर व्यवस्था के प्रयोजन से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी कानून तथा कार्यविधि को संहिताबद्ध प्रवाही तथा सरल बनाने हेतु संसद में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ।

III आयकर विभाग

आयकर, धनकर तथा सम्पदा शुल्क को प्रगामी दरों पर लगाना, निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यकारियों के वेतनों तथा वेतनेतर लाभों में छूट को सीमित करना, न्यासों के सम्बन्ध में शर्तों को कठोर बनाना, कानूनी तथा प्रशासनिक उपायों के द्वारा कर अपवंचन और कर परिहार का सामना करने पर अधिक ध्यान देना, बचतों तथा जीवन बीमा आदि के लिये प्रोत्साहन देना, साथ ही अपेक्षित दिशाओं में औद्योगीकरण के लिए भी प्रोत्साहन देना, ये कुछ संगत तथ्य हैं। छोटे कर दाताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने तथा उनमें विश्वास उत्पन्न करने के लिये संचार के सामूहिक कार्यक्रम और कम आय वालों के मामलों में आपकी विवरणियों को बड़ी संख्या में स्वीकार करना भी उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिय हैं।

वांचू समिति की रिपोर्ट के आधार पर कानून को शक्तिशाली बनाने के लिए कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 1973 संसद में कुछ दिन पूर्व पेश किया गया था और यह अब प्रवर समिति के सम्मुख है ।

कागज के निर्यात पर रोक

564. **श्री नरेन्द्र सिंह : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज की देश के भीतर कमी को पूरा करने के लिए कागज के निर्यात पर रोक लगाने सम्बन्धी सरकार के निर्णय से विदेशी मुद्रा की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की कुल कितनी हानि होगी; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) लिखाई तथा छपाई का कागज, सभी किस्मों के निर्यात पर रोक केवल 30 नवम्बर, 1973 से लगाई गई है। इससे विदेशी मुद्रा आय पर केवल मामूली ही प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

Keeping of Micro Film of Important Documents

565. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether most of the important papers kept in the Central Bank Buildings in Calcutta were gutted in fire in that building on 4th January, 1974;

(b) whether Government, as a lesson from this fire, are considering to keep micro-film of important documents; and

(c) if so, the salient features of the proposal?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) Central Bank of India has reported that it has been able to recover in tact the entire cash in the currency chest, all documents and securities in the strong room and deposit lockers from its vault.

(b) & (c) Long before the fire incident at Calcutta, the management of Central Bank was considering Micro-filming its records in order to save space. While the Micro-filming may give duplicate records of documents, it will not by itself be a safeguard against loss of original documents, papers and securities being destroyed by fire. In view of the fact that the Micro-filming equipment is expensive and has to be imported, Micro-filming the banks, records does not appear to be practicable, at present.

Development of Tourist Centres and Construction of Hotels in Rajasthan during Fifth Plan

566. **Shri Lalji Bhai :**
Shrimati Krishna Kumari :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of places and historic sites in Rajasthan proposed to be developed as tourist centres by the Central Government during the Fifth Five Year Plan; and

(b) the names of the places in Rajasthan where Government proposed to construct hotels and bungalows for tourists during the above period?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) During the Fifth Plan for Tourism, it is proposed to take up schemes for provision of facilities at Bharatpur, Deeg, Jaipur and Jaisalmer under the Cultural Tourism programme.

(b) The Fifth Five Year Plan of the ITDC includes an allocation of Rs. 135 lakhs for 100 room/200 bed 3-star hotel at Jaipur. Subject to a feasibility study, the work is expected to be taken up during 1974-75.

The construction of a Rest House at Bharatpur and a Tourist Bungalow at Jaisalmer which was taken up during the Fourth Plan will also be completed.

बंगला देश से अखबारी कागज का आयात

567. **श्री समर मुखर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार भारत को 10,000 मीटरी टन अखबारी कागज सप्लाई करने के लिये सहमत हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो सप्लाई कब प्राप्त हुई अथवा कब प्राप्त होने की आशा है; और

(ग) क्या बंगला देश से अखबारी कागज का आयात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) बंगला देश पेपर एण्ड बोर्ड कार्पोरेशन द्वारा पहले ही 3543 मे० टन अखबारी कागज सप्लाई किया जा चुका है। शेष मात्रा की सप्लाई जून, 1974 के अन्त तक की जाएगी।

(ग) 1974 में बंगला देश से 7000 मे० टन अखबारी कागज की अतिरिक्त मात्रा सप्लाई किये जाने की संभावना है।

भारत में पर्यटकों के आगमन पर पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

568. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के मूल्य में भारी वृद्धि का भारत में पर्यटकों के आगमन पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) पर्यटकों के आगमन पर तेल के बढे हुए मूल्य के दुष्प्रभाव को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 1973 के पर्यटक आंकड़ों से पता चलता है कि ईंधन के मूल्यों में हुई वृद्धि ने अब तक भारत में आने वाले पर्यटक यातायात पर प्रभाव नहीं डाला है। 1973 के दौरान 4 लाख के लक्ष्य की तुलना में 4,09,895 पर्यटक भारत आए। दिसम्बर 1972 में आए 40,563 पर्यटकों की तुलना में दिसम्बर 1973 में 45,295 पर्यटक भारत आए जो कि 11.7 प्रतिशत की वृद्धि को द्योतित करते हैं। परन्तु यह देखना रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विमान किरायों में हुई वृद्धि का इस देश के पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि 1974 के दौरान तेल के मूल्य किस स्तर पर निश्चित होते हैं।

(ख) सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रही है कि एयर इंडिया पर रियायती किरायों तथा अंतर्देशी विमान किरायों को एयरलाइनों के परिचालनों की उपजीव्यता के अनुरूप निम्नतम स्तर पर रखा जाए। यू० एस० ए०, यूरोप तथा जापान की पर्यटक प्रजनक मार्केटों में एयर इंडिया के साथ मिल के संयुक्त अभिवृद्धिपूरक प्रयत्नों को बढाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया से पर्यटक यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए, बैरुत में, पर्यटन की अभिवृद्धि के प्रयोजन से एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गई (कैन्सेल्टेन्सी एण्ड डेवलपमेंट सर्विसिज) परामर्शदात्री तथा विकास सेवाएं

569. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए छोटे उद्यमियों के सहायतार्थ सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गयीं (कैन्सल्टेन्सी एण्ड डैवलपमेंट सर्विसेज) परामर्शदात्री तथा विकास सेवाओं की मुख्य बातें क्या ह; और

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में भी औद्योगिक परियोजनाओं के लिये ऐसी सुविधायें उपलब्ध हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) छोटे उद्यमकर्ताओं के लिये परामर्शदात्री और विकास सेवाओं का प्रबन्ध हर बैंक ने अलग अलग तरीके से किया हुआ है । सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने इस प्रयोजन के लिये अपने मुख्यालयों में अलग कक्ष स्थापित किये हुए हैं, कुछ बैंकों ने अपने क्षेत्रीय/प्रादेशिक कार्यालयों में और बड़ी शाखाओं में ऐसे कक्षों की व्यवस्था की हुई है जो छोटे उद्यमकर्ताओं के वित्त पोषण के लिये अच्छी व्यवस्था करते हैं। सक्षम उद्यमकर्ताओं की सहायता के लिये बैंकों ने विशिष्ट योजनाएं तैयार की हुई हैं, उनमें से कुछ योजनाएं बाहरी एजेंसियों के सहयोग से बनाई गई हैं। कुछ बैंक केरल औद्योगिक तकनीकी परामर्शदाता संगठन और उत्तर पूर्वी औद्योगिक तकनीकी परामर्शदाता संगठन जैसे परामर्शदाता संगठनों की स्थापना में वित्तीय योगदान देकर भी हिस्सा लेते हैं जिनका सम्बन्ध छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमकर्ताओं के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उनकी छानबीन करने से है ।

आसान शर्तों पर ऋण देने के अलावा बैंक आमतौर से उद्यमकर्ताओं के प्रस्तावों को समुचित रूप देकर भी उनकी सहायता करते हैं । कुछ मामलों में, उद्यमकर्ताओं को पूर्ण पैकेज सेवाएं भी उपलब्ध की जाती हैं जिसके अन्तर्गत योजनाएं तैयार करना, कच्चा माल प्राप्त करने और विपणन के सम्बन्ध में सलाह देना, किसी भी संयंत्र में प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध करना आदि सम्मिलित है ।

किसी विशेष शाखा में परामर्शदात्री और विकास सेवा उपलब्ध करने के लिये अलग कक्ष की व्यवस्था करना अधिकतर छोटे उद्यमकर्ता का वित्तपोषण करने की क्षमता पर निर्भर करता है । चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रत्येक शाखा में परामर्शदात्री और विकास सेवा स्थापित करना सम्भव नहीं हो सकता, इस लिए जो प्रबन्ध इस समय चल रहा है वह यह है कि प्रादेशिक कार्यालयों और बड़ी शाखाओं में काम करने वाले विकास अधिकारी और तकनीकी अधिकारी समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं और वहां के वर्तमान और सम्भावित ऋणकर्ताओं को जैसी परामर्श सम्बन्धी सेवा की आवश्यकता हो, देते हैं । इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी बैंकों ने ग्रामीण औद्योगिक परियोजना क्षेत्रों में स्थित एककों को सहायता देने के लिये विशेष योजनाएं बनाई हुई हैं । सम्बद्ध राज्य सरकारों के परियोजना अधिकारी अपने तकनीकी अधिकारियों और आर्थिक अन्वेषकों की सहायता से बैंकों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को परामर्श सम्बन्धित सहायता देते हैं ।

सूती कपड़ा निर्यात निगम की स्थापना

571. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती कपडा निर्यात निगम बनाने का विचार छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ऋण नियंत्रण के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योगमंडल संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन

572. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग पर हाल के ऋण नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग मण्डल संघ ने सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी बातें क्या हैं और औद्योगिक प्रगति के किसी भी खतरे को दूर रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) जहां तक रिजर्व बैंक की प्रतिबन्धात्मक ऋण नीति का आशय सट्टेबाजी किस्म के व्यापार के क्रियाकलापों पर रोक लगाने का है भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग मण्डल संघ ने मोटे तौर पर इससे सहमत होते हुए कहा है कि यह नीति अनजाने में निर्माण और निर्यात कार्यों को हानि पहुंचा रही है । इसने यह भी कहा है कि मूल्यों में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की गई ऋण की अधिकतम सीमा सूतीवस्त्र, जूट, चीनी और इंजीनीयरी उद्योगों जैसे अनेक उद्योगों को हानि पहुंचा रही है।

अर्थ व्यवस्था में फैले हुए मुद्रा बाहुल्य सम्बन्धी दबाव को देखते हुए, जिसके कारण मुद्रा सम्बन्धी यथासम्भव अधिकाधिक रोक लगाने की आवश्यकता हुई, रिजर्व बैंक ने कतिपय ऋणों की अधिकतम सीमा और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं की ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल करने के बाद 1973–74 के कारोबारी मौसम के लिए ब्याज की दर में वृद्धि की घोषणा की थी । इस बात का सुनिश्चयन करने के लिए कि निर्यात क्षेत्र और लघु उद्योगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी होती रहें, बाद में रिजर्व बैंक ने इन क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में अपने प्रतिबन्धों में छूट दे दी । इस प्रकार निर्यात क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को, ऋण विस्तार पर पहले लगाए गए प्रतिबन्ध की अधिकतम सीमा से बाहर रखा गया और बैंकों द्वारा निर्यात क्षेत्र में किए गए कार्य के आधार पर उन्हें पुनर्वित्त की अधिक सुविधाएं देने का वचन भी दिया गया। रिजर्व बैंक अपनी ऋण नीति में लचकीलापन रखते हुए और उत्पादक क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकताओं को किसी रूप में कम किये बिना चला रहा है ।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय बैंकों में खाते रखने की अनुमति

573. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों की, भारतीय बैंकों में विदेशी मुद्रा के रूप में खाते रखने सम्बन्धी अनुरोध पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस बारे में विचार किया जा रहा है ।

बेरोजगार इंजीनियरों को अपना कारोबार आरम्भ करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गुजरात में दिए गए ऋण

574. **श्री अरबिन्द एम० पटेल :**
श्री वैकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने बेरोजगार इंजीनियरों को अपने कारखाने अथवा कारोबार आरम्भ करने के लिए ऋण दिए गए ; और

(ख) जिले वार कितनी कितनी राशि के ऋण दिए गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक बेरोजगार इंजीनियरों को अपने कारखाने/कारोबार आरम्भ करने के लिए दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े तैयार नहीं करते । इस प्रकार के व्यक्तियों को दिए गए ऋण "लघु उद्योग" और "व्यावसायिक और आत्म नियोजित" के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वर्गों में आते हैं । जून, 1973 के अन्त में गुजरात में इन दो वर्गों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ग	30-6-1973 को	
	ऋण लेने वालों के खातों की संख्या	बकाया रकम (करोड़ रुपये)
लघु उद्योग . .	13676(एकक)	67.70
व्यावसायिक और आत्मनियोजित व्यक्ति	14240	1.70

पूर्व यूरोपीय देशों द्वारा भारत को उर्वरक सप्लाई करने के ठेके को पूरा न किया जाना

575. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व यूरोप के कुछ देशों ने भारत को उर्वरक सप्लाई करने के ठेके को पूरा नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से देश हैं ; और

(ग) ठेकों को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) समुद्री भाड़ा दरों और कच्चे माल की कीमतों में असाधारण वृद्धि होने के कारण उर्वरकों की सप्लाई हेतु बकाया संविदाओं को पुनः तय करने के लिए इन देशों में से कुछ ने हमसे संपर्क किया है ।

Non-Payment of Excise Duty by Synthetic Nylon Factory, Ujjain

576. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantity of goods on which Sri Synthetics Nylon Factory, Ujjain (Madhya Pradesh) has not paid excise duty since it went into production;

(b) whether the aforesaid Company has been indulging in any evasion of excise duty and if so, the steps taken to prevent this evasion in future ;

(c) the names of the proprietors and share-holders of the said Factory and whether they own some other factories elsewhere; and

(d) if so, the names of these factories and locations thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Raids by Income-Tax Authorities on Shops in Kanpur

577. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred quest on No. 4845 regarding raids by Income-tax authorities on shops in Kanpur and state :

(a) whether the enquiry has since been completed; and

(b) if so, the outcome thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) The enquiry has not been completed; but a summary assessment under section 132(5) of the Income-tax Act has been made and silver, silver ornaments and silver coins of the value of Rs. 4,49,022 have been retained by the Department.

निर्यात के प्रयोजनों हेतु कच्चे माल के आयात की योजना

578. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए कच्चे माल का आयात करने हेतु सरकार से दीर्घ-कालीन योजना बनाने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुरोध पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) दीर्घावधि आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

किड्डरपूर पत्तन के एक गोदाम ने पटसन की गांठों के नष्ट होनें के बारे मे जांच

579. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किड्डरपुर पत्तन के एक गोदाम में आग लगने के कारण पटसन की 10,000 गांठों के नष्ट होने के बारे में कोई जांच करवाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) क्या यह पटसन किसी विदेशी देश से खरीदा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है और पटसन खरीदने का उद्देश्य क्या था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) कलकत्ता पत्तन के एक गोदाम में कच्चे पटसन की 10,000 गांठों के जल जाने की रिपोर्ट मिली हैं। यह गोदाम नेपाल सरकार के एक उपक्रम, नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा किराए पर लिया गया था। मालूम हुआ है कि पटसन नेपाली उद्भव का था तथा नेपाल सरकार के उपक्रम की संपत्ति थी और निर्यात के लिए था। यह कच्चा पटसन किसी भारतीय समुत्थान द्वारा खरीदा प्रतीत नहीं होता। समझा जाता है कि पत्तन कमिश्नर ने जांच के लिए आदेश दिया है और जांच चल रही है।

वर्ष 1971-73 में सूती कपड़ा उद्योगों को हुआ लाभ

580. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 और 1972–73 में सूती कपड़ा उद्योग ने कुल कितना लाभ कमाया ; और

(ख) सूती कपड़े के मूल्य कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गैर सरकारी क्षेत्र की 228 सूती वस्त्र मिल कम्पनियों के वर्ष 1972–73 को तुलन-पत्रों के अध्ययन से पता चलता है कि उनका सकल लाभ (मूल्यह्रास के बाद लेकिन ब्याज, विकास छूट तथा कराधान से पूर्व) 1971 –72 के 5,171.33 लाख रुपये की तुलना में 1972–73 में 8664.73 लाख रुपये था।

(ख) नियंत्रित कपड़े की एक योजना विद्यमान है जो धोतियों, साड़ियों, लट्ठे, ड्रिल और कमीजों के कपड़ों से सम्बन्धित पांच श्रेणियों का 40 करोड़ मीटर कपड़ा कवर करती है। कीमतें मई 1968 में निर्धारित की गई थी और उनमें परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 20-7-73 को एक स्वैच्छिक कीमत नियंत्रण योजना लागू की गई थी जिसके अनुसार सभी मिश्रित सूती वस्त्र मिलें उच्चतर मध्यम (हायर मिडियम) श्रेणी तक के गैर-नियंत्रित कपड़े की पहनने योग्य किस्मों के मिल से चलते समय की कीमतों को नवम्बर, 1972 के कीमतों के स्तर पर, उसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि करके, बनाए रखने के लिए सहमत हो गई। इस योजना के अधीन गैर-नियंत्रित कपड़े पर वितरण मार्जिन उत्पादन शुल्क सहित मिल से चलते समय के कीमतों पर 20 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था। योजना 28 फरवरी, 1974 तक लागू रहेगी।

विदेशी पर्यटकों को सुविधाये जुटाने हेतु केन्द्रीय सहायता

581. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में प्रत्येक राज्य को विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं जुटाने हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ख) उक्त अवधि में इन राज्यों ने कुल कितनी राशि खर्च की ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) विदेशी पर्यटकों की सुविधाओं का विकास करना मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है। इस प्रकार की और अधिक स्कीमें केन्द्रीय योजना में सम्मिलित की गई हैं। राज्य सरकारों को उनकी स्कीमों के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है परन्तु उन्हें राज्य सरकारों के सहयोग से, जो कि बिजली, पानी, सड़कों का प्रबन्ध इत्यादि की जिम्मेदार हैं, कार्यान्वित किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

(रु० लाखों में)

1969-70 से 1971-72 (वास्तविक)	1098.69
1972-73 (वास्तविक)	719.49
1973-74 (प्रत्याशित)	745.00
	2563.18

(ख) 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 में केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यटन पर किए गए खर्च का विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों/संघीय क्षेत्रों के नाम	1971-72 का वास्तविक व्यय	1972-73 का वास्तविक व्यय	1973-74 का प्रत्याशित व्यय
1. आन्ध्र प्रदेश	4.61	..	..
2. आसाम	4.08	5.00	15.88
3. बिहार	3.90	3.00	5.00
4. गुजरात	13.00	20.08	21.00
5. हरियाणा	80.57	44.00	45.00
6. हिमाचल प्रदेश	14.69	40.00	25.00
7. जम्मू व काश्मीर	113.53	69.75	70.00
8. केरल	14.20	10.30	*
9. मध्य प्रदेश	11.37	24.30	26.94
10. महाराष्ट्र	26.49	29.11	45.00
11. मैसूर	3.90	12.00	12.00
12. मणिपुर	1.00	2.00	4.00
13. मेघालय	1.25	6.25	10.00
14. नागालैण्ड	3.14	5.00	8.00
15 उड़ीसा	12.44	7.00	9.65
16. पंजाब	5.07	14.00	18.97
17. राजस्थान	25.73	15.50	12.00
18. तमिलनाडू	10.00	12.00	*
19. त्रिपुरा	0.24	0.50	2.88
20. उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड को छोड़कर)	7.00	16.00	..
21. पश्चिम बंगाल	10.00	13.00	13.00
	366.19	348.79	344.32

राज्यों/संघीय क्षेत्रों के नाम	1971–72 का वास्तविक व्यय	1972–73 का वास्तविक व्यय	1973–74 का प्रत्याशित व्यय
22. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह . .	1.02	1.00	0.50
23. चण्डीगढ़	..	..	..
24. गोवा, दमन और दिऊ .	8.66	7.90	8.00
25. पाण्डीचेरी .	2.94	3.52	6.74
.	12.62	12.42	15.24

*सम्बन्धीत राज्यों से आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

अशोधित तेल में मूल्य में हुईवृद्धि के परिणामस्वरूप अपेक्षित विदेशी मुद्रा

582. **श्री ए० सी० सामन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल का उत्पादन करने वाले देशों द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप भारत को वर्ष 1974–75 में तेल का आयात करने के लिए कितनी अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ख) मूल्यों के इस अन्तराल को कैसे पूरा करने का विचार है ; और

(ग) तेल की खरीद के कारण होने वाले विदेशी मुद्रा के घाटे को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए यदि तेल उत्पादन देशों से अधिकाधिक भारतीय सामान खरीदने का अनुरोध किया जाए तो क्या उसमें किसी प्रकार की सफलता की आशा की जा सकती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस अवस्था में यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने से 1973–74 में, सामान्य आवश्यकता से कितनी अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कीमतें किसी अवधि में किस स्तर पर स्थिर होती हैं और खपत में किस सीमा तक कमी की जा सकती है।

(ख) और (ग) पैट्रोलियम, तेल और चिकनाले वाले पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के उपाय शुरू कर दिए गए हैं ताकि अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा किया जा सकें। निर्यात अभियान को तेज कर दिया गया है और विशेष रूप से पश्चिम एशियाई देशों को अपने निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विदेशी सरकारों और संस्थाओं से ऋण सहायता के रूप में और अनुरक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं का आयात करने के लिए अधिक सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं।

स्टर्लिंग के मूल्य गिरने का भारतीय रुपये पर प्रभाव

583. **श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री वयालर रवि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पौंड स्टर्लिंग के मूल्य गिरने का भारतीय मुद्रा और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या जहां तक रुपये का सम्बन्ध है, स्टर्लिंग तथा डालर सहित अन्य विदेशी मुद्राओं के मूल्य में अन्तर को पूरा करने के लिए कोई समायोजन किया गया है अथवा किया जा रहा है ; और

(ग) विश्व मण्डियों में विदेशी मुद्राओं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का रुपयों के मूल्य पर लाभ अथवा हानि के रूप में क्या वास्तविक प्रभाव हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारतीय रुपये की विनिमय दर पौंड स्टर्लिंग के नियमों के अनुसार निश्चित की जाती है। अन्य मुद्राओं के साथ पौंड स्टर्लिंग की विनिमय दर में घट-बढ़ के साथ वैसी ही घट-बढ़ रुपये और अन्य मुद्राओं की विनिमय दर में होती है। हाल ही में पौंड स्टर्लिंग के मूल्य में गिरावट आने से हमारे निर्यात की स्थिति में सुधार हुआ है। अर्थ व्यवस्था पर इसके अलावा और कोई उल्लखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) डालर के मुकाबले में रुपये के मूल्य में काफी गिरावट आयी है परन्तु "डी० एम०" के मुकाबले में इसमें सुधार हुआ है और इन के सम्बन्ध में स्थिति न्यूनाधिक स्थिर रही है।

वर्ष 1974 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात

584. **श्री सी० जनार्दनन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान अखबारी कागज के ठीक समय पर आयात के लिए राज्य व्यापार निगम ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) अखबारी कागज की सप्लाई के लिए विभिन्न देशों के साथ जो करार किए गए हैं, उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1974 के दौरान हो रही पक्की संविदाओं तथा पहले ही की गई संविदाओं के परिणामस्वरूप इस वर्ष के दौरान 1,46,000 टन अखबारी कागज की सप्लाई की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त कनाडा से 30,000 टन और अखबारी कागज खरीदने के लिए एक विकल्प है जो सप्लायरों द्वारा पुष्टि होने पर निर्भर है।

(ख) 1974 के दौरान विभिन्न देशों से आयात के लिए जो अखबारी कागज़ उपलब्ध होगा उसकी मात्राएं निम्नोक्त है :—

सप्लायरों के नाम	मात्रा
1. कनाडा	
नई संविदाएं	88,000 मे० टन
पुरानी संविदाएं	28,860 ,,
2. सोवियत संघ	45,000 ,,
3. बंगलादेश	12,500 ,,
4. स्कॅन्यूज (पुरानी संविदाएं)	11,000 ,,
5. एफ० पी० एम० (1973–74 की संविदाएं)	5,000 ,,
6. चेकोस्लोवाकिया 1973 की संविदाएं	5,700 ,,
योग	1,46,060 मे० टन

9—39 LSS/73

बम्बई की फिल्म प्रयोगशालाओं पर आय-कर विभाग द्वारा मारें गय छापे

585. **श्री सी० जनार्दनन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की कुछ फिल्म प्रयोगशालाओं पर हाल ही में आयकर विभाग द्वारा छापे मारे गये थे ;

(ख) क्या इन छापों के दौरान ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिनसे यह पता चला कि करोड़ों रुपये की चोरी की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका संक्षिप्त ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

पांचवी पंचवर्षिक योजना में निर्यात वृद्धि

586. **श्री सी० जनार्दनन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में निर्यात में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ; और

(ख) किन मुख्य मदों के निर्यात से आय बढ़ाने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974–79 के मसोद के अनुसार निर्यातों के 1973–74 में 2000 करोड़ रु० से बढ़कर 1978–79 में 2890 करोड़ रुपये होने का लक्ष्य रखा गया है जो 7.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि विकास दर का द्योतक है ।

(ख) निर्यात आय में इन प्रमुख मदों का भारी योगदान होगा इंजीनियरी माल, लोह अयस्क, हस्तशिल्प की वस्तुएं (जिनमें मोती, रत्न तथा आभूषण शामिल हैं) सूती वस्त्र, इस्पात, मछली तथा मछली से तैयार किए गए पदार्थ, चमड़ा तथा चमड़े का सामान । ये सात मदें कुल सम्भावित वृद्धि का लगभग दो तिहाई ठहरती है ।

निर्यात के लिये प्रतिबन्धित सूचि में शामिल वस्तूएं

587. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यत के लिए प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची में बढ़ोतरी होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें निरन्तर और वस्तुएं शामिल किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) बाह्य अर्थव्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 8 मार्च, 1968 को निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 को जारी करते समय 29 मदों पर रोक लगाई गई थी । तब से लगभग छः वर्षों की अवधि के दौरान 7 मदें और जोड़ी गई हैं ।

(ग) रोक लगाई गई मदों की सूची में मदों को जोड़ने तथा निकालते समय अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने और इस प्रकार बाह्य संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता तथा घरेल खपत के लिए आवश्यकतायें जैसी विभिन्न आर्थिक तथ्यों का सम्यक् ध्यान रखा जाता है ।

गुजरात में चोरी-छिपे लाये गये कपड़े और चान्दी का बरामद होना

588. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जनवरी, 1974 को दक्षिण गुजरात में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 12 लाख रुपये के मूल्य का चोरी-छिपे लाया गया कपड़ा बरामद किया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या 4 जनवरी, 1974 को सूरत के निकट अेक जीप में से 9 लाख रुपये के मूल्य की चांदी भी पकड़ी गई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) अहमदाबाद केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के बलसाड़ प्रभाग में सीमाशुल्क निवारक शाखा के अधिकारियों ने 3/4 जनवरी, 1974 की रात्री को 75000 रु० मूल्य के एक जलयान सहित तस्कर आयात किए गए लगभग 14 लाख रुपये मूल्य के वस्त्र और लगभग 24,000 रु० मूल्य के रेजर ब्लेड पकड़े । इस सम्बन्ध में कर्मीदल के 10 सदस्य (3 विदेशी और 7 भारतीय) गिरफ्तार किए गए हैं । आगे कार्यवाही जारी है ।

बलसाड़ प्रभाग के सीमाशुल्क अधिकारियों ने 4 जनवरी, 1974 को सूरत में रिंगरोड पर लगभग 30,000 रू० मूल्य की एक जीप भी पकडी जिसका दावा किसी ने नहीं किया तथा जिसमें लगभग 8.64 लाख रूपये मूल्य की 1060 किलोग्राम चांदी थी । चांदी पकड़ ली गई । आगे जांच-पडताल की जा रही है ।

वर्ष 1973-74 में उससे पिछले वर्ष के मुकाबलें निर्यात में वृद्धि

589. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से अक्तूबर, 1973 में इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले हमारे देश से हुए निर्यात में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ;

(ख) क्या इसी अवधि में आयात में भी 33.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो व्यापार के इस प्रतिकूल संतुलन के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) अप्रैल से अक्तूबर, 1973 के दौरान प्रतिकूल व्यापार संतुलन का मुख्य कारण यह था कि मुख्य रूप से खाद्यान्नों, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम पदार्थों, अलोह धातुओं और देश का औद्योगिक उत्पादन व आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए अपेक्षित अन्य आवश्यक माल के आयातों में बहुत वृद्धि हुई ।

दिल्ली में अवैध वायदा बाजार

590. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस की सतर्कता और सट्टेबाजों के टेलीफोन कनेक्शन काट दिए जाने से दिल्ली में अवैध वायदा बाजार की रोकथाम की जा सकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली में वायदा बाजार व्यापार समाप्त करने के लिए सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जब से दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बरती है और सट्टेबाजों के टेलीफोन कनेक्शन काटे गए हैं तब से अवैध वायदा बाजार में कमी आई है। पुलिस को हिदायत दी गई है कि वह दिल्ली में अवैध वायदा बाजार रोकने के लिए और अधिक सतर्कता बरते तथा जब-तब छापे मारे ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा लावारसी वस्तुओं का निपटारा

592. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के पास खोई हुई तथा लावारिस वस्तुएं एकत्रित है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है और उनकी अनमानतः मूल्य कितनी है ; और

(ग) इन वस्तुओं का निपटारा किस प्रकार करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) और (ख) बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली हवाई अड्डों पर कुछ गुमशुदा तथा लावारिस वस्तुएं, जैसे कम्बल, ओवर-कोट, छतरियों, कैमेरे, ओवरनाइट बैग, कपड़े, सौन्दर्य-प्रसादन, ऐनकें, टोप, घडियां तथा आभूषण हैं । इनके मूल्य का अनुमान 3300 रुपये हैं ।

(ग) इन वस्तुओं का निपटान अन्तराष्ट्रीय विमानपतन प्रधिकरण (गुमशुदा सम्पत्ति) विनियमों के अनुसार, जोकि सरकार के विचाराधीन हैं तथा जिन्हें शीघ्र ही लागू किए जाने की आशा है, किया जाएगा ।

पश्चिमी देशो की रक्त उत्पादितों (ब्लड डिराईवेटिव्ज) का निर्यात

593. **श्री एस० ए० मुरुगन्नतम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों को रक्त उत्पादितों (ब्लड डिराईवेटिब्ज) का निर्यात करने सम्बन्धी कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत के कुल आयात वृद्धि

594. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-सितम्बर, 1973 के दौरान भारत के कुल आयात में भारी वृद्धि हुई है जो कि गत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत वृद्धि रही ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं और इसके मुख्य कारण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित आंकड़े के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1973 के दौरान 1117 करोड़ रुपये के आयात किए गए और ये आयात 1972 की उसी अवधि की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक थे। 1973 की पहली छमाही में आयातों में वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने तथा अर्थव्यवस्था के विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक, खाद्यानों, पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों, अलौह धातुओं, रसायनों, मशीनों तथा परिवहन उपस्करों के आयात पहले से अधिक किए गए।

इण्डियन एयर लाइन्स के प्रबन्धों और विभिन्न कर्मचारी संघों और एसोसिएशनों के बीच समझौते

595. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स के मजूरी समझौते इस वर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह में समाप्त हो गए हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या इसके साथ ही इण्डियन एयर लाइन्स और उसके विभिन्न कर्मचारी संघों और एसोशिएशनों के बीच 1969 के बाद हुए सब समझौते भी समाप्त हो गए हैं ; और

(ग) क्या नए समझौते करते समय प्रबन्धक इस बात का प्रयास करेंगे कि इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाएं अन्य ऐसी ही केन्द्रीय सेवाओं के समान हों ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) और (ख) इण्डियन एयर लाइन्स के 8 संघों/संस्थाओं के साथ हस्ताक्षर किए गए करारों/समझौते की मान्यता की अवधि 31 दिसम्बर, 1973 तक थी और उसके पश्चात् तब तक थी जब तक कि दोनों में से कोई भी पक्ष 2 महीने का नोटिस देकर उन्हें समाप्त नहीं कर देता। अखिल भारतीय विमान इंजीनियर संस्था ने अपने करार की समाप्ति का नोटिस फरवरी 1973 में दिया और भारतीय विमान तकनीशियन संस्था तथा वायुनिगम कर्मचारी संघ ने अप्रैल 1973 में नोटिस दिये। प्रबन्धकवर्ग ने गत अनुभव के प्रकाश में सारी स्थिति पर विचार किया तथा नवम्बर 1973 में अपेक्षित नोटिस देने के पश्चात् सभी संघों/संस्थाओं के साथ हुए समझौतों/करारों को समाप्त कर दिया। फिर भी, पूर्व समझौतों/करारों में निति उपबन्ध नये समझौते होने तक लागू रहेंगे।

(ग) नये समझौतों/करारों के लिए बातचीत करते समय प्रबन्धक वर्ग का तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में लागू सेवा शर्तों को ध्यान में रखने का प्रस्ताव है।

कृत्रिम धागे और रेशे के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्री का आश्वासन

596. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम धागे और रेशे के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों पर चर्चा के दौरान गत वर्ष शीतकालीन सत्र में वाणिज्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सेंचुरी एनका तथा श्री सिन्थेटिक्स को शीघ्र ही ऐच्छिक करार के अन्तर्गत लाय जाएगा और यदि वे इसके अन्तर्गत आने से इन्कार करती है, तो इनको अन्य कतइयों की लाइन में लाने के लिए अन्य उपाय किए जायेंगे।

(ख) क्या और एकक को भी जिसकी शीघ्र ही गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापना की जा रही है, इसी प्रकार ऐच्छिक करार के अन्तर्गत लाया जायेगा ;

(ग) क्या सेन्चुरी ऐनका ने ऐच्छिक करार के अन्तर्गत आने के कारण दो टन प्रतिदिन की अधिष्ठापित क्षमता पर तीन करोड़ रूपये का लाभ कमाया है ; और

(घ) क्या श्री सन्थेटिक्स ने भी, जिसकी अधिष्ठापित क्षमता लगभग तीन टन प्रतिदिन है, अपने कार्य के प्रथम वर्ष में इसी प्रकार लाभ कमाया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, दोनों फर्मों को परामश दिया गया है कि वे नाइलोन धागे के कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच स्वच्छिक करार में भाग लेने के लिए सहमत हो जाये ताकि फ्लैट धागे के उनके उत्पादन का 55 प्रतिशत सम्मत कीमतों पर वास्तविक उपभोक्ताओं को रीलिज किया जा सके ।

(ख) जब यह एकक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगा तब इस पर विचार किया जा सकता है ।

(ग) तथा (घ) इस फर्मों के स्वेच्छिक करार में भाग न लेने के कारण उनके लाभ की मात्रा के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है ।

महाराष्ट्र बैंक तथा अन्य राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं में राष्ट्रपति का तथा प्रधान मंत्री के चित्र लगाने सम्बन्धी जारी किया गया परिपत्र

597. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र बैंक तथा अन्य राष्ट्रीय कृत बैंकों ने अपनी शाखाओं को राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री के चित्र लगाने के सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से बैंक आफ महाराष्ट्र और चार अन्य बैंकों ने, अपने आप ये अनुदेश जारी किए हैं कि चूंकी बैंक अब पूरी तरह से सरकार के स्वामित्वाधिन आ गए है इस लिए उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यालयों में देश के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के चित्र लगाये जाएं ।

यूरोप के सराफा बाजार में सोने के मूल्यों में वृद्धि का भारत में सोने की तस्करी पर प्रभाव

598. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के अन्त में योरुपीय सोना मण्डियों में सोने के मूल्य में असाधारण वृद्धि हुई है ;

(ख) इस मूल्य वृद्धि का भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर होने वाली तस्करी गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा ;

(ग) क्या वर्ष 1973 में भारत से गांजा, अफीम और चांदी आदि की तस्करी में कोई कमी हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो चालू वर्ष में तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) यूरोप के 'बुलियन' बाजारों में दिसम्बर, 1971 से आगे सोने की कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है । दिसम्बर, 1973 से लेकर अब तक मूल्य में वृद्धि विशेषत: अधिक हुई है ;

(ख) भारत में सोने के मूल्य में हुई वृद्धि की तुलना में विदेशों में सोने के मूल्य में हुई अपेक्षाकृत अधिक ऊंची वृद्धि का प्रभाव यह हुवा कि सोने के तस्कर-व्यापार में काफी हद तक गिरावट आई है। दूसरी ओर संश्लिष्ट वस्त्रों के तस्कर व्यापार में वृद्धि हुई है, क्योंकि सोने के तस्कर-व्यापारियों ने स्तष्टत: आंशिक रूप से संश्लिष्ट वस्त्रों का तस्कर-व्यापार शुरू कर दिया है।

(ग) किसी वस्तु का तस्कर व्यापार किस सीमा तक किया जाता है, इसका अनुमान लगाने के कोई विश्वसनीय साधन नहीं है। तथापि गांजा-अफीम और चांदी के अभिग्रहणों के आंकड़ों के आधार पर ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते कि मादक औषधों अथवा चांदी के तस्कर-व्यापार में 1973 में कोई गिरावट आई है।

(घ) तस्कर-विरोधी उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है। समुद्र में द्रुत गति से चलने वाली जिन कुछ नौकाओं के लिए अभी हाल में आर्डर दिए गए हैं, उनके चालू वर्ष में मिलने की सम्भावना है। तस्कर-व्यापार विरोधी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि किए जाने का भी विचार है। तस्कर-व्यापार विरोधी काय में लग कमचारियों को उपलब्ध होने वाल विभिन्न प्रकार के उपकरणों में वृद्धि करने के लिए आगे उपाय किए जा रहे हैं।

बम्बई की अधिकांश कपड़ा मिलों में तीसरी पाली (शिफ़्ट) में काम होना

599. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की अधिकांश कपड़ा मिलों में तीसरी पाली में काम हो रहा है;

(ख) क्या ऋण प्रतिबन्ध और भट्टी तेल की कमी के कारण कुछ मिलों ने तीसरी पाली में काम को बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि यहां, तो ऐसी मिलों की संख्या कितनी है और उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) ऋण प्रतिबन्ध अथवा भट्टी तेल कमी के परिणाम स्वरूप अपनी तीसरी पाली को बन्द करने के लिए बम्बई की किसी भी मिल द्वारा किए गए किसी विनिश्चय की जानकारी सरकार को नहीं है।

Amritsar Rayon Silk Mills Limited

600. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Amritsar Rayon Silk Mills Limited, G. T. Road, Amritsar, has not paid any excise duty and income tax during the last three years ;

(b) if so, the action being taken by Government in this regard; and

(c) the number of partners in the said concern and the names of other concerns of which they are partners?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Amritsar Rayon & Silk Mills Pvt. Ltd., Amritsar, has paid central excise duty and income tax during the last three years.

(b) Question does not arise.

(c) It is a private limited company and not a partnership concern. The question regarding the number of partners in the said concern does not arise.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

धनकर अधिनियम, 1957 के अधीन धनकर (संशोधन) नियम

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अधीन धनकर (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 21 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6170/74।]**

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (13वां संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 1359 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 14 वां (संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1360 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6171/74।]

(3) आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा 6 के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (चौथा संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 762 (ङ) में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6172/74]**

(4) आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (चौथा संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 763 (ङ) में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6173/74।]**

(5) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 के लिये दिल्ली वित्त निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) एक एक प्रति तथा आस्तियों और दायित्वों का विवरण, लाभ और हानि लेखा तथा लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या एफ 6/10/73-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6174/74।]**

(6) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) स्वर्ण नियंत्रण (व्यापारियों को लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 790 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6175/74।]**

(दो) दिनांक 5 जनवरी, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सां० आ० 8, जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर, 1972 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 765 (ङ) का शुद्धि पत्र दिया गया है ।

(7) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबंध) (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 3467 में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6176/74 ।]**

(8) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण तथा प्राप्ति) (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 519 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण तथा प्राप्ति) (संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 26 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । दखिए संख्या एल० टी० 6177/74]

(9) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (छठा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति जो दिल्ली राज्य पत्र, दिनांक 6 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या एफ० 4(18)/73-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में खी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6178/74 ।]**.

(10) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 4क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 8 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुई थी, और जिसके द्वारा भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूचि में कतिपय संशोधन किया गया है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6179/74]**

(11) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) न्यू इण्डिया एंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड (विलय) स्कीम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 803 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (विलय) स्कीम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 804 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) ओरियंटल फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड (विलय) स्कीम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 805 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) नेशनल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड (विलय) स्कीम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 806 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6180/74 ।]

(12) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) सा० सां० नि० 1361 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 1383 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 1410, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 541 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सां० आ० 810 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० सां० नि० 19 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6181/74 ।]

(13) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) सा० सां० नि० 520 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर, 19 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 14 (ङ), 15 (ङ) और 16 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 21 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 82 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6182/74 ।]

(14) प्रत्यक्ष कर जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 6183/74]

रेशम उद्योग की द्विवार्षिक समीक्षा सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1973)

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत रेशम-उत्पादन उद्योग की द्वि-वार्षिक समीक्षा सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (1973) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6184/74 ।]**

राज्य स ा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महा सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को सूचित करना है कि राज्य सभा से वहां के महासचिव से यह संदेश प्राप्त हुआ है 'मुझे आदेशानुसार लोक सभा को यह सूचित करना है कि राज्य सभा ने 19 फरवरी, 1974 को हुई अपनी बैठक में विदेशी अभिदाय (विनियम) विधेयक, 1973 को सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने का संलग्न प्रस्ताव स्वीकृत किया है और मुझे यह प्रार्थना करनी है कि लोक सभा प्रस्ताव पर अपनी सहमति की तथा संयुक्त समिति के लिये नियुक्त अपने सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दे।

प्रस्ताव
Motion

"कुछ व्यक्तियों या संगमों द्वारा विदेशी अभिदाय या आतिथ्य स्वीकार करने तथा उसके प्रयोग को विनियमित करने और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 60 सदस्य होंगे जिनमें से 20 सदस्य नामतः—

(1) श्री डी० डी० पुरी
(2) श्री चक्रपाणी शुक्ल
(3) श्री जी० आर० पाटिल
(4) श्री काली मुखर्जी
(5) श्री हर्षदेव मालवीय
(6) श्री गणेश लाल माली
(7) श्रीमती प्रतिभा सिंह
(8) श्री कासिम अली आबिद
(9) श्री मनुभाई शाह
(10) श्री इमोनसिंह एम० संगमा
(11) श्री श्याम लाल गुप्त
(12) श्री ओम प्रकाश त्यागी
(13) श्री कल्याण राय
(14) श्री एस० एस० मरीस्वामी
(15) श्री सीताराम सिंह
(16) श्री डी० वाई० पवार
(17) श्री अबू अब्राहम
(18) श्री के० पी० सुब्रहमण्य मेनन
(19) श्री भूपेन्द्र सिंह
(20) श्री रामनिवास मिर्धा

तथा लोक सभा से 40 सदस्य होंगे ;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी;

कि अन्य विषयों के बारे में इस सभा के प्रवर समितियों संबंधी प्रक्रिया विषयक नियम ऐसे परिवर्तनों तथा उपान्तरणों के साथ लागू होंगे जिन्हें कि सभापति करें;

कि समिति राज्य सभा के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिवस तक इस सभा को प्रतिवेदन दे देगी; और

कि सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उस संयुक्त समिति के लिये लोक सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे"।

अस्पृशता (अपरा) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक

UNTOUCHABILITY [OFFENCES] AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री एस० एस० सिद्देया (चामराजनगर) : मैं अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कुमारी मणिबन पटेल (साबर कं ा) : मुझे एक तार मिला जिसमें पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के, जिनकी मिसाल नहीं मिलती अत्याचारों के बारे में बताया गया है।

Mr. Speaker : You should send a notice for it.

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमान् जी, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि 25 फरवरी, 1974 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायगा :—

(क) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा।

(ख) ऐस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक, 1974 ।

जैसे कि पहले सूचित किया जा चुका है, वर्ष 1974-75 के लिये रेल बजट बुधवार, 27 फरवरी, 1974 को प्रश्नकाल के बाद तथा वर्ष 1974-75 के लिये सामान्य बजट गुरुवार, 28 फरवरी, 1974 को पेश किया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा सुझाव है कि निम्न मदों पर भी विचार किया जाये और इन विषयों पर विचार करने के लिये उचित समय दिया जाये :—

(1) गत सत्र में यह बात मान ली गयी थी कि चीनी आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि इसके लिये समय दिया जायेगा।

(2) मुझे आशा है कि योजना पर विस्तृत रूप से विचार किया जायेगा।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति के संबंध में इस सभा के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का समय भी दिया जाना चाहिये।

प्राय: हमारे प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल होते रहते हैं। किन्तु वे सभा के विचारों को नहीं जानते हैं। इस विषय पर भी विस्तृत चर्चा की जानी चाहिये।

मेरी प्रार्थना है कि यदि सरकार महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा विवाद का समाधान नहीं कर सकी है, तो इस संबंध में सभा का विश्वास प्राप्त किया जाना चाहिये और इस बारे में हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का समय दिया जाना चाहिये ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) **:** I want that the time should be allotted for the discussion of the following subjects also :

(1) I want that the reports regarding the bungling etc. by the F.C.I. should be inquired into and time should be allotted for discussion on them.

(2) I also want that we should discuss the matter regarding the Railway Locomen Mechanical Staff Association rule to work agitation and the non-implementation of the promise given to that Association before they withdrew their agitation.

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) **:** Mr. Speaker, Sir, I want to know from the Government the time by which they will announce the dissolution of the Gujarat Legislative Assembly and when the Judicial inquiry will be conducted in regard to the situation prevailing there. Please let me know whether you want to give compenstion to those persons who have died or injured in Police firing and if so, the quantum thereof? Whether the Prime Minister would utter some words in sympathy of those people?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : जैसा कि सभा को पता है कि माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति अभिभाषण, सामान्य बजट और अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान बोलने का अवसर मिलेगा । मैं संबंधित मंत्रियों को माननीय सदस्यों की इच्छा से अवगत करा दूंगा । कार्य मंत्रणा समिति भी दिये गये सुझावों पर विचार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने कुछ वक्तव्यों अथवा सूचनाओं के लिये कहा है । उत्तर देते समय मंत्रियों को उस बारे में बताना चाहिये ।

श्री के० रघुरामैया : मैं संबंधित मंत्रियों को इस बात की सूचना दे दूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) **:** मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने कुछ मदों को स्वीकार किये जाने का निर्णय किया था । कम से कम चीनी आयोग जैसे मदों पर विचार करने के लिये इस सत्र में प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

Shri Hukum Chand Kachwai : Police firing has become a daily routine in Gujarat. Your Government is responsible for such things (*Interruptions*). There should be discussion on the situation of Gujarat.

Mr. Speaker : You withdrew your adjournment motion, which I had admitted. Then I had allowed the calling attention motion on this subject yesterday. I have directed that the hon. Minister while replying should deal with the all these points.

Shri Hukam Chand Kachwai : This is a very important matter . We should be given an opportunity to have discussion on it. The students have gone on hunger strike before Parliament House. This agitation is going to spread throughout the country.

Mr. Speaker : The Minister of Parliamentary Affairs will convey your feelings to the concerned ministers.

चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक

CINEMATOGRAPH (SECOND AMENDMENT) BILL

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : जैसा कि सभा जानती है 1965 में राज्य सभा में एक संकल्प पारित किया गया था, जिसमें चलचित्र सेंसर कानून पर विचार करने के लिये एक समिति गठित करने के लिये कहा गया था । तदनुसार न्यायमूर्ति खोसला की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई

[श्री आई० के० गुजराल]

थी। इस समिति ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और कई वर्षों के परिश्रम के पश्यात् अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार ने कानून की जांच के पश्चात् यह विधेयक लाया गया है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(क) के अन्तर्गत सभी नागरिको को वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गयी है। तथापि भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता के संबंध में इस स्वतंत्रता पर उचित रोक लगायी गयी है। सेंसर कानून संवैधानिक सीमाओं के अन्तर्गत वाक् और अभिव्यक्ति के बारे में जनता की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है।

वर्तमान विधेयक की विशेषता यह है कि सेंसर बोर्ड आजकल के समान केवल ऊपरा परामर्श दात्री निकाय ही नहीं रह जायेगा, अपितु विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में लोगों के सहयोग से फिल्मों के मूल्यांकन का काम भी करेगा।

सरकार का विचार अपीलीय कार्य एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण को सौंपने का है जिसका परामर्श अनुच्छेद 19(ख) के अन्तर्गत आने वाले कुछ मामलों को छोड़ कर सभी मामलों के संबंध में माना जायेगा।

जहां तक नैतिकता और अश्लीलता का संबंध है सरकार आम तौर पर अपीलीय बोर्ड के निष्कर्षों को मानेगी, जब तक सरकार के लिये हस्तक्षेप का कोई बहुत विशेष कारण न हो।

सरकार कुछ समय से यह महसूस कर रही है कि अब समय आ गया है जब हमें फिल्मों में सेक्स और हिंसा की बढती हुई प्रवृत्ति पर अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने चाहिये। इस सभा तथा दूसरी सभा एवं कई सार्वजनिक संस्थाओं और संघों द्वारा व्यक्त चिन्ता को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय चलचित्र सेंसर बोर्ड संहिता को लागू करने तथा संहिता द्वारा प्रतिपादित, सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाने के काम को सख्ती से करना पड़ा है।

मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इस उद्योग में अच्छे उचित तथा जिम्मेदारीपूर्ण आवाजों को उठाने वाले लोग आ गये हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुर्भाग्य पूर्ण और विनाशकारी प्रवृत्तियां लुप्त होती जा रही हैं। मैं यह बात जानता हूं कि इतने थोड़े समय में इन प्रवृत्तियों को बदल देना सरल नहीं है। कुछ फिल्म निर्माताओं और निदेशकों ने अब अश्लीलता, हिंसा आदि के विरुद्ध काफ़ी तीव्र भावना व्यक्त की है और ऐसी फिल्में, जिनमें यह प्रवृत्तियां बिलकुल प्रदर्शित नहीं की गयी हैं, सफ़ल हो रही हैं।

सरकार अपनी ओर से सेंसर द्वारा नकारात्मक रवैया अपनाने के पक्ष में नहीं है जोकि आज की परिस्थितियों में अपरिहार्यसा है, परन्तु यह फिल्मों में सार्थक तथा ठोस हस्तक्षेप भी करेगा। माननीय सभा को मालम है कि हम एक फिल्म परिषद् बनाने पर विचार कर रहे हैं। यह परामर्श देने वाला निकाय होगा। एक राष्ट्रीय फिल्म निगम होगा जो वाणिज्यिक गतिविधियों का विनियमन करेगा। यह बात सरकार की नीति से मेल खाती है। फिल्म एक वस्तु नहीं है जिसका व्यापार किया जाये, वरन् हमारे सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के लिये एक महत्वपूर्ण सामग्री है।

मुझे आशा है कि प्रास्ताविक संशोधी विधेयक से हमारा सेंसर ढांचा ऐसा हो जो जायेगा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और फिल्मों की पूरी उन्नति तथा फिल्म माध्यम के विकास के लिये आवश्यक परिस्थितियों को पैदा करने वाला भी होगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि चलचित्र अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।

इस विधेयक पर विचार किये जाने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि विदेश मंत्री ईरान से वापस आ गये हैं और वह 6 बजे शाम एक वक्तव्य देंगे।

श्री एन० श्रीकान्तन् नायर (क्विलोन) : मैंने उसी समय ही मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था जबकि इस विधयक को सभा के समक्ष पेश किया गया था । मैंने बता दिया था कि इसमें कुछ ऐसे उपबन्ध किये गये हैं जिससे इसका उद्देश्य ही पूरा नहीं होता, क्योंकि इस संशोधित विधेयक के अन्तर्गत अनेक निकाय गठित किये जायेंगे ।

जहां तक सेंसर बोर्ड का सम्बन्ध है, यह तो ठीक ही है । अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में इसके 11 सदस्य होंगे और इसके साथ ही निरीक्षण समिति भी होगी ।

इसकी धारा 3(क) (एक) में यह परिवर्तन करने का उपबन्ध किया जा रहा है कि इसमें पांच अन्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे और छः अवैतनिक सदस्य होंगे । इस प्रकार इसके कुल 11 सदस्य होंगे । इसके साथ ही तीन निर्धारिकों का उपबन्ध भी किया जा रहा है । इसका अर्थ यह है कि इस निरीक्षण समिति पर सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा और इस प्रकार जिस उद्देश्य को आप पूरा करना चाहते ह, उसकी पूर्ति नहीं होगी ।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यथा सम्भव जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाये ।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (जालौर) : जहां तक इस विधेयक के उद्देश्यों का सम्बन्ध है इसमें कुछ विवादास्मक नहीं है । विधयक का उद्देश्य आवश्यक रूप से केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के ढांचे में परिवर्तन लाना है ।

इस समय भारतीय समाज में उन लोगों के लिये नैतिक स्तरों को बनाये रखना बहुत ही आवश्यक है जो चलचित्रों को देखते हैं । इस समय हम फिल्मों के ससर की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके द्वारा सांविधिक रूप से कुछ उपायों को सुनिश्चित करना है । यह मनोरंजन का एक साधन है जो बहुत शक्तिशाली है जिसका इसे देखने वाले समाज विशषकर कि युवा पीढ़ी पर फिल्मों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है ।

सैंसर कर्त्ताओं पर जनता के नैतिक स्तर के निर्माण तथा युवा पीढ़ी को निदेशन देने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है ।

मैं काल्पनिक नैतिक स्तरों द्वारा कला की हत्या नहीं चाहता और साथ ही कला के नाम पर कामुकता का बढ़ावा भी नहीं दिया जाना चाहिए ।

फिल्म सैंसर बोर्ड का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है । इसलिए उनकी विफलताएं भी गम्भीर मानी जानी चाहिए । आज हमारी युवा पीढ़ी में नैतिक स्तरों का ह्रास, उनमें कामुकता की बहुलता, अपराध प्रवृत्ति की अधिकता के लिये बोर्ड उत्तरदायी है । यदि यह सही है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती क्योंकि फिल्म ससर कार्य जैसी गम्भीर जिम्मेदारी से पूर्ण इस कार्य को बहुत ही उपेक्षापूर्ण ढंग से किया जाना अत्यन्त अनुचित है ।

यही फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन आज सामान्य हो गये हैं । मेरे एक मित्र ने "जोकर" फिल्म का निर्माण किया जिसमें कविता, कृत्रिमता, रोमांस तथा अन्य विशेषताएं भी थी । परन्तु वह फिल्म विफल रही । बाद में उन्होंने सभी सिद्धान्तों की अवहेलना करके अत्यन्त लज्जापूर्ण फिल्मों का निर्माण किया ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा 6 फरवरी, 1960 को जारी की गई एक अधिसूचना में फिल्मों के दिखाने के बारे में कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं । यदि किसी फिल्म में अपराध और अनैतिकता इस प्रकार दिखाई गई है जिससे शालीनता के मान्य सिद्धान्तों को क्षति पहुंचे तो ऐसी फिल्म को दिखाने के लिए उचित सत्यापित नहीं किया जाना चाहिए । किन्तु इन सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जा रहा है ।

[श्री नरेन्द्रकुमार सालवे]

यदि इन सिद्धान्तों का उचित रूप में पालन किया जाता है तो 10 में से 9 फिल्मों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता ।

यदि सैंसर बोर्ड ने उन्हें पास कर दिया है तो इस बारे में सरकार अपना उत्तरदायित्व क्यों नहीं निभाती ।

एक अमरीकी मित्र ने भारतीय फिल्मों के विरुद्ध शिकायत की थी कि यह फिल्में विवाह पर समाप्त हो जाती हैं जैसे कि विवाह के पश्चात् कोई रोमांस नहीं होता ।

आजकल प्रत्येक फिल्म में एक अर्धनग्न नारी का 'कैबरे' नृत्य' अवश्य दिखाया जाता है । क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि इन 'कैबरे' नृत्यों पर प्रातिबन्ध लगाया जायेगा ।

विधेयक के द्वारा सेंसर बोर्ड को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है । उसका एक सवेतन अध्यक्ष होगा तथा पांच पूरे समय के सदस्य और छः अवैतनिक सदस्य होंगे जिसमें से तीन फिल्म उद्योग के होंगे । मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि यह लोग कल्पना शील सामाजिक व्यक्तित्व वाले होंगे ।

खोसला आयोग ने सेंसर बोर्ड को फिल्म उद्योग के घातक प्रभाव से दूर रखने को कहा है । उन्होंने बोर्ड को बम्बई, मद्रास और उन सभी स्थानों से जहां भ्रष्टाचार का प्रभाव पड़ सकता है, हटाने को भी कहा है । क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि सेंसर बोर्ड नागपुर में स्थित होगा ।

श्री मनोरन्जन हाजरा (आरामबाग) : पिछले बजट सत्र में मंत्री महोदय ने कहा था कि वह सिनेमा उद्योग पर एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे । परन्तु खेद है कि यह विधेयक सिनेमा उद्योग के हित में अथवा समूचे उद्योग के विकास के लिए नहीं लाया गया है । अपितु यह शासक दल द्वारा सिनेमा उद्योग पर नियंत्रण बढ़ाने के लिये लाया गया है । सरकार यह कार्य नौकर शाही के माध्यम से करना चाहती हैं । सरकार के उद्योग के प्रति कुछ नैतिक उत्तरदायित्व है ।

इस विधेयक में उद्योग के लिये पांच प्रकार के एककों की परिकल्पना की गई है और इन पांचों का कार्य समान ही होगा । अपीलीय न्यायाधिकरण में 12 सदस्य होंगे जोकि सभी सरकार द्वारा नामांकित होंगे । एक 11 सदस्यों का बोर्ड होगा जिसमें 5 पूर्णकालिक और शेष अवैतनिक सदस्य होंगे । केवल 3 सदस्य उद्योग में से लिये जायेंगे । एक अध्ययन समिति होगी और एक पुनरीक्षण समिति होगी और पांचवें क्षेत्रीय भाषाओं के असेसर होंगे ।

विधेयक के एक उपबन्ध के अनुसार उस फिल्म को विदेश में प्रदर्शन के लिये प्रमाणपत्र नहीं दिया जायगा जिसमें सक्षम अधिकारी के अनुसार फिल्म अथवा उसके किसी भाग में भारत के अथवा उसके किसी भाग के सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक स्वरूप को गलत अथवा गुमराह करने के उद्देश्य से फिल्माया गया हो ।

पिछले बजट सत्र में मैंने पर्दे के पीछे कार्य करने वाले तकनीकी तथा अन्य कलाकारों की शिकायतों के बारे में उल्लेख किया था । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह उन कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विधेयक निकट भविष्य में लायें ताकि फिल्म उद्योग की उन्नति हो सके ।

Shri M. C. Daga (Pali) : What is censor? What are the moral standards? What is offenscene matter? Censorship is a greatest check on our expression. These elderly persons are more to be seen in such films, which they oppose on the floor of the House.

The supreme Court while admitting the necessity of censorship has stated that the censorship should not over-ride the Constitution.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Six Miniutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री मूल चन्द डागा : सेंसर बोर्ड के बारे में खोसला समिति ने कहा था कि बहुत सी फिल्मों पर सेंसर बोर्ड के किसी भी सदस्य द्वारा देखे बिना निर्णय लिया जाता है । समिति ने फिल्म की कांट छांट की भी निन्दा की है ।

खोसला समिति ने यह भी कहा है कि बहुत से नियम जो इस समय लागू हैं उसके लिये कोई कानूनी आधार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको क्या कहना है ? यह तो रिपोर्ट है ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं इन सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं ।

Apart from Censorship Board there are two Committees one for 'examining' and the other for 'Revising'. There is no time limit for their jobs.

It is better that you reset the censorship. If you cannot do that at least implement the recommendations.

श्री मूल चन्द डागा : वर्तमान अधिनियम की धारा 6 में उल्लेख है कि केन्द्रीय सरकार किसी भी समय सम्बन्धित कागजों को मंगवा सकती है ।

The Government can call for the Papers at any time. The Government is endeavouring to bring about improvement in the sphere of art by its prenunciations.

श्री एम० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : खेद है कि सरकार इस बेकार-से विधान को यहां लाई है । खोसला आयोग 1965 में गठित हुआ । सरकार ने 10 वर्ष पूर्व सिनेमा के कर्मचारियों संबंधी कानून लाने का आश्वासन दिया था ।

लगभग दो वर्ष पूर्व मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण सम्बन्धी कर्मचारियों के बारे में भी एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा । परन्तु अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया !

मैट्रो सिनेमा को, जिसका स्वामी एक अमरीकी है, एक भारतीय श्री शिव शंकर गुप्ता द्वारा चलाई जाने वाली तथाकथित स्विस कम्पनी के नाम से हस्तांतरित कर दिया गया है । दिखाने के लिये शिव शंकर गुप्ता का नाम पर मैट्रो सिनेमा, उसे प्रदर्शन, वितरण कार्य को स्विस कार्पोरेशन से अधिकार में ले लिया गया ।

गत वर्ष मंत्री महोदय ने बार बार लोक सभा तथा राज्य सभा में कहा था कि सरकार मिट्रो सिनेमा को हाथ में लेने पर गम्भीरता से विचार कर रही है लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ । अब मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने मिट्रो सिनेमा को हाथ में लेने का विचार छोड़ दिया है क्योंकि वे

10—39 L.S.S./73

[श्री एम० एन० मुखर्जी]

स्विट्जरलैंड के आदमी को हाथ नहीं लगाना चाहते। अमरीकी मालिक के मैट्रो सिनेमा जिसे एक भारतीय श्री शिवशंकर गुप्ता चला रहे हैं, को तथाकथित स्विस कम्पनी के नाम में हस्तांतरित किया गया है। इसके फलस्वरूप कम्पनी ने भारत में पड़ी अपनी धनराशि को श्री गुप्ता के नाम में हस्तांतरित कर दिया तथा उसके बदले में विदेश में उसे उपार्जित धन मिल गया और भारत सरकार कुछ न कर सकी। सरकार सिनेमा उद्योग में सुधार हतु खोसला समिति की सिफारिशों के अनुसार विधान बनाना चाहती है, अब समय है कि सरकार इस बारे में बोलना बंद करे। सरकार को संसद का समय चुंबन के अनुज्ञेय होने या न होने जैसी बातों पर खोना नही चाहिये।

सेंसर बिलकुल समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इसे लागू करने का तरीका यह है कि सरकार अपने पास शक्ति रखे कि भारत की शिष्टता के विपरीत किसी फिल्म को अर्थात अश्लील चित्र को नही दिखाया जायेगा। परंतु नैतिकता के आधार पर फिल्मों में काट छांट करना निरर्थक है। इसे जितना जल्दी हो सके समाप्त करके देश के लिये अच्छाई का कार्य किया जाये।

उन लोगों की हालत देखकर हम तंग आ गये हैं जो सिनेमा उद्योग में काम कर रहे हैं। निर्माण कार्यो वितरण और प्रदर्शन पर जब धनी वर्ग का नियंत्रण है, सरकार इस प्रकार के छुटपुट विधान के साथ आती है, जो कि रद्दी की टोकरी में फेंकने योग्य है। सरकार को राष्ट्र के हित में इस उद्योग पर नियंत्रण करना चाहिये और वास्तविक कार्य करने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करनी चाहिये। उन्हीं के परिश्रम के फलस्वरूप निर्माण कार्य हो रहा है, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : It would have been better if this Bill could be made more comprehensive with a view to cover the various categories of the artists and employees who contribute to the production of a film. Films are the most popular media of entertainment that reached the common man. Decency or indecency are the relative terms but it has to be seen that pictures produced to the order of distributors who simply caters to the lower tastes of the people, do not erode our cultural traditions in the name of art. In order to make film a box-hit, they today exhibit crime, sex and violence which do not leave a happy impact on the minds of youngsters. There is, no doubt, a provision for Censor Board appellate authority and then, the Central Government, but it appears that they all are in effective to check the exhibition of undesirable scenes in the films.

It is, therefore, necessary to bring forward a comprehensive Bill to make the censoring machinery more effective so the only healthy pictures are allowed to be released.

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा करने के लिये दो घंटे रखे गये थे लेकिन वक्ताओं की संख्या बढती जा रही है और मेरी समझ में नहीं आता कि इस स्थिति में क्या किया जाय।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि सदन केवल अर्थ-व्यवस्था के लिये ही समय देता है और संस्कृति और कला के लिये नही, यह सदन का अपमान है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा लेकिन किसी को भी दस मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : It appears that this Bill has been brought forward for the purpose of propaganda for the ruling party and the Government. Censor Board is a white elephant and it is under influence of the film industrialists. There is a general feeling in the public that good films are not being encouraged and films which degrade the character are being permitted. Ugly pictures have been produced during the last 15 years. The modern youths copy the characters. The main reason for this State of affairs is that the standard of the Censor Board has deteriorated. No attention is being paid to the elevation of character in youths. It is, therefore imperative that some reforms should be made in this field.

Foreign films are very popular in India but foreigners have no adequate opportunities to see Indian films in their own countries. Such imported films, as exhibit obscene events should be banned and arrangements should be made for wider display of Indian films. The Censor Board imposes restrictions on those films which contain the criticism of ruling party or Government. The difficulties of public should be exhibited in movies.

It is good that an Institute for training of actors and actresses has been started in Poona. Such centres should be started at other places also, preferably in every state.

The Cinema houses are in deplorable condition. Some scheme should be drawn out to keep the pictures halls neat, clean and attractive.

It appears that this Bill has been brought forward in a hurried manner. It should be withdrawn and a comprehensive Bill to benefit the artists and other employees working n film industry should be brought forward.

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : हमारे देश में फिल्मों को एक संगठित उद्योग के रूप में नहीं लिया जाता। हमारे फिल्म उद्योग में काम कर रहे लोगों में कोई बुराई नही हैं, तब भी हमारे यहां जो फिल्में दिखाई जाती हैं उनमें अपेक्षित बातें नही होती। हमारे देश में दिखायी जाने वाली अधिकांश फिल्में बुरी, भद्दी और अश्लील होती हैं और वे जनता को निम्नस्तर की सामग्री पेश करती हैं। कहा गया है कि दर्शकों द्वारा जिस प्रकार की फिल्मों की मांग की जाती हैं, इसी प्रकार की फिल्में बनाई जाती हैं। यह कोई ठोस तर्क नही है। जब एक के बाद किसी विशेष प्रकार की फिल्में लोगों को दिखाई जाती है तो लोगों की रुचि बदल जाती है। दर्जनों अच्छी फिल्में पड़ी हुई हैं और कोई भी वितरक उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारी जनता की रुचि अशिष्ट फिल्मों के अुकल बना दी गई है। अतः अधूरे मन से किये गये प्रयासों से स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मैंने कभी भी मांग नहीं की है और मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि इससे स्थिति के सुधार ने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। अच्छे से अच्छे कलाकार भी बढ़िया फिल्म इसलिए नहीं दे पाते हैं की इस उद्योग पर प्राइवेट वित्त का नियन्त्रण है। यही मूल कारण है।

फिल्म निर्माता तो प्रस्ताव की बिक्री करता है कि अमुक अभिनेता, अभिनेत्री और संगीतकार के साथ फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म के वितरक और प्रदर्शनों की बात निर्माता को मजबूरी में माननी पड़ती है, क्योंकि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगा, तो उसकी फिल्म बिकेगी ही नहीं।

फिल्म का निर्माता थोड़ी सी प्रारम्भिक धनराशि से एक या दो रील का निर्माण करता है और परिष्करण के बाद उसे वितरकों को बेच देता है। वितरक प्रदर्शनों से पैसा लेते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे फिल्म का निर्माण होता जाता है। अन्ततोगत्वा फिल्म दर्शक को ही सारा पैसा देना पड़ता है।

अगर फिल्म के निर्देशकों, तकनीशियनों और संगीतकारों को प्राइवेट वित्त के चंगुल से निकाल दिया जाये, तो ये ही व्यक्ति अच्छी फिल्मों का निर्माण कर सकते है। भारत सरकार को भारतीय चलचित्र निगम का गठन करना चाहिए और उसमें उन सभी निर्देशकों को सदस्य नियुक्त किया जाय जिन्होंने पिछले तीन साल में कम से कम एक फिल्म का निर्देशन किया हो। तकनीशियनों को भी उसका सदस्य बनाया जाय लेकिन फिल्म निर्माताओं को सदस्य नहीं बनाया जाय, क्योंकि वास्तविक फिल्म-निर्माता में उसका कोई भी हाथ नहीं होता। इस निगम का सदस्य अभिनेताओं संगीत निर्देशकों, सम्पादकों कैमरामैन आदि को भी बनाया जा सकता है। इस फिल्म निगम द्वारा संचालित फिल्म संस्थानों से शैक्षणिक अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को भी इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। यह निगम लोकतन्त्रात्मक ढंग से संचालित किया जाना चाहिए। इस निगम का फिल्म निर्माण पर एकाधिकार होना चाहिए और सारा वित्तीय दायित्व केन्द्रीय सरकार को अपने उपर लेना चाहिए। इस प्रकार अच्छी फिल्मों का निर्माण किया जा सकता है।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : पिछले दो साल के दौरान फिल्म के स्तर में काफी सुधार हुआ है। कुछ इतनी अच्छी फिल्मों का निर्माण किया गया है कि हम उनके ऊपर गर्व कर सकते हैं। श्री सत्यजित राय का नाम विदेशियों के मध्य भी इतना अधिक मशहूर है कि उन्हें भी श्री राय की कला और तकनीकी से बहुत कुछ सीखना है।

श्री अमृत नाहाटा : श्री सत्यजित राय को अपनी पहली फिल्म का निर्माण करने में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें कोइ खरीददार नहीं मिला और तब पश्चिम बंगाल सरकार को उनकी मदद करनी पड़ी थी। इस प्रकार उनकी पहली फिल्म "पाथेर पांचाली" का निर्माण पूरा हो पाया था।

श्री एम० सहाय पाण्डेय (राजनंदगांव) : कुछ फिल्मों के असफल होने का कारण बाजार में भद्दी फिल्मों का प्रदर्शन भी है।

डा० कर्णी सिंह : चलचित्रों और टेलिविजन का काफी शैक्षणिक महत्व है। इसलिए सरकार को से सेंसरशिप अथवा अन्य किसी रुप में फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों पर निर्यन्त्रण करना चाहिए, जिससे सामान्य दर्शक की भावनाओं को चोट न पहुंचने पाये।

सेन्सरशिप और सिनेमाटोग्राफ के बारे में दो घटनायें मुझे गम्भीरता से सोचने के लिए मजबूर कर रही है। एक बार एक पुत्र अपने पिता से यह पूछने के लिए आया कि क्या वह अपनी गर्लफ्रेण्ड को लाकर घर का इस्तेमाल कर सकता है और दूसरी घटना राष्ट्रीय संग्रहालय से अमूल्य वस्तुओं की चोरी है। उस घटना में चोर ने "हाउ टू स्टील ए मिलियन" फिल्म से प्रेरणा प्राप्त की थी। हिंसा लूटमार, चोरी, आगजनी, हत्याओं आदि से भरपूर फिल्मों को भारत में आने की सरकार अनुमति ही क्यों देती है ? अगर हम अपने नौजवानों को इस प्रकार की फिल्में देखने की अनुमति देंगे, तो हम अगली पीढ़ी के लिए किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं। इसलिए किसी न किसी रूम में सेन्सरशिप का होना अत्यावश्यक है। मैं स्वयं शौकिया मूवी फिल्में बनाता हूँ। पाश्चात्य जाति ने भी इस क्षेत्र में परीक्षण किया है। पाश्चात्य जगत में अश्लील चलचित्रों का भी निर्माण किया जाता है।

मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि सेन्सरबोर्ड में अध्यापकों, डाक्टरों, मनोविष्लेसकों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जो लोग मानव मस्तिष्क का अध्ययन करते है। मैं सेन्सरशिप को उदार बनाये जाने का विरोधी नहीं हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि फिल्में ऐसी हों जिन्हें हम अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों के साथ बिना किसी झीझक के देख सकें।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यह विधेयक लाने के लिए मंत्री महोदय को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि यह एक अधूरे मन से किया गया प्रयास है, परन्तु फिर भी इस विधेयक से वर्तमान सेन्शरशिप प्रणाली में कुछ तो सुधार तो होगा ही।

स्वाधीनता के नाम पर यह कहा जाता है कि फिल्म-निर्माण के लिए पूर्ण स्वाधीनता दी जानी चाहिए। इस प्रकार हम किस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं ? कल ही टेलीविजन पर एक नमूने के तौर सर्वेक्षण किया गया था। उसमें एक नवयुवक ने यह बताया कि वह इस प्रकार की फिल्में इसलिए देखता है, क्योंकि अच्छी फिल्में उपलब्ध ही नहीं हैं। जैसाकि श्री डागा ने कहा कि क्या आप वही काम अपने बेटे और बेटियों से कराना पसन्द करेंगे, जो काम फिल्मों में प्रदर्शित किये जाते हैं। आप एक समाज में रह रहे हैं। जंगल में व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है।

अफसोस की बात है कि कला की दृष्टि से भी सेन्शर अपना दायित्व निभाने में पूर्णतया विफल रहा है। कला की दृष्टि से भी काम सम्बन्ध और घनिष्ठता को बड़े शिष्ट और सौम्य ढंग से चित्रित किया जा सकता है। मैंने "बाबी" फिल्म देखी है और यह एक अच्छी फिल्म है।

इस माध्यम का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ मनुष्य को सृजन की ओर बढ़ावा देना है। हमें उन उच्च आदर्शों के लिए नवयुवकों को प्रोत्साहित करना है, जिनसे राष्ट्र का नव-निर्माण हो सके। आजकल की फिल्में पलायनवाद को बढ़ावा देती हैं। नवयुवक जो कुछ वास्तविक जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते, उसे फिल्म के सपहले पर्दे पर देखने का प्रयास करते है। फिर इस प्रकार की रूचि का निर्माण हो जाता है और फिर अधिक अश्लीलता, अमदता और हिंसा की मांग होती है। हिंसा को गरिमामय बनाने या हिंसक दृष्यों को बढ़ावा देने से क्या लाभ होगा ?

तस्करों और चोरबाजारियों को फिल्म में एक हीरो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और उनके जीवन को अत्यधिक सम्पन्न और विलासितापूर्ण दिखाया जाता है। इससे नवयुवकों के मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

इस समय निरीक्षण समिति, पुनरीक्षण समिति, अपीलीय बोर्ड, न्यायाधिकरण और उसके बाद सरकार है। इतने अधिक संगठनों को रखने की क्या आवश्यकता है ? स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए समाजसेवियों की एक समिति सरकार को गठित करनी चाहिए। मार्गदर्शी सिद्धांत पहले से बने हुए है और अगर उन्हें सख्ती से लागू किया जाय, तो अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

इस माध्यम का जनता की भलाई और देश की भलाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। स्वाधीनता के नाम पर देश के नवयुवकों के नैतिक आदर्शों का पतन नहीं किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस विधेयक से इस बात का स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हमारी सरकार पीढ़ी के अन्तर को नही समझती। इस विधेयक का उद्देश्य संगठन व्यवस्था में सुधार करना है जिससे चलचित्रों का परीक्षण, भारत से बाहर चलचित्र प्रदर्शित करने के लिये प्रमाणपत्र की व्यवस्था तथा अन्य सभी सम्बन्धित समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल किया जा सके। परन्तु मुझे इस बात की आशंका है कि यदि इस विधेयक में प्रस्तावित तंत्र को स्वीकार कर लिया जाता है और उसे क्रियान्वित किया जाता है तो चलचित्र उद्योग और विशेषकर सेंसर के काम में कला से भिन्न तत्वों को आश्रय मिलने लगेगा और इससे कोई भी बात अधिक खतरनाक नहीं होगी कि कला के ढांचे पर कोई अन्य ढांचा हावी हो जाय।

कला की वस्तु को कला की दृष्टि से ही आंका जाना चाहिये। कला की उपयोगिता इसी में है कि वह हमारे जीवन को, जैसा वह है, अभिव्यक्त करे। यदि हमारे जीवन का रूप भद्दा है तो उस भद्देपन की अभिव्यक्ति ही अद्भुत कला है। यह आवश्यक नहीं है कि नग्नता का प्रदर्शन अश्लील हो कलात्मक दृष्टि से एक अच्छा व्यक्ति भी अभद्र अथवा अश्लील हो सकता है और एक नग्न आदिवासी महिला कला की दृष्टि से सौदर्य की अभिव्यक्ति हो सकती है। मुख्य बात यह देखने की है कि कोई दृश्य किस संदर्भ में दिखाया जाता है। पृथक रूप में कोई भी दृश्य अश्लील प्रतीत हो सकता है। परन्तु यदि बलातकार का दृश्य भी ठीक ढंग से दिखाया जाता है तो उस से जनता के मन में दया की भावना जागृत होगी। अतः नग्नता को कला की दृष्टि से अश्लील नहीं कहा जा सकता। कलाकार जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति करता है। कला का सत्य और सौंदर्य से अभिन्न सम्बन्ध है। अतः कला की अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। जिस प्रकार दफ़तरशाही तंत्र का सुझाव दिया गया है मेरे विचार में उससे कला की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं। आस्कर वाईल्ड ने कहा था कि अश्लील नाम की कोई चीज नहीं, हां कला उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट हो सकती है। मेरे विचार में यदि तथाकथित अश्लील दृष्य को भी, ठीक ढंग से और उचित संदर्भ में दिखाया जाये तो उससे वातावरण दूषित नहीं होगा। यह सम्भव है कि इस प्रकार के दृश्य को देखकर लोगो के दिलों में उस बुराई विशेष के प्रति नफरत हो जाये और उनपर अच्छा प्रभाव पड़े। इसलिए मेरा विचार यह है कि कला के संदर्भ में ही किसी घटना विशेष को आंका जाना चाहिये और इस प्रकार का निर्णय कलाकार कर सकते हैं दफ़तरशाह नहीं। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में सभा की राय में कोई अन्तर नहीं होगा।

वस्तुस्थिति यह है कि पुंजीनिवेश करने वाले कुछ लोग लाभ कमाने के लिये चलचित्र बनाते हैं, वे कलात्मक दृष्टि से अच्छे और सुन्दर दृश्य प्रस्तुत नहीं करते। अतः इस स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। हमें कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रमुख मानकर और अन्य सभी पहलुओं को गौण मान कर इस पर विचार करना चाहिये। इस विधेयक में प्रस्तावित तंत्र इस उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहेगा। अतः सभा को इसको अस्वीकार कर देना चाहिये।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी (जालोर) : चलचित्र उद्योग में एक और वैभव तथा चमकदमक है और दूसरी ओर दरिद्रता का साम्राज्य है। चलचित्र उद्योग में काम करने वाले लोगों की दशा शोचनीय है। मैंने वर्ष 1969 में सुझाव दिया था कि इस प्रयोजन के लिये एक चलचित्र परिषद बनायी

[श्री नरेंद्र कुमार सांधी]

जानी चाहिये जो इन सब बातों पर विचार करे परन्तु श्री गुजराल द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद पांच वर्षों की अवधि में वह परिषद नहीं बन सकी। एक बार श्रम मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि एक विधान प्रस्तुत किया जायेगा परन्तु वह भी नही हुआ।

जहां तक चलचित्रों के सेंसर का प्रश्न है, हमें इस देश में सेंसर के इतिहास पर दृष्टिपात करनी होगी। मूल अधिनियम वर्ष 1898 में पास किया गया था। फिर वर्ष 1952 में एक अधिनियम अधि-नियमित हुआ था और बोर्ड आफ सेंसर की स्थापना की गई थी। वर्ष 1958 में चलचित्र के दो वर्ग बनाये गये (यू०) और (ए०)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगले अवसर पर अपना भाषण जारी रख सकेंगे। अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा होगी।

कर्मकार प्रतिकार (संशोधन) विधेयक

(WORKMEN'S COMPENSATION AMEMDMENT BILL)

(धारा 2, 3 आदि का संशोधन)

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पी० एम० मेहता : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

मजुरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1973

PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL 1973

(धारा 1, 2, आदि का संशोधन)

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पी० एम० मेहता : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 1973

FACTORIES AMENDMENT) BILL, 1973

(धारा 8, 9 आदि का संशोधन)

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कारखाना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि कारखाना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पी० एम० मेहता : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1973

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL, 1973

(धारा 1, 2 आदि का संशोधन)

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पी० एम० मेहता : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

विषमताओं तथा धन के सकेंद्रण को दूर किया जाना विधेयक, 1973

REMOVAL OF DISPARITIES AND CONCENTRATION OF WEALTH BILL, 1973

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं देश में विषमताओं को दूर करने सम्बन्धी इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। जब प्रधान मंत्री ने इस देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी तब उन्होंने देश में गरीबी दूर कर देने का वचन दिया था। परन्तु इस देश के राजनीतिक दल इस सरकार की प्रगतिशील नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा डाल रहे हैं। चुनाव हार जाने के बाद उन्होंने आन्दोलन आरंभ कर रखे हैं। अन्य देशों में निर्वाचित सरकार को चार या साढे चार वर्ष तक अपनी नीतियां क्रियान्वित करने दी जाती हैं और केवल अन्तिम 6 महीनों में उसकी आलोचना की जाती है, परन्तु हमारे देश में आरम्भ से ही आन्दोलन, घेराव और अहिंसा का आश्रय लिया जाता है। विरोधी दलों द्वारा बाधाएं डाले जाने के कारण ही सरकार अपनी प्रगतिशील नीतियां क्रियान्वित करने में असफल रही है। आन्ध्र प्रदेश में सरकार जमींदारों से फालतू भूमि लेकर भूमिहीन लोगों को बांटना चाहती थी परन्तु वहां पर आन्दोलन करके भूमि सम्बन्धी रिकार्ड नष्ट कर दिया गया। अब सरकार

[श्री एम० राम गोपाल रेड्डी]

भूमि को पुनः बांटने का प्रयत्न कर रही है। फिर विरोधी दल श्रमिकों को आये दिन हड़ताल करने के लिये भड़काते हैं। आज प्रत्येक श्रमिक बोनस, भविष्य निधि, उपदान आदि सहित औसतन 400—500 रुपये प्रतिमास ले रहा है फिर भी वे देश में गड़बड़ कर रहे हैं। रेलवे, जीवन बीमा निगम, इण्डियन एयरलाइन्स आदि के कर्मचारी भी, जो अच्छा वेतन पाते है, असंतुष्ट हैं। ऐसे लोग देश में विषमताओं को दूर करने के मार्ग में बाधा डालते है। यह सरकार विषमताओं को दूर करना चाहती है। इस विधेयक के उद्देश्य के बारे में कोई विवाद नहीं है परन्तु इसका क्रियान्विति पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। अतः विरोधी दलों को रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। सरकारने कार्यक्रम बताया है कि इस देश के प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी विभाग अथवा किसी कारखाने या किसी अन्य स्थान पर रोजगार दिया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, कुछ व्यक्तियों के पास काले धन की भारी राशि एकत्र हो गई है जो हमारी अर्थ-व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है। एक सबसे बड़ी विषमता यह भी है कि विभिन्न कर्मचारियों के वेतनों में बहुत अन्तर है। कर्मचारी आये दिन हड़ताल की धमकी देते रहते हैं जब कि पूरे बजट की लगभग 70 प्रतिशत राशि उनपर खर्च होता है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार यह निर्णय करले कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। निम्नतम तथा अधिकतम मजूरी में 10 गुने से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये।

डॉ० रानेन सेन (बारसाट) : मैं इस विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करता हूँ किन्तु उसमें निहित औद्योगिक फर्मों को सहकारी बनाये जाने जैसे पुस्तकों का विरोध करता हूँ।

इस सदन में तथा सदन के बाहर भी मजूरी में अन्तर तथा एकाधिकार में वृद्धि आदि के बारे में अनेक बार आवाजें उठाई गई हैं, किन्तु इसका क्या परिणाम निकला? स्वयं सरकार ने माना है कि गत 25—26 वर्षों में कुछ व्यक्तियों के हाथ में आर्थिक शक्ति सिमट गई है तथा देश में भारी काला धन एकत्र हो गया है। समाज के विभिन्न वर्गों में तथा विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में विषमताएं बढ़ी हैं। श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के वेतनों में 100—150 गुना अन्तर है। स्वयं सरकारी कर्म-चारियों के वेतनों में 15 से 20 गुना अन्तर है। श्रम आन्दोलन में हमने इस विषमता का पूरा विरोध किया था।

दूसरे, पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में की गई घोषणाओं के बावजूद देश में सम्पत्ति के कुछ दामों में सिमटने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। महालानोबिस समिति, सरकार समिति आदि ने इस बातका पता लगाया है कि देश की कुल सम्पत्ति में से भारी राशि कुछ ही गृहों के पास है। क्या इस का कारण हड़ताल या घिराव हैं? नहीं! इसका एकमात्र कारण सरकार की दोषपूर्ण नीतियां हैं। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिये प्रयत्न कर रही है। किन्तु मेरा सुझाव है कि सरकार को देश के बड़ी संस्था में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये जिसमें विदेशी पुंजी वाले एकाधिकार प्राप्त उद्योग भी सम्मिलित हैं। इस दिशा में सरकार को एक निश्चित योजना बनानी चाहिये।

अतः यदि यह कदम नहीं उठाया गया तथा विदेशी पुंजी निवेश का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया तो अन्य सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे तथा देश की अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती।

सरकार को हमारे देश में दिन-प्रतिदिन बढ़ने वाले बड़े व्यापार पर वास्तविक नियोजन करने के लिये विशेष उपाय करने चाहियें। मंत्री महोदय को मानना पड़ेगा कि देश में मूल्य वृद्धि तथा कृत्रिम अभाव का कारण यही बड़े व्यापारी हैं। उद्योगपति देश में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं तथा सरकार या तो उन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है अथवा वह उनके राय में कोई दखल ही नहीं देना चाहती।

इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि सरकार सभी बड़े उद्योगों का समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण करे जिससे सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को रोका जा सके।

स्वयं सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतनों के बारे में आदर्श उपस्थित करना चाहिये तथा उनमें विद्यमान विषमताओं को दूर करना चाहिये। मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Lalji Bhai (Udaipur)) : Sir, their is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जहां तक कि इस विधेयक के उद्देश्यों का सम्बन्ध है, विधेयक के प्रस्तुत कर्ता श्री लकप्पा के विचारों में तथा सरकार के विचारों में कोई मतभेद नहीं है। देश में विद्यमान विषमताओं ने उनको चिंतित किया तथा उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया।

इस विधेयक की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ऐसे औद्योगिक एककों को सहकारी समितियों में बदलने की व्यवस्था की गई है जिनमें 5 लाख रुपयों और इससे अधिक की पुंजी लगी है। इसमें यह भी उपबन्ध किया गया है कि ऐसे औद्योगिक एककों के मालिकों, साझीदारों, श्रमिकों तथा कर्म-चारीयों को समितियों का सदस्य बनाया जाए। इस बारे में मेरा विचार है कि इस उपाय से माननीय सदस्य के इच्छित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती।

इस सम्बन्ध में पहली कठिनाई तो यह है कि संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है। व्यापार तथा वाणिज्य राज्यों, के क्षेत्राधिकार में है। उत्पादन, पूर्ति और वितरण भी राज्यों का कार्य है। सहकारी समितियां भी राज्यों का विषय है। इस सम्बन्ध में मुआवजे की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि भारत जैसे विशाल देश में औद्योगिक विकास के लिये सहकारी समितियां उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती। सरकार ने जनता को कुछ आश्वासन दिये हैं। हमारे कुछ राष्ट्रीय उद्देश्य भी हैं तथा हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय नितिया भी हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अपने भाषण में जो चित्र अंकित किया है वह सही है तथा सरकार स्वयं इस स्थिति से चिंतित है। इसी लिये, सरकार ने एकाधिकार तथा निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की स्थापना की थी।

यह सच है कि आर्थिक शक्तियों का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण अब भी विद्यमान है। किन्तु इस समस्या को हल करने के लिये क्या उपाय किये जाएं? क्या हमें केवल औद्योगीकरण पर निर्भर रहना चाहिये? साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि आप के अन्तर में यथासम्भव कमी की जाए। इस विधेयक में केवल उद्योग की बात कही गई है पूर्ति की बात नहीं। भूमि भी अत्यंत महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि भूमिसुधार के बिना देश में विद्यमान अनेक समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता।

[**श्री वसन्त साठे** पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

माननीय सदस्य ने जो उपाय सुझाया है वह अव्यावाहरिक है तथा देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुकुल नहीं है। उनका उद्देश्य सराहनीय है किन्तु यह उपाय सही नहीं है।

डा० रानेन सेन ने सुझाव दिया है कि आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण को समाप्त करने के लिये सभी बड़े उद्योगों का (देशी तथा विदेशी) राष्ट्रीयकरण किया जाए। देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुये, सरकार ने आर्थिक विकास के लिये कुछ कार्य

[श्री० के० आर० गणेश]

गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा है जो संसदीय प्रजातंत्र की भावना के अनुकूल है। यह कहना सच नहीं है कि सरकार में इतनी शक्ति नहीं है कि उन उद्योगों को अपने हाथ में ले सके। सत्तारुढ़ होने के पश्चात् सरकार का यह मुख्य उद्देश्य रहा है कि सरकारी क्षेत्र को प्रभुत्व दिया जाए जिससे देश में योजनाबद्ध विकास किया जा सके। कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगी कि पांचवीं योजना में 53,000 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। जहाँ तक प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों का प्रश्न है उसके लिये सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धि के बारे में गम्भीरता से विचार किया गया है। रूस के साथ आर्थिक समझौता भी किया गया है जिससे प्रमुख उद्योगों का पूरा विकास किया जा सके और हमें विदेशों के आगे हाथ न फैलाना पड़े।

देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा राजनीतिक विचारधारा में भी परिवर्तन हुआ है। सामान्य बीमा, कोयला खानों तथा अन्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इससे विदित होगा कि सरकार राष्ट्रीयकरण करने में नहीं सकुचाती बशर्ते यह कदम देश के हित में हो।

सरकार ने इस सम्बन्ध में जो नीति अपनाई है, तथा जिसमें आवश्यक संशोधन किये जा सकते हैं, उसका मूल उद्देश्य योजनाबद्ध विकास के माध्यम से औद्योगीकरण करना तथा औद्योगिक प्रगति करना है तथा आय सम्बन्धी विषमताओं को दूर करते हुये उत्पादन में वृद्धि करना है।

मैं इस बात से भली भांति विदित हूं कि हम इस उद्देश्य को प्राप्त करने में समुची कराधान व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाये हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति के समक्ष है। यदि वर्तमान कराधान व्यवस्था को पूर्णतया क्रियान्वित किया जाये तो करायवंचन तथा काले धन को रोका जा सकता है और विषमताओं को भी दूर किया जा सकता है।

वर्ष 1971–72 से सामाजिक निवेशों पर लगातार बल दिया जा रहा है। बच्चों के लिये पोषक आहार, ग्रामीण पेय जल संभरण, औद्योगिक श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी योजनाएं, शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार लोगों के लिये विशेष रोजगार कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, ग्रामीण आवासीय स्थलों जैसे अनेक प्रकार के सामाजिक निवेश कार्यक्रम हैं। बजट में 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इन्हें गतवर्ष के बजट में आगे लाया गया। बैंकों की आलोचना के बावजूद बैंकों को वान्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उनमें सुधार किया गया है।

इसके अतिरिक्त एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथाएं अधिनियम की भी भूमिका है। लाईसेंस प्रणाली का यह सुनिश्चित करने के लिये उपयोग किया गया है कि उद्योगों को सरकार द्वारा इंगित क्षेत्रों में ले जाया जाये जिनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में विकास हो। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

गेहुं के थोक व्यापार को हाथ में लिया गया। अब राज्य सरकारों के सम्मुख शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाने का प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में उच्चस्तर पर विधेयक के प्रारुप पर विचार हो रहा है।

आर्थिक उन्नति 'और आत्म-निर्भरता की दिशा में सरकार ने कुछ कदम उठाये है?

कर्मचारियों के प्रबन्ध में भाग लेने का जहां तक सम्बन्ध है, इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं कि उद्योगों का सहकारीकरण होना चाहिये तथा प्रबन्ध को उन्हीं मालिकों के हाथ में रखा जाय। इसमें वास्तविकता नहीं है इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह कहा है कि सरकार को चाहिये कि उनके वेतन निर्धारित करे। मैं नहीं समझता कि इतने बड़े क्षेत्र के वतन सरकार कैसे निर्धारित कर सकती है।

कर्मचारियों के प्रबन्ध में भाग लेने के सम्बन्ध में यह सरकार की घोषित नीति है। इसे पूरी तरह से लागू करने के लिये मजदूर संघों का पूरा-पूरा सहयोग चाहिये और उनकी संख्या भी कम होनी चाहिये। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व केवल कार्य समिति तक ही सीमित नहीं होगा अपितु वह निर्णय-करने के स्तर तक भी होगा। तभी जाकर उनका प्रतिनिधित्व प्रभावी और सार्थक होगा।

हम विश्व की एक विशेष स्थिति में विकास कर रहे हैं। अतः सामाजिक परिवर्तन की तरकीब अभी भी निकाली जाती है।

मैं श्री लकप्पा से अपील करता हूं कि जिस उद्देश्य को वह प्राप्त करना चाहते हैं उसे सरकार की नीतियों का और विस्तार करने प्राप्त किया जा सकता है।

मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : इस विधेयक का उद्देश्य मजदूरी की विषमताओं और धन के सकेंद्रण को दूर करना है। मैंने सरकार का ध्यान सम्पत्ति के कुछ बड़े गृहों में एकत्रित हो जाने तथा साथ ही भमि एकत्रित हो जाने की ओर दिलाया है। सरकार अपनी भरसक कोशिश के बावजूद यहां वर्ग-रहित समाज की स्थापना नहीं कर सकी है। बहुत से उपाय किये गये परन्तु कुछ प्रतिक्रिया-वादी तत्व और निहित स्वार्थ सरकार के प्रगतिशील कदमों का विरोध कर रहे हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की स्थापना करने की लोगों की इच्छा अन्ततः पूरी होगी क्योंकि सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में हैं।

मंत्री महोदय ने बताया कि अनेक उपाय किये गये हैं। यह सच है। परन्तु दुर्भाग्यवश वे उपाय स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये पर्याप्त नहीं है। बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों के प्रबन्धनिदेशक भारी वेतन ले रहे हैं? इस कारण देश में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है।

मेरा सुझाव है कि आमूलचूल परिवर्तन किये जाने से पूर्व धन के सकेंद्रण को 30 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिये। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि प्रत्येक औद्योगिक एकक को सहकारी समिति-यों में परिवर्तित कर दिया जाये। इस विधेयक में केवल इतना ही उपबन्ध किया गया है कि 5 लाख रुपये से अधिक लागत के औद्योगिक एकक को स्वामी श्रमिक और कर्मचारियों की सहकारी समिति में परिवर्तित कर दिया जाये। कल्याणकारी समाज की स्थापना की ओर यह पहला कदम है।

इस विधेयक का उद्देश्य मजूरी में विषमताओं को दूर करना है। यह विधेयक समवर्तीसूची की आर्थिक और सामाजिक आयोजना से सम्बधित प्रविष्टि 20 के अन्तर्गत आने वाली आर्थिक नीती और अयोजना के प्रश्न के सम्बन्ध में हैं। इस विधेयक में सरकार सुधार करके इसे स्वीकार कर सकती है।

आपातकालीन स्थिति में संसद को संविधान के अनुच्छेद 353 के अन्तर्गत यह अधिकार है कि वह ऐसे मामलों पर कानून बनाये।

इस विधेयक के पुरःस्थापन के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं है। यह सीधा सादा विधेयक है। जिस अन्तिम उद्देश्य को हम पाना चाहते हैं। उसे प्राप्त करने में कुछ समय लग सकता है। क्या आप समझते हैं कि एक भूखा राष्ट्र उस समय तक प्रतीक्षा कर सकता है जब सारी कानूनी लडाई लडी जा चुके? हमें समाजवादी समाज की तुरन्त स्थापना करनी चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कुछ हाथों में जो अर्थव्यवस्था का नियंत्रण है वह दूर हो।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री के० लकप्पा को विषमताओं तथा धन के सकेन्द्रण का दूर किया जाना विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

रेल्वे (आकस्मिक श्रम उत्पादन) विधेयक, 1972

RAILWAYS (ABOLITION OF CASUAL LABOUR) BILL, 1972

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I move that the Railways (Abolition of Casual Labour) Bill be taken into consideration.

The Railways are a big industry in our country. About five and a half lakh casual labour work in the Railways. There are about four lakh gangmen in the Railways.

The condition of the gangmen is not satisfactory. They are not allowed to work continuously for 180 days because the railway authorities do not want to make them regular. Break in their service for a few days in forced on them. After making break in their service they are re-employed. Corruption and bribery are rampant. The officers receive bribe from the gangmen. The bearers in the canteens have to give bribe ranging from one thousand rupees to fifteen hundered rupees to the officers in order to become permanent. The wage of the gangman is very low. It is very difficult for him to meet the both ends meet in these hard days. His wage should be improved. Either the lot of the gangmen should be ameliorated otherwise the land lying near the railway track should be given to them for cultivation. They will produce foodgrains for thier own use and for the use of others.

The condition of the railway vendors is pitiable. Some vendors have been working for the last twenty to thirty years but they are not given licence.

According to a circular, the licenses should be given to the Harijans. But no progress has been made in this regard. It should be considered seriously.

An assurance should be given that the casual labour will be made permanent. The Government should accept this Bill.

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का पूर्ण रुप से समर्थन करता हूं। आकस्मिक श्रमिक काफी समय से कठिनाईयां भोग रहे हैं। यह मामला सरकार के सामने रहा है ऐसा लगता है की इस समस्या का आज तक कोई हल नही निकाला गया है। बेजवाढा में हजारो महिलाएं आकस्मिक श्रमिक हैं जो 10 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और उनकी मजूरी न्यूनतम मजूरी अधिनियम में निर्धारित मजूरी से कम मिलती है। यदि सरकार अपनी नीतियों को निष्ठापूर्वक क्रियान्वित करना चाहती है तो इन आकस्मिक श्रमिकों को स्थायी बनाया जाना चाहिए। यदि उन्हें हमेशा आकस्मिक श्रमिक ही रखा गया तो उनकी सहनशीलता का अंत हो जायेगा अतः ऐसी स्थिति आने से पूर्व उन्हें स्थायी बनाया जाना चाहिये और एक उदारहण प्रस्तुत करना चाहिये ताकि अन्य उद्योग भी ऐसा ही करे।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : रेलवे लगभग 15 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। जिनमें से लगभग चार लाख आकस्मिक श्रमिक है। आकस्मिक श्रमिकों के उत्पादन के लिये इस सभा में कई बार वाद-विवाद हो चुका है। स्थान-स्थल पर दी जाने वाली न्यूनतम मजूरी में अन्तर है।

रेलवे में मजूरी-मानों में समानता है। परन्तु आकस्मिक श्रमिकों की मजूरी में कोई समानता नहीं है। रेलवे ने इस बात पर कोई विचार नहीं किया कि समूचे देश में आकस्मिक श्रमिकों को समान मजूरी मिले।

छह महीने की अवधि पूरी होने के एक या दो दिन पहले उन्हें हटा दिया जाता है और कुछ दिन बाद पुन: रोजगार प्रदान कर दिया जाता है। यह भ्रष्टाचार है। मंत्रालय स्पष्ट रूप से इस भ्रष्टाचार को अधिकारियों में बढ़ावा देता है।

मंत्री महोदय को इस बात का भी पता है कि उन्हें पुन: भर्ती करते समय सम्बन्धित अधिकारी रिश्वत लेता है।

इसका अन्य पहलू भी है। हमने देखा है कि आकस्मिक श्रमिकों को कुछ ऐसे कामों पर लगाया जाता है जो बारह महीने चलते रहते हैं।

अत: इस स्वाभाविक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से आकस्मिक श्रमिक प्रथा समाप्त की जानी चाहिए।

यदि रेलवे मंत्रालय कुछ लाख रुपया और व्यय करके उन श्रमिकों को स्थायी रूप से नौकरी पर रख ले जिन्हें कि अपने कार्य का अनुभव है तो रेलवे इसकी सेवाओं का पर्याप्त लाभ उठा सकता है। मंत्री महोदय को थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं माननीय सदस्य को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। यह प्रसन्नता की बात है कि यह विधयक जनसंघ के सदस्य द्वारा लाया गया है तथा इसे दोनों साम्यवादी पार्टियों का भी सहयोग प्राप्त है। गैर सरकारी विधेयक में जो महत्वपूर्ण बातें रखी जाती है उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाये। एसे विधेयकों द्वारा सरकार का ध्यान कई महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर दिलाया जाता है। यह विधेयक सरल, सीधा और देश में विद्यमान एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा को समाप्त करने के लिये लाया गया है। हम अपने को संविधान के प्रति सत्यनिष्ठ घोषित करते है परन्तु उसे लागू करने में वैसी गति नहीं बरती जाती जैसी कि अपेक्षित है। किसी भी विकासशील देश का राजस्व सीमित होता है। इस बात का कोई लाभ नहीं कि धन की कमी के कारण हम अच्छी बातो को नहीं कर पाते।

आकस्मिक श्रम व्यवस्था को यह जानते हुए भी जारी रखना कि ऐसे श्रमिकों को दीर्घ काल तक रखा जायेगा, कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता।

इस समस्या को मानवीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। क्या इस प्रथा को जारी रखना नैतिक है? प्रारम्भ में आप 10 वर्ष की सेवा वाले व्यक्तियों को स्थायी बना सकते हैं और बाद में सभी पदों को स्थायी बनाने में कठिनाई में नहीं होगी।

आकस्मिक श्रम व्यवस्था को जारी रख कर सरकार बुरा उदाहरण पेश करती है। सरकार को स्वत: ही इस कुप्रथा को समाप्त करना चाहिए।

विधेयक का अनुमानित खर्चा 50 लाख रुपए आंका गया है-जोकि अधिक नहीं है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : यदि आकस्मिक श्रमिक 5 लाख है तो खर्चा 50 करोड़ रुपए होगा।

सभापति महोदय : यदि उन्हें स्थायी बनाया जाता है तो कितना अतिरिक्त व्यय होगा।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : लगभग 40 करोड़ रुपए।

श्री पी० जी० मावलंकर : आप नैमतिक श्रमिको की संख्या का चरणबद्ध रूप में कम क्यों नहीं करते। इस समय तो यह समस्या फिर भी काबू योग्य है किन्तु कुछ वर्षों पश्चात् तो यह और भी गम्भीर रूप धारण कर लेगी। सरकार इन लोगों से निष्ठा से कार्य कैसे ले सकती है जबकि इनके सिर पर सदैव असुरक्षा की

[श्री० पी० मावलकर]

तलवार लटक रही है। मतलब यह अत्यन्त आवश्यक है कि इनमें सुरक्षा की भावना पैदा की जाये तथा इन्हें सभी सुविधाएं दी जायें।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं चाहता हूं कि रेल मंत्रालय बताएं कि क्या वह रेलों को वाणिज्यिक आधार पर चलाना चाहते हैं अथवा उपयोगी सेवाओं के रूप में चलाना चाहते हैं। रेलवे पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार 40 करोड़ अथवा 50 करोड़ हो सकता है। उपमंत्री महोदय ने हमें बताया है कि भारतीय रेलवे पूरे विश्व में सस्ती सस्ती यातायात व्यवस्था है। जब किराये में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तब कहा जाता कि आम लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब रेल हानि में चलती हैं तब कहा जाता है कि रेले भारत का सबसे पुराना उपक्रम है तो भी घाटे में चल रहा है। आप लाभ भी चाहते हैं और उपभोग भी। मैं रेलवे प्रशासन से निवेदन है कि रेल सेवाओं को रेलवे की 120 वी वर्षगांठ पर जनता के उपभोग की सेवा बनायें।

कई अन्य आवश्यक मदों पर भी धन व्यय करना पड़ता है। समाजवादी देश भी अंतरिक्ष यात्रा आदि मदों पर भारी व्यय करते है।

सभापति महोदय : समाजवादी देश अंतरिक्ष यात्रा में व्यक्तियों को भेजते हुए भी अपने श्रमिक वर्ग का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करते हैं।

श्री बी० वी० नायक : इस देश में कई स्थल विदेशियों के लिये ही आरक्षित है।

श्री कछवाय द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक सर्वथा स्वीकार्य है। इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

आकस्मिक श्रमिक व्यवस्था न केवल रेलवे में है अपितु सभी चाय बागानों में तथा प्रत्येक निर्माण कार्य में भी है सिंचाई एवं कृषि कार्यों में भी ऐसी ही व्यवस्था चल रही है। कागज उद्योग में भी 40 प्रति शत व्यक्ति आकस्मिक श्रमिक में कार्य कर रहें हैं। इसलिए कई बार श्रम मंत्री से इसके बारे में व्यापक कानून बनाने के लिये कहा गया है। मेरा निवेदन है कि यदि आपने कानून बनाना है तो आप इसे 50 लाख लोगों के लिए ही न बनायें अपितु 6·5 करोड़ लोगों के लिये बनाये। आकस्मिक श्रमिकों के पास आज सुविधाएं नहीं है।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : रेलवे में कार्य स्थायी नहीं है आप श्रमिकों को स्थायी न बनाये। परन्तु यहां पर कार्य स्थायी है वहां पर श्रमिकों को स्थायी बनाये भले ही उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण करना पड़े।

श्री बी० वी० नायक : सबसे कम सुविधा-प्राप्त श्रमिक वर्ग के लिए प्रगतिशील कानूनों की अधिक आवश्यकता है। इन श्रमिकों का शक्तिशाली संगठन नहीं है।

सभापति महोदय : क्या आप उन श्रमिकों को रेलवे श्रमिकों के सम कक्ष रखना चाहते हैं जिनका अभी आपने उल्लेख किया है।

श्री बी०वी० नायक : मैं ठीक इससे विपरीत बात कहता हूं। कृषि श्रमिकों की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। यदि हम समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते है तो हमें गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर चलना होगा सभी स्थानोंपर कार्य कर रहे आकस्मित श्रमिकोंको संघटित क्यों नहीं किया जा सकता। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि यह कार्य श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि राशन द्वारा व्यवस्थित वितरण व्यवस्था का कितने लोग धनाभाव के कारण लाभ नहीं उठा पाते। कमजोर वर्ग की ओर ध्यान देना जनता का कर्तव्य है। हमारी राजनितिक आस्था इस कार्य के प्रति वचनबद्ध है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : प्रत्येक उद्योग में एवं रेलवे में नैमत्तिक कार्यों के लिये आकस्मिक श्रमिक व्यवस्था रखी जाती है। ग्रीष्म में पानी पिलाने आदि के लिये आकस्मिक श्रमिक रखे जाते हैं। कृषि में फसल काटने के लिये ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है।

हमें यह देखना है कि क्या रेलवे में जो व्यक्ति स्थायी ढंग का कार्य करते है को स्थायी रूप से खपाया जाये। उन्हें उन सुविधाओं से वंचित रखने का कोई प्रश्न नही जो सुविधाएं कि उद्योगों में श्रमिको को उपलब्ध हैं। परन्तु आकस्मिक श्रम व्यवस्था का पूर्ण रूप से उत्पादन सम्भव नहीं है।

हम अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देना चाहते हैं। यदि सबको स्थायी रोजगार नही मिल पाता तो अस्थायी रोजगार तो मिलना ही चाहिए।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को अधिकाधिक आकस्मिक श्रमिको कों स्थायी रूप से खपाने का यत्न करना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी बनाने अथवा अच्छी मजूरी देने अथवा अन्य स्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध अन्य सुविधायें देने की समस्या नई नहीं है। इससे पहले भी नैमित्तिक श्रमिकों की इस समस्या को हल करने के लिए प्रयास किये गये हैं।

रेल मंत्रालय को नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य का वर्गीकरण करना चाहिये। जो काम आज कल दैनिक मजूरी पर कराये जाते हैं यदि वह कार्य स्थायी प्रकार के हैं तो उसके लिए रेलवे को स्थायी श्रमिक रखन चाहियें।

ऐसा भी होता है कि एक श्रमिक दो या तीन महीनों के लिये रखा जाये परन्तु उसकी सेवा दो महीनों के लिए और चाहिये तो उसको तात्कालिक मंजूरी नहीं होती। इस प्रकार उसकी एक सप्ताह या दस दिन के लिये अस्थायी छंटनी कर दी जाती है। इससे उस निर्धन श्रमिक कों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि एक श्रमिक को दो या तीन महीनों के लिये रखा जाता है और यदि उसकी सेवा को दस दिन के बाद पुन: चाहिये और उसे पुन: रख दिया जाता है, तो ऐसे दस दिन के अन्तराल के लिय क्षतिपूर्ति दिये जाने के प्रश्न पर मंत्रालय को विचार करना चाहिये। इस कारण उस श्रमिक को हानि नहीं होनी चाहिये।

नैमित्तिक श्रमिकों की समस्या केवल भारतीय रेलवे तक ही सीमित नहीं है। ऐसे श्रमिक हमारे आर्थिक ढांचे के अन्य क्षेत्रों में भी कार्यरत है और वहां उनकी स्थिति रैलवे के श्रमिकों से कहीं अधिक खराब है। अतः सरकार को देश के सभी प्रकार के नैमित्तिक श्रमिकों की हालत सुधारने हेतु एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये। ऐसे श्रमिक कई वर्षों से कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इस समय उपलब्ध संसाधनों से ही इस समस्या को हल करने के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

अन्त में, माननीय मंत्री महोदय को मेरा एक सुझाव यह है कि यथासंभव नैमित्तिक श्रमिक स्थानीय लोगों में से लिये जाने चाहियें। उन्हें इस तात्कालिक समस्या पर ध्यान देना चाहिये ताकि रेलवे नैमित्तिक श्रमिकों को तुरन्त सहायता और लाभ दिया जा सके।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : रैलवे के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुशल और अर्ध-कुशल नैमित्तिक श्रमिकों को मंत्रालय ने मान्यता प्रदान नहीं की है और यही कारण है कि इस महा संगठन में अत्यधिक असंतोष तथा कर्मचारियों में समन्वय तथा सहयोग की कमी पाई जा रही है।

नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा किया गया महान कार्य रेलवे के लिये एक बड़ा योगदान है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं सरकार की कठिनाई जानता हूँ कि यदि किसी रेलवे में या समूचे रेल प्रशासन में नैमित्तिक श्रमिकों को मान्यता प्रदान कर दी जायेगी तो सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में कार्य करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों में असंतोष फैल जायेगा। अतः इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर हल करना होगा।

[श्री के० लकप्पा]

रेलवे में विभिन्न वर्गों में कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों के मामले की जांच के लिए रेल मंत्रालय को जांच आयोग की नियुक्ति करनी चाहिये और इस सम्बन्ध में वित्तीय व्यय का अनुमान भी लगाना चाहिये।

दक्षिण रेलवे में कई ठेकेदारों, जो रेलवे के निर्माण और अन्य कार्यों से सीधे सम्बन्द्ध हैं, ने बहुत से अकुशल श्रमिकों को काम पर लगाया हुआ है। इन श्रमिकों को कुछ दिनों के लिये काम पर रखा जाता है और बाद में वे बेकार हो जाते है और काम की खोज में एक जगह से दूसरी जगह भटकते है। सरकारी उपक्रम के रूप में रेलवे को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि इन नौकरियों का वर्गीकरण करके उन्हें स्थायी कर दिया जाये। कार्य पूरा हो जाने पर श्रमिकों की छंटनी नहीं की जानी चाहिये। श्रम कानूनों को कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि रेलवे बोर्ड सोचता है कि श्रमिक रेल प्रशासन के मुख्य आधार नहीं हैं।

सभापति महोदय : श्री लकप्पा अपना भाषण अगली बार जारी रखें। यह वाद-विवाद अगली बार भी जारी रहेगा। अब, माननीय विदेश मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

भारत-ईरान संयुक्त आयोग की चौथी बैठक के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: FOURTH MEETING OF THE INDO-IRAN JOINT COMMISSION

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए भारत-ईरान संयुक्त आयोग की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए मैं 20 से 22 फरवरी तक ईरान में था। हमारी बैठक आज बहुत सुबह समाप्त हुई। वहां से लौटकर, संयुक्त आयोग में हमारे प्रतिपक्षी ईरान सरकार के अर्थ मंत्री महामान्य डा० हुशांग अंसारी के साथ जो बातचीत हुई उसका निष्कर्ष मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

2. ईरान भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है, मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि उनके साथ हमारा एक समझौता हुआ है जिससे कि मद्रास तेल शोधनशाला की वार्षिक क्षमता को, 28 लाख मी० टन से बढ़ा कर 35 लाख मी० टन किया जा सके। यह वृद्धि लगभग 25 प्रतिशत होगी। इस वृद्धि के लिए ईरान कच्चा तेल देगा।

3. मद्रास तेल शोधनशाला के विस्तार के अलावा ईरान हमारी वर्तमान उपलभ्यता में वृद्धि के लिये पर्याप्त दीर्घावधि आधार पर अतिरिक्त कच्चा तेल देने को राजी हो गया है।

4. मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत संतोष है कि ईरान मद्रास तेल शोधनशाला की कच्चे तेल की वर्तमान सप्लाई तथा अतिरिक्त सप्लाई के लिए वित्तीय सहायता देने को भी सहमत हो गया है।

5. हमारे लिए अपना निर्यात बढ़ाना आवश्यक हो गया है ताकि कच्चे तेल के आयात के कारण विदेशी मुद्रा के बहुत बड़े व्यय को हम पूरा कर सकें। यह तय किया गया है कि भारत ईरान को 25 लाख मी० टन प्रति वर्ष तक पेलेट-फीड देगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्द्रेमुख लोह खनिज भंडारों में खनन सुविधाओं का विकास करना आवश्यक होगा। इस परियोजना के अधीन स्लरी ले जाने के लिए एक पाइप लाइन का निर्माण किया जाना है। बड़े जहाजों के आवागमन के लिए मंगलोर बंदरगाह को विकसित करने का विचार है। पेलेटाइजेशन की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। ईरान लगभग 20 वर्ष तक यह सप्लाई लेता रहेगा और वह इस समस्त परियोजना के लिए 30 करोड़ अमरीकी डालर तक का ऋण देने के लिए भी तैयार हो गया है जिसकी अदायगी एक अवधि में की जाएगी और यह आशा की जाती है कि इस प्रकार जितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा उससे भारत न सिर्फ यह ऋण ही चुका देगा बल्कि निर्यात से उसे अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आमदनी भी होगी।

6. इसके अतिरिक्त ईरान बास्काइट पर आधारित अल्यूमिना के उत्पादन संबंधी परियोजना के लिए भी ऋण देने पर सहमत हो गया है। ईरान ने यह संकेत दिया है कि उसे आगामी 10 से 15 वर्षों तक हर वर्ष 100,000 टन अल्यूमिना की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक अनुमानों से यह पता लगता है कि यह ऋण 7 करोड़ अमरीकी डालर तक का हो सकता है।

7. मत्स्य-पालन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता हुआ है। यह निश्चय किया गया है कि इन प्रबंधों के अंतर्गत भारत मछली पकड़ने की नौकाएं एवं ईरानी कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस योजना के ब्यौरे भारतीय विशेषज्ञों के एक दल द्वारा जो आजकल ईरान में है, तैयार किए जा रहे हैं।

8. ईरान की, विभिन्न वस्तुओं की तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की औद्योगिक क्षमता को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति बनाने का निश्चय किया गया ताकि भारत के ऐसे उद्योगों का निरूपण किया जा सके जिनमें ईरान की रूचि हो सकती है और उत्पादन बढ़ाने में ईरान की सहायता का सबसे अच्छा तरीका निकाला जा सके ताकि ईरान को वस्तुओं की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराई जा सके।

9. हम ईरान को 3 लाख टन सीमेंट और रेलों सहित 65,000 टन इस्पात-उत्पाद देने को सहमत हो गए हैं। ईरान जिन अन्य वस्तुओं को लेने में रुचि रखता है, उनमें मशीनें और उपस्कर, रेल के डिब्बे और अन्य इन्जीनियरी सामान शामिल हैं इनकी उपलब्धि का शीघ्र ही पता लगाया जाएगा।

10. अपने तेहरान प्रवास के दौरान मुझे महामहिम शहंशांह से भेंट करने का अवसर मिला तथा मैंने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री से भी विचार-विमर्श किया। मैं सदन का ध्यान विशेषकर इस ओर दिलाना चाहूंगा कि शहनशाह ने भारत की वर्तमान समस्याओं के प्रति अपनी गहरी रूचि एवं समजदारी की भावना दिखाई है। यह उनके अनवरत मार्ग-दर्शन का ही परिणाम है कि संयुक्त आयोग इन परस्पर लाभदायक एवं सफल परिणामों को प्राप्त कर सका। इन निर्णयों से दोनों ही देशों को अपने आपसी संबंधों को दृढ़ करने के अवसर मिले हैं।

पाकिस्तान द्वारा बंगलादेश को मान्यता दिये जाने के बारे में

RE : RECOGNITION OF BANGLADESH BY PAKISTAN

श्री एस० ए० कादर (बम्बई मध्य-दक्षिण): अभी अभी सूचना मिली है कि पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मान्यता दे दी गई है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस बारे में एक वक्तव्य देने की स्थिति में हैं?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुझे भी यह सूचना प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान ने बंगलादेश को मान्यता दे दी है। यदि यह समाचार ठीक है तो हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम आरम्भ से ही अनुरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा बंगलादेश को मान्यता देना वास्तविकता को स्वीकार करना है। इस मान्यता के दे देने से शिमला और दिल्ली में हुए समझौतो के और आगे कार्यरूप देने के मार्ग अब खूलने चाहिये। हम इस प्रगति का स्वागत करते हैं।

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 25 फरवरी, 1974/6 फाल्गन, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday the 25th February 1974/Phalguna 6, 1895 (Saka).

भा०स०मु०ना०-वि .8-39 लोक सभा/73-25-4-74-490.